



ANNUAL GOVERNOR'S REPORT ON THE ADMINISTRATION OF SCHEDULED AREAS

CHHATTISGARH (2008-09)

THIS REPORT HAS BEEN OBTAINED FROM THE MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS, GOVERNMENT OF INDIA IN RESPONSE TO AN RTI REQUEST (APPLICATION NUMBER - MOTLA/R/2016/80065) FILED BY CPR LAND RIGHTS INITIATIVE.

CPR LAND RIGHTS INITIATIVE | www.landrightsinitiative.cprindia.org



छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन

वर्ष 2008-09

छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग छत्तीसगढ़, रायपुर

Ų.

छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन

वर्ष 2008-09

छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग रायपुर

अनुक्रमणिका

(7

A	अध्याय	विषय	पृष्ठ
÷	1	प्रारंभिक	1
	2	प्रशासनिक संरचना	3
	3	संरक्षणात्मक उपाय तथा विकास की योजनाएं	10
	3.1	विभाग	10
	3.2	ऊर्जा विभाग	12
	3.3	महिला एवं बाल विकास विभाग	14
	3.4	कृषि विभाग	16
,	3.5	'पशुपालन विभाग '	19
	3.6	मत्स्योद्योग विभाग	20
	3.7	संस्कृति विभाग	22
o o	3.8 .	गृह विभाग (पुलिस)	23
	3.9	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग	24
	3.10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	26
4 0	3.11	जनशक्ति नियोजन विभाग	27
/	3.12	सहकारिता विभाग	. 29
h	3.13	समाज कल्याण विभाग	29
	3.14	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	30
	3.15	आबकारी विभाग	32
•	3.16	ग्रामोद्योग विभाग	32
	3.17	जलसंसाधन विभाग	34
	3.18	लोक निर्माण विभाग	34
	3.19	आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास विभाग	37
	3.20	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	44
	3.21	जनसंपर्क विभाग	45
	3.22	स्कल शिक्षा विभाग	46

4.	विकास कार्यकमों की समीक्षा		48
4.1	कृषि एवं उद्यानिकी विभाग		50
4.2	पशुपालन विभाग		51
4.3	मत्स्य विभाग		52
4.4	सहकारिता विभाग		54
4.5	वन विभाग	,	55
4.6	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		57
4.7	ऊर्जा विभाग		59
4.8	रेशम एवं ग्रामोद्योग विभाग		61
4.9	जल संसाधन विभाग		63
4.10	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति		64
4.11	स्कूल शिक्षा विभाग		65
4.12	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभा	ग	66
4.13	उच्च शिक्षा विभाग		77
4.14 .	जनशक्ति नियोजन विभाग	•	77
4.15	समाज कल्याण विभाग		80
4.16	महिला एवं बाल विकास विभाग		81
4.17	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		82
4.18	लोक निर्माण विभाग		84
4.19	राज्य योजना मण्डल	e e e	87
4.20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग		88
4.21	चिकित्सा शिक्षा विभाग		89
4.22	संस्कृति विभाग		90
4.23	नगरीय प्रशासन एवं विकास		90
4.24	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग		90
4.25	विधि एवं विधायी कार्य विभाग		91

£ 1.4

ſ	1
٠,	,,

5	विशेष पिछडी जनजातियों का विकास	92
6	आदिम जाति मंत्रणा परिषद्	97
7	अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी	110
	(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006	
8	नक्सलवाद प्रभावित आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु प्रावधान	113
9	अनुसूचित क्षेत्र के पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान	120
	<u>परिशिष्ट</u>	
1 अ	प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र	132
1 ब	प्रदेश में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र	133
2 अ	उपयोजना तथा अनुसूचित क्षेत्रों का परिदृश्य	134
2 ৰ	उपयोजना क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र की तुलनात्मक स्थिति	135
3 अ	अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं	136
3 ब	अनुसूचित क्षेत्र के विकासखंडो का वर्गीकरण	140
4 अ	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत परियोजनाओं को	142
	स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	
4 ब	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत माडा पाकेट को	147
	स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	
4 स	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत लघुअंचल को	150
	स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	
4 द	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरणों	151
	को स्वीकृत राम्रि का सेक्टरवार विवरण	

H

\$

1.2

1.3

1.4

छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष — 2008—09

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244 (1) भाग 'ए' की कंडिका 3 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2008–09

अध्याय — 1 प्रारंभिक

1.1 1 नवम्बर सन् 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य मध्यप्रदेश से पृथक होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 18 जिले है, जो क्रमशः रायपुर, धमतरी, महासमुन्द, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा (कबीरधाम), बस्तर, (मध्य बस्तर), नारायणपुर, दन्तेवाड़ा (दक्षिण बस्तर), बीजापुर, कांकेर (उत्तर बस्तर), बिलासपुर, जांजगीर—चांपा, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, अम्बिकापुर—सरगुजा, कोरिया हैं। राज्य में कुल 146 विकासखण्ड है जिनमें आदिवासी विकास खण्डों की संख्या 85 है।

छत्तीसगढ़ राज्य में 11 लोकसभा क्षेत्र है। इनमें से 4 अनुसूचित जनजाति, 2 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह राज्य में 90 विधानराभा क्षेत्र हैं, इसमें से 44 सीट (34 अनुसूचित जनजाति और 10 अनुसूचित जाति के लिए) सुरक्षित है।

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश के पूर्व में 17.00—23.70 अंश उत्तर अक्षांश तथा 80.40—83.38 अंश पूर्व देशांतर के मध्य में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ 135133 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 81,861.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित है। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 60.58 प्रतिशत है। अनुसूचित क्षेत्र राज्य के 13 जिलों में फैला हुआ है। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों का विवरण—परिशिष्ट—1(अ) एवं (ब) में दर्शित है।

राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (जनगणना 2001) 66.16 लाख है। जनगणना 2001 अनुसार उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या 91.45 लाख है, जिसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 54.34 लाख (59.42%) है। अनु. क्षेत्र की कुल जनसंख्या 80.03 लाख (जनगणना 2001) हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 48.84 लाख (60.42%) है। राज्य का सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित है।

1.5

प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का विकास आदिवासी उपयोजना की अवधारणा के अनुरूप किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड हैं। इसकी विभिन्न उपजातियाँ माड़िया, मुरिया, ढोरला, आदि है। इसके अतिरिक्त उरांव, कंवर, विंझवार, वैगा, मतरा, कमार, हल्वा, सवरा, नागेशिया, मझवार, खरिया और धनवार जनजाति वड़ी संख्या में हैं, अन्य जनजातियों की संख्या बहुत कम है। प्रदेश में 0.88 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के रूप में मान्य किया गया है। यह प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 65.12 प्रतिशत है। प्रदेश के सम्पूर्ण आदिवासी उपयोजना क्षेत्र को प्रशासकीय दृष्टि से 19 एकीकृत आदिवासी परियोजनाओं, 9 माडा पाकेट तथा 2 लंघु अंचलों में विभक्त किया गया है, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत कुल 18 जिले (9 पूर्ण एवं 9 आशिक) एवं 85 आदिवासी विकास खण्ड पूर्ण रूप से तथा 27 सामुदायिक विकास खण्ड आंशिक रूप से शामिल हैं। अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का विस्तृत विवरण परिशिष्ट—2 (अ) 2 (व) पर दर्शाया गया है।


1.6

छत्तीसगढ़ राज्य में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों यथा बैगा, कमार, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर तथा अबूझमाड़ियों का निवास है। इन जनजातियों के आर्थिक सामाजिक एवं क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में 6 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण गठित है। वर्ष 2002 में हुए बेस लाईन सर्वे के अनुसार प्रदेश में इनकी कुल जनसंख्या 1.14 लाख है।

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002-03 में पंडों तथा भुंजिया जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के समतुल्य मानते हुए इनके लिए पृथक-पृथक अभिकरण क्रमशः सूरजपुर (सरगुजा) में पंडो जनजाति के लिए तथा गरियाबंद (रायपुर) में भुंजिया जनजाति के लिए गठित किए गए हैं। विकास अभिकरणों के माध्यम से इन जनजातियों को सामान्य जनजातियों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ ही साथ अतिरिक्त सुविधायें जैसे अधोसंरचना मूलक, समुदाय मूलक तथा परिवार मूलक कार्य संपादित किए जा रहे हैं।

अध्याय-2

विभाग की संरचना





2.1.1 राज्य स्तर (मंत्रालय)

विभाग का प्रमुख प्रशासकीय पद सचिव का है। राज्य स्तर पर अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित राज्य शासन के समस्त संबंधित प्रशासकीय विभागों के विकास कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा की जाती है। इस समीक्षा में यह सुनिश्चित किया जाता है कि क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन कार्य लिए जाए तथा योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो तथा इन क्षेत्रों के विकास के लिए प्राप्त आवंटन का उपयोग उन्हीं क्षेत्रों के विकास में हो।

2.1.2 विमागाध्यक्ष

विभाग में सचिव के बाद विभागाध्यक्ष के रूप में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन आयुक्त के द्वारा किया जाता है। विभागाध्यक्ष द्वारा आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के विकास के साथ—साथ आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिए आयोजना निर्माण तथा इस कार्य हेतु अन्य विकास विभागों से समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य किया जाता है। विभागाध्यक्ष का प्रमुख दायित्व विभाग के बजट का नियंत्रण होता है।

2.1.3 विभाग का दायित्व


- संविधान की पाँचवी अनुसूची के अंतर्गत प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन और आदिवासियों के हितों के संरक्षण के लिए प्रहरी की भूमिका अदा करना।
- 2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु योजनाओं का संचालन।
- आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विकास विभागों को बजट उपलब्ध कराना, नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना एवं विकास योजनाओं का अनुश्रवण व मूल्यांकन।
- आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शैक्षिक संस्थाओं का संचालन।
- विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु योजनाओं का निर्माण तथा इनका क्रियान्वयन।
- विशेष केन्द्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।

2.1.4 विभाग का कार्य

- विभागीय अमले से संबंधित समस्त प्रशासकीय कार्य।
- 2. मांग संख्या— 41, 42, 68, 77 एवं 82 के अंतर्गत आदिम जाति कल्याण से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
- 3. उपयोजना क्षेत्र में शैक्षिक संस्थाओं एवं शिक्षा की अन्य प्रोत्साहनकारी योजनाओं का संचालन।
- अनुस्चित जाति की योजनाओं हेतु मांग संख्या 64, 15 एवं 49 अन्तर्गत बजट आवंटन उपलब्ध कराना तथा योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
- आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना अंतर्गत विभिन्न विभागों को बजट आवंटन उपलब्ध कराना एवं योजनाओं का अनुश्रवण।
- विशेष केन्द्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का निर्माण, पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
- 7. विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन।
- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।
- अनुसूचित जाति, जनजाति के जाति प्रमाण–पत्रों का परीक्षण।
- 10. राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के क्रियान्वन की समीक्षा।

2.1.5 जिला स्तर

- 1. विभागीय जिला स्तरीय कार्यालय:--
 - प्रदेश में सभी 18 जिलों में विभागीय जिला कार्यालय स्थापित है।
- 2. सहायक आयुक्त :--
 - जिला स्तर पर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी 18 जिलों में सहायक आयुक्त पदस्थ है।
- 3. परियोजना स्तर :--
 - आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त आवंटन से स्थानीय आवश्यकतानुरूप कार्यों का निर्धारण एवं एजेन्सी के माध्यम से कार्यों का निष्पादन का दायित्व एकीकृत आदिवासी



2.1.6 विकासखण्ड स्तर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी :--

राज्य के 85 विकास खण्ड, आदिवासी विकास खण्ड के रूप में घोषित हैं, जिनमें विभागीय मुख्य कार्य पालन अधिकारी पदस्थ है। इनके द्वारा विभाग की योजनाओं के साथ-साथ अन्य विकास विभागों की योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जाता हैं।

त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इन विकास खण्डों को जनपद पंचायतों के अधीन कर दिया गया हैं।

2. खण्ड शिक्षा आधिकारी :--

राज्य के आदिवासी विकासखण्ड स्तर परं खण्ड शिक्षा अधिकारी पदस्थ है। विकासखण्ड स्तर पर शैक्षिक क्रियाकलापों के समुचित क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व इस अधिकारी का है।

2.1.7 परियोजना स्तर :--

- एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के लिए प्रदेश में परियोजना प्रशासक के कुल 19 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 12 पद विभागीय है। बस्तर संभाग के 7 परियोजना प्रशासकों के पदों पर संबंधित परियोजना क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पदेन परियोजना प्रशासक हैं।
- 2. प्रदेश में निवासरत 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए जिला स्तरीय 6-विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरणों में से 4-अभिकरण परियोजना प्रशासक के नियंत्रण में तथा 2-अभिकरण सहायक आयुक्त के नियंत्रण में संचालित हैं।

2.1.8 जनजातीय अनुसंघान संस्थान एवं जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाए :--

अ. आदिम जाति अनुसंघान एवं प्रशिक्षण संस्थान :--

भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण के समय अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, इनके रीति—रिवाज, रहन—सहन तथा अन्य सांस्कृतिक व अनुसंधानिक तथ्यों के अभाव में इन वर्गों के विकास हेतु योजना बनाने में किठनाई महसूस हुई थी। इसे ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार ने 1954 में पुराने म.प्र., उड़ीसा, बिहार एवं पं. बंगाल राज्य सरकारों को आदिम जाति अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिये थे।

छत्तीगसढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का 31.6 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का है। राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुशंसा अनुसार देश के 15 वें आदिम जाति अनुसंधान संस्थान के रूप में इस संस्थान का गठन राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत किया गया।

संस्थान का प्रमुख कार्य :--

- अनुसूचित जनजातियों संबंधी आधारभूत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अध्ययन करना है।
- अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन कर, इनके निराकरण हेतु शासन को सुझाव देना।
- अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
- 4. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति में शामिल होने के लिए राज्य शासन को प्राप्त अभ्यावेदनों का , इथनोलॉजिकल, एन्थ्रोपोलॉजिकल परीक्षण कर शासन को अभिमत देना।
- 5. माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण-पत्रों की जांच करना।
- 6. जाति प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारियों तथा आदिवासी क्षेत्रों में पदस्थ विभिन्न विकास विभागों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना।
- अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला एवं संगोष्ठी का आयोजन करना।
- श. आदिवासी संग्रहालय स्थापित कर जनजातियों की संस्कृतियों का संरक्षण एवं संवर्धन करना।
 2008-09 में संस्थान द्वारा संपादित कार्य
- 1. अनुसंधान कार्य
 - बंग नमो शुद्र जाति का नृजातीय अध्ययन कार्य किया गया ।
- 2. प्रशिक्षण
 - जाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारियों (अनुविभागीय अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर,
 तहसीलदार) के लिए चार प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर 80 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
- कार्यशाला / संगोष्ठी का आयोजन
 - 🔋 दिनांक ०९ से ११ फरवरी २००९ तक रायपुर में "छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं की

आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य की स्थिति एवं छत्तीसगढ़ के आदिवासी बालिकाओं में शैक्षणिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी स्थिति एवं विकास हेत् रणनीति विषय पर आयोजित राष्ट्रीय

संगोष्ठी सह कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें केन्द्र शासन/राज्य शासन/विभिन्न राज्यों के आदिवासी अनुसंधान संस्थान एवं विश्वविद्यालयों से कुल 115 व्यक्तियों की सहमागिता रही।

4. अनुसूचित जाति/जनजातियों के जाति प्रमाण-पत्रों की जांच

- व्यावसायिक पाठ्यकमों में (इंजीनियरिंग, मेडिकल, आयुर्वेद, पॉलिटेक्नीक) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवेश लेने वाले 38,009 अथ्यार्थियों की जाति प्रमाण-पत्रों की जांच की गई।
- फर्जी / गलत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी करने संबंधी शिकायतों की जांच की गई, इनमें से 30 प्रकरण फर्जी / गलत जाति प्रमाण-पत्र के पाये गये।

5. प्रकाशन

- छत्तीसगढ़ के सफाई कामगार (सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति) (प्रेसः में)
- ब. आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनायें :-
- आदिवासी रागुदाय की रागस्याओं को दूर कर इन्हें विकास की ओर अग्ररार करने हेतु योजनाओं का निर्माण करना।
- आदिवासी विकास हेतु संचालित योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना माडा/लघु अंचल एवं विशेष पिछड़े अभिकरणों के माध्यम से आदिवासी विकास योजनाओं का क्रियान्वयन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न विकास विभागों को प्रदत्त राशि एवं संचालित कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।

2.2 विभिन्न विकास विभागों की प्रशासनिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

संविधान की मंशानुसार घोषित अनुसूचित क्षेत्र में बेहतर कार्मिक-प्रशासनिक व्यवस्था की जाना हैं। अनुसूचित क्षेत्र सरल किन्तु संवेदनशील क्षेत्र होता है। इन क्षेत्रों में जनजातियों की प्रशासन के प्रति आस्था व विश्वास होना अति आवश्यक है। राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्र एवं सामान्य क्षेत्र के लिए पृथक—पृथक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की गई हैं तथापि अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ शासकीय अमले को कुछ सुविधाएं न रियायते नियमानुसार उपलब्ध करायी जा रही है। शासन का यह प्रयास है कि अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त पदों की पूर्ति प्राथमिकता से की जाए।

2.2.1 अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत शासकीय सेवकों को दी जाने वाली सुविधाएं:--

अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन के उन्नयन तथा योग्य शासकीय सेवकों की पद स्थापना सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा पूर्व में लागू की गई व्यवस्था प्रतिवेदन वर्ष में निरंतर रही। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है:—

- 1. अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को परियोजना भत्ता स्वीकृत किया जाता है।
- प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को अपने गृह नगर के लिए उपलब्ध कराई जा रही अवकाश यात्रा सुविधा में सामान्य क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को प्रथम 80 किलोमीटर की यात्रा का व्यय वहन करना पड़ता है परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में अपने गृह जिले से बाहर पदस्थ कर्मचारियों के प्रकरण में दूरी का यह प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है तथा अपने गृह जिले में पदस्थ कर्मचारियों के लिए दूरी का प्रतिबंध घटाकर 20 किलोमीटर किया गया है।

(संलग्न परिशिष्ट 3 (अ) एवं (ब))

À

- अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु निःशुल्क छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ सभी विभागों के सभी श्रेणी के कर्मचारियों को 10 दिन का अतिरिक्त अर्जित अ अवकाश तथा 7 दिन का अतिरिक्त आकिस्मक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।
- 2.2.2 अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरे जाने तथा प्रत्येक विभाग के अधिकारी अपने सेवा काल में एक निश्चित अविध तक अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ रहकर अनिवार्य रूप से सेवा देवें, इस तथ्य का निर्णय लिया गया।

海海海海海



अध्याय – 3 संरक्षणात्मक उपाय तथा विकास की योजनाएँ

भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के संरक्षणात्मक तथा विकासात्मक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर व्यापक प्रावधान किये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 244 द्वारा शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की ओर ध्यान दिया गया है। इन वगों के हित—संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए अनुच्छेद 388 द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त करने तथा अनुच्छेद 339 में मुख्यतः आदिवासी कल्याण हेतु योजनाएं बनाने एवं उन्हें क्रियान्वित करने का प्रावधान किया गया है। इन वगों के प्रति भेदभाव समाप्त करने, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने की दृष्टि से ही अनुच्छेद 15 (2), 17 एवं 25 में विशिष्ट प्रावधान वर्णित है। दिधान सभा एवं संसदीय क्षेत्र का आरक्षण अनुच्छेद 334, में एवं अनुच्छेद 335 द्वारा सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई हैं इन प्रावधानों को दण्डात्मक प्रक्रिया द्वारा विशेष प्रभावी भी बनाया गया है।

संवैधानिक संरक्षणात्मक नीति को राज्य में कड़ाई से लागू करने तथा क्षेत्र में आदिवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए योजनाएँ बनाने एवं उनके कारगर क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य की यह मंशा है कि योजनाएँ न केवल परिणाम मूलक हो वरन इनमें पारदर्शिता, सुस्पष्टता तथा गतिशीलता का होना भी आवश्यक है।

राज्य के विभिन्न विकास विभागों के द्वारा संचालित संरक्षणात्मक तथा विकास की योजनाएँ:-

3.1 वन विभाग

- 3.1.1 पर्यावरण वानिकी: शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने हेतु इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पौधा रोपण एवं उद्यानों के रखरखाव का कार्य किया जाता है। योजना अंतर्गत 2008-09 में 550.00 लाख के विरुद्ध 549.50 लाख रूपये व्यय किया गया।
- 3.1.2 बिगड़े वनों का सुधार :— छ०ग० राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44.2 % भू—भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रदेश के लगभग 30% वन क्षेत्रों की सघनता 40% से कम है तथा इन्हें बिगड़े वनों की परिभाषा में रखा गया है। वनों पर जैविक दबाव बढ़ने के फलरवरूप बिगड़े वनों के सुधार का कार्य प्रति वर्ष लिया जाता है। इसके अंतर्गत जिन क्षेत्रों में पर्याप्त जल भण्डार होता है, वहां वन वर्धनिक कार्यों से नये वृक्ष तैयार किए जाते हैं। उपरोक्त कार्य कराने हेतु संयुक्त वन प्रबंधन के अन्तर्गत समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। इस कार्य से जनजातीय लोगों को रोजगार के पर्याप्त



अवसर प्राप्त होते हैं एवं रोजगार प्राप्त होने से वन क्षेत्रों में पुनः अतिक्रमण कर आजिविका चलाने की मानसिकता भी नहीं रहती है तथा भविष्य के लिए इन क्षेत्रों में निस्तार हेतु वनोपज की उपलब्धता भी सुनिश्चित होती है।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में कुल 38700 हेक्टेयर में क्षेत्र की तैयारी 39150 हेक्टे.क्षेत्र में रोपण एवं 49700 हे.क्षेत्र में रख-रखाव रोपण का कार्य किया गया योजना अंतर्गत 2008-09 में रूपये 2100.00 लाख के विरूद्ध 2070.66 लाख रूपये व्यय किये गये।

- 3.1.3 ग्राम वन समितियों के माध्यम से औषधि रोपण :— औषधि पौधों एवं अन्य लघु वनोपज के संरक्षण, विकास, संग्रहण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन में सुधार संबंधी कार्य किया जाता है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2008–09 में 1000 हे. क्षेत्र में तैयारी एवं 53,000 हे.क्षेत्र में रखरखाव कार्य किया गया। इस हेतु 575.00 लाख रूपये के विरुद्ध 569.39 लाख रू.का व्यय किया गया।
- 3.1.4 सामाजिक वानिकी :— इस योजना के अंतर्गत गैर वानिकी क्षेत्रों में रोपण कार्य तथा कृषकों को कृषि वानिकी हेतु प्रोत्साहन देने का कार्य किया जाता है। योजना अंतर्गत वर्ष 2008—09 में 430 हेक्टेयर क्षेत्र में रखरखाव का कार्य एवं 515 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण एवं 970 हेक्टेयर क्षेत्र में पौध रोपण हेतु तैयारी का कार्य किया गया। योजनान्तर्गत 149.90 लाख रूपये व्यय किये गये।
- 3.1.5 लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना :- प्रदेश की जैव विविधता को अक्षुण रखते हुए उसके सतत् जपयोग से स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है। योजना अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में औषधी पौधों एवं अन्य लघु वन उपज के संरक्षण, विकास, संग्रहण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन में सुधार संबंधी कार्य कराया जाता है। योजना अंतर्गत वर्ष 2008–09 में 193:86 लाख रूपये त्यम किमे गये है।
- 3.1.6 अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले रोपण :—इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1980 के पूर्व वन भूमि के अतिकामकों को पट्टा वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा लागू की गई वृक्षारोपण की शर्तो की पूर्ति के लिए वृक्षारोपण एवं उसके रखरखाव का कार्य किया जाता हैं योजना अंतर्गत वर्ष 2008—09 में 3500 हे. क्षेत्र में पौधरोपण की तैयारी, 15,600 हे. क्षेत्र में रोपण तथा 10,000 हे. क्षेत्र में रखरखाव के कार्य किये गये। इस कार्य हेतु आर्थिक लक्ष्य 1400.00 लाख रूपये के विरूद्ध 1389.71 लाख रूपये व्यय किये गये।
- 3.1.7 जैव विविधता का संरक्षण :--राज्य के विपुल जैव विविधता को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए वन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। योजना अंतर्गत जैव विविधता संरक्षण हेतु सभी



संबंधित शासकीय विभागों, विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधानकर्ताओं के मध्य समन्वय स्थापित करने, जन सामान्य को इस महत्वपूर्ण विषय पर संवेदनशील बनाने के लिए सेमीनार, कार्यशाला आदि का आयोजन किया जाता है।

- 3.1.8 सड़कें तथा मकान निर्माण कार्य :— इस योजना के अंतर्गत वन विभाग के विभिन्न स्तर पर कार्यालय निर्माण, विभागीय कर्मचारियों /अधिकारियों हेतु आवासीय भवनों का एवं मार्गों का निर्माण कराया जाता है। विभाग का कार्य क्षेत्र दूरस्थ अंचलों तक फैला हुआ हैं। वहां कार्यालयीन एवं आवासीय भवनों एवं मार्गों का निर्माण कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक होता है। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2008—09 में रू. 500.00 के विरुद्ध 494.34 लाख रूपये व्यय किया जाकर 150 भवनों का निर्माण किया गया।
- 3.1.9 वनोपज संग्रहण हेतु गोदामों का निर्माण :- इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लघु वनोपज संघ को गोदाम हेतु ऋण अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है।
- 3.1.10 क्षेत्र अभिमुख जलाऊ लकड़ी एवं चारा कार्यक्रम :- इस योजना के अंतर्गत जिन जिलों में कम वनक्षेत्र हैं, वहां जलाऊ लकड़ी एवं चारागाहों के विकास के कार्य कराये जाते है।
- 3.1.11 प्रोजेक्ट टाईगर :- प्रदेश के अंतर्गत इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान, प्रोजेक्ट टाईगर घोषित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणियों के विकास एवं रखरखाव हेतु कार्य कराया जाता है।
- 3.1.12 लघुवनोपज कार्य हेतु लघुवनोपज संघ को अनुदान :- इस केन्द्रोय क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा लघु वनोपज के संग्रहण एवं प्रसंस्करण हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान देने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2008-09 में 251.00 लाख रूपये व्यय किये गये।
- 3.2 ऊर्जा विभाग
- 3.2.1 सौर फोटोवोल्टाईक प्रणाली :—वर्ष 2008-09 में केंडा द्वारा सौर फोटोवोल्टाइक परियोजना कें अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में 250 होमलाईट, सड़क बित्तयां, 50 सामुदायिक प्रकाश संयंत्र तथा 25-सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। आलोच्य वर्ष में मार्च 09 तक 254-होमलाईट, सड़क बित्तयां, 48-सोलर जनरेटर, 11-सामुदायिक प्रकाश संयंत्र तथा 25-सोलर पंप के कार्य पूर्ण किये जा चुके है।
- 3.2.2 बायोगैस :- बायोगैस कार्यक्रम में वर्ष 2008-09 में लगभग 1022-वायोगैस संयत्रो की स्थापना का कार्य केडा द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में किया गया है।

3.2.3 ग्रामीण विद्युतीकरण :—वनांचलों के आदिवासी क्षेत्रों में स्थित अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण सौर ऊर्जा के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2008—09 में कुल 254 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य केडा द्वारा किया गया।

J.

- 3.2.4 छात्रावास आश्रमों का विद्युतीकरण :—आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित 410 आदिवासी आश्रमों तथा छात्रावासों का सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण किया गया।
- 3.2.5 अनुसूचित जनजाति कृषकों के कुंओं तक विद्युत लाइन का विस्तार :—इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उनके कुंओं तक विद्युत लाइन के विस्तार हेतु राज्य शासन से अनुदान दिया जाता है। योजना अंतर्गत वर्ष 2008—09 में रू. 21.00 लाख राज्य शासन से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को अनुदान प्राप्त हुआ शेष राशि मंडल के आंतरिक संसाधनों से व्यय की गई जिसके विरूद्ध 49 कृषकों के कुंओं तक विद्युत लाइन का विस्तार किया गया।
- 3.2.6 मंजरा/टोला विद्युतीकरण :— इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति बस्तियों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य शासन से अनुदान प्राप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 15-मंजरों/टोलों के विद्युतीकरण कार्य किये गये।
- 3.2.7 आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में नक्सलवाद प्रमावित सलवा जूडूम अभियान से जुड़े व्यक्तियों के लिये चलाये जा रहे राहत शिविरों में विद्युतीकरण कार्यः— दंतेवाड़ा जिले में सलवा जूडूम अभियान से जुड़े व्यक्तियों के लिये चलाये जा रहे राहत शिविरों में निर्माणाधीन आवासमृहों के बाह्य विद्युतीकरण एवं एकलबत्ती कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने हेतु छत्तीसमद राज्य विद्युत मंडल को शासन से रू. 2,20,80,161/— प्राप्त हुए जिसके विरूद्ध दिनांक 31.03.2009 तक 26 राहत शिविरों में रू.2,28,16719/— के कार्य पूर्ण कर लिये गये है, तथा इन शिविरों में 24/3 कनेक्शन प्रदान किये गये है।
- 3.2.8 राजीव गांघी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना :— राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना केन्द्र शासन/राज्य शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे दिनांक18.03.2005 से पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। केन्द्र शासन की इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अंतर्गत सभी आवासों तक विद्युत सुविधा उपलब्ध कराये जाना है। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की समग्र लागत की 90 प्रतिशत राशि केन्द्र शासन द्वारा अनुदान के रूप में तथा 10 प्रतिशत राशि वित्तीय संस्थाओं से बजट के रूप में अथवा राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है।

अभी तक 14-जिलों की योजनाएं स्वीकृत हो चुकी है, जिसमें आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के कोरबा, कांकेर, रारगुजा, बस्तर, दंतेवाड़ा जिले शामिल है।



- 3.3.1 आयुष्पति योजना :— ग्रामीण क्षेत्र की भूमिहीन परिवार की गरीब महिलाओं एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन—यापन करने वाली बीमार महिलाओं को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, खण्ड स्तरीय चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक सप्ताह तक उपचार हेतु भर्ती रहने पर 400 रूपये तथा एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहने पर 1000 रूपये तक की चिकित्सा सुविधा व पौष्टिक आहार आदि उपलब्ध कराया जाता हैं। वर्ष 2008—09 की स्थिति में इस योजनांतर्गत 7934 हितग्राहियों को लामांवित किया गया एवं रूपये 40.00 लाख की राशि व्यय की गयी है।
- 3.3.2 महिला जागृति शिविर :- महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारो, प्रावधानो तथा योजनाओं के प्रति जागरूक करने हेतु महिला जागृति शिविर आयोजित किये जाते है। शिविर का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हे जागरूक एवं सिक्य बनाना तथा विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरूद्ध महिलाओं को संगठित करना है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2008-09 में कुल 33.90 लाख की राशि व्यय की जाकर 177572-आदिवासी वर्ग की महिलाओं को लामांवित किया गया।
- 3.3.3 स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान :-महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक स्वयं सेवी संस्थाओं को विभिन्न महिला एवं बाल कल्याण की गतिविधियों के संचालन हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
- 3.3.4 दिशा भ्रमण कार्यक्रम :— इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सफल महिला स्व:सहायता समूह, सफल उद्यमियों, क्षेत्र विशेष की विशिष्ट उपलब्धियों का अवलोकन कराकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में योजनान्तर्गत 1808 महिलाओं को लाभान्वित किया गया रूपये 8.80 लाख के आवंटन के विरुद्ध 8.30 लाख रूपये व्यय किये गये हैं।
- 3.3.5 पूरक पोषण आहार व्यवस्था :— पूरक पोषण आहार की चावल आधारित विकेन्द्रीकृत व्यवस्था 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ की गई है जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म, पका हुआ भोजन (चावल, दाल, सब्जी, गुड प्रोसेस्ड सोयाबीन) एवं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती व शिशुवती माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को सप्ताह में एक दिन टेक होम राशन पद्धति से पूरक पोषण आहार के रूप में चावल, दाल, गुड़ प्रोसेस्ड सोयाबीन दिया जा रहा है। वर्ष 2008–09 में लगभग 875112 लाख हिताग्राहियों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है जिसके विरूद्ध 7137.35 लाख की राश व्यय की गई।
- आयरन फोर्टिफाईड साल्ट :- महिलाओं एवं बच्चों में आयरन की कमी को दृष्टिगत रखते हुए भारत शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग में संचालित पोपण आहार कार्यक्रम में आयरन फोर्टिफाईड साल्ट

्रवार्षिकः प्रतिवेदन-२००८–००-

का प्रयोग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस संबंध में त्विरत गित से कार्यवाही करते हुए प्रत्येक हितग्राही को प्रतिमाह 500 ग्राम के मान से आयरन फोर्टिफाईड साल्ट, 'टेक होम' राशन की पद्धित से प्रदाय किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 146 बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 21 लाख हितग्राहियों को प्रतिमाह लाभान्वित किया जा रहा है।

राज्य की पोषण आहार नीति :—छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं तथा बच्चों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों से समन्वय करते हुए एक समग्र आहार नीति तैयार की गई है। जिसे मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। इसमे संबंधित विभागों के दायित्वों को निर्धारित किया गया है। राज्य की सुपोषण नीति के अंतर्गत छ०ग० राज्य के पृष्ठ भूमि एवं स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी सकारात्मक पहलुओं को शामिल किया गया है। इस नीति का लक्ष्य 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) के पोषण लक्ष्यों पर आधारित है। जिसमें महिलाओं एवं बच्चों के कुपोषण की स्थिति में सुधार लाने हेतु एक सशक्त प्रयास किया जाना है।

नेशनल न्यूद्रीशन मिशन अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं हेतु योजना (एनपीएजी) :- नेशनल न्यूट्रीशन मिशन के अंतर्गत योजना आयोग भारत शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में 35 किलोग्राम से कम वजन की किशोरी बालिकाओं को निःशुल्क प्रति माह 6 किलो अनाज प्रति हितग्राही के मान से प्रदाय किया जाना प्रारंभ किया गया था। राज्य शासन द्वारा मिनीमाता पोषण आहार योजना अन्तर्गत प्रति हितग्राही अतिरिक्त रूप से 4 किलो अनाज अर्थात कुल 10 किलोग्राम अनाज प्रति हितग्राही प्रतिमाह दिए जाने का निर्णय लिया गया था। इसमें से 4 किलो अनाज पर होने वाले व्यय का भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा। योजना का उद्देश्य हितग्राहियों के खानपान की आदतों में सुधार, उन्हें पौष्टिक खाद्य पदार्थों का महत्व व उपयोग बताना, कुपोषण से मुक्त करना तथा स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर हितग्राहियों के स्वास्थ्य स्तर में निरंतर निगरानी कर अपेक्षित सुधार लाना है। वर्ष 2008–09 में योजना अन्तर्गत 800.00 लाख रू. की राशि व्यय की गई।

छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 :-- महिलाओं को टोनही के रूप में चिन्हित कर उन्हें उत्पीडित किये जाने की घटनाओं को रोकने एवं इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन हेतु छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 लागू किया गया है।

छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या विवाह योजना :- यह अभिनव योजना राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका उददेश्य निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना एवं सादगी पूर्ण विवाहों को बढावा -वार्षिक-प्रतिवेदन-2008--09

देना, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से निर्धनों के मनोबल/आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार, सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन—देन की रोकथाम करना है।

योजना अतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को 4000/— रू. तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में दी जाती है। सामूहिक विवाह आयोजन के लिए प्रति कन्या राशि रू. 1000/— तक व्यय की जा सकती है। इस प्रकार योजना अंतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 5000/— रू. की सहायता राशि व्यय होगी। वित्तीय वर्ष 2008—09 में कुल 1795 हित्याहियों को लाभाग्वित किया गया। इसमें रू. 82.17 लाख की राशि व्यय की गई।

राज्य महिला आयोग :- प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखमाल व , उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है।

3.4 कृषि विभाग

जनजातीय अर्थ व्यवस्था प्रमुखतः कृषि आधारित होने के कारण जनजातीय विकास में कृषि विभाग के कार्यक्रमों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। विभाग का प्रमुख उद्देश्य प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि कर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है तािक कृषक आर्थिक रूप से सम्पन्न हों सके। कृषकों के समग्र विकास के लिए भूमि एवं जल प्रबंध, सिंचाई सुविधा में बढ़ोत्तरी, उपयुक्त प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत बढ़ाने, जैविक खाद की उपयोगिता बताने, फसलों की कीटव्याधि सुरक्षा का झान देने, उन्नत तकनीक का विकास करने एवं कृषकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने, कृषि विस्तार कर्मियों के साथ—साथ कृषकों को भी कृषि की नवीनतम तकनीक से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण देने आदि कार्यक्रम कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं।

3.4.1 अन्नपूर्णा योजना :- यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति के कृषकों को बीज अदला-बदली घटक में एक हेक्टेयर सीमा तक उन्नत बीज, बीज स्वावलंबन अंतर्गत 1/10 रकवे के लिये आधार बीज एवं बीज उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत अनाज फसलों का बीज उत्पादन हेतु विभागीय कृषि प्रक्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

- 3.4.2 सूरजद्यारा योजना :— यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति के कृषकों को बीज अदला—बदली घटक में एक हेक्टेयर सीमा तक उन्नत बीज, बीज स्वावलंबन अंतर्गत 1/18 रकबे के लिये, आधार बीज एवं बीज उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत दलहन/तिलहन फसलों का बीज उत्पादन हेतु विभागीय कृषि प्रक्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है।
- 3.4.3 नाडेप विधि से कम्पोस्ट खाद बनाना :- यह राज्य पोषित योजना है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये अनुसूचित जनजाति के कृषकों को टाका निर्माण हेतु 50 प्रतिशत अधिकतम 800 रूपया प्रति टाका अनुदान दिया जाता है।
- 3.4.4 वानस्पतिक ईंधन विकास कार्यकम :- यह राज्य पोषित योजना है। आदिवासी कृषकों को रतनजोत के पौधे लगाने हेतु 10 रू.प्रति पौधे अनुदान दिया जाता है।
- 3.4.5 राज्य गन्ना विकास योजना :— यह राज्य पोषित योजना है। इस योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति के कृषकों को भी उन्नत बीज कय, टिश्यू कल्चर पौधे, पौध संरक्षण यंत्र, आदान सामग्री तथा कृषक भ्रमण एवं गन्ना बीज परिवहन हेतु अनुदान दिया जाता है।
- 3.4.6 बीज बैंक योजना :--यह राज्य पोषित योजना है। इस योजनांतर्गत स्वयं के बीज /अनाज के बदले उन्नत प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाता है।
- 3.4.7 बीज अनुदान योजना :- यह राज्य पोषित योजना है। इस योजनांतर्गत प्रमाणित बीज वितरण तथा उत्पादन पर अनाज फसलों के लिए रूपये 200/- रू प्रति क्विंटल अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है।
- 3.4.8 अशासकीय संस्थाओं को सहायता अनुदान :- यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत रामकृष्ण मिशन आश्रम ब्रेहबेड़ा नारायणपुर द्वारा सुदूर अंचल में बसे आदिवासी कृषकों को कृषि संबंधी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण दिया जाता है।
- 3.4.9 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना :- यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत सूखे की स्थिति निर्मित होने पर बीमित हितग्राहियों को फसल की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है।
- 3.4.10 दंडकारण्य (बस्तर) में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना :- यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत जगदलपुर में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित है। प्रयोगशाला में जिलों से प्राप्त गिट्टी नमूनों का परीक्षण कर परिणाम प्रेषित किया जाता है। साथ ही उचित उर्वरक उपयोग की अनुशंसा किया जाता है। रसायन यंत्र उपकरण आदि पर व्यय किया जाता है।

वार्षिक प्रतिवेदन २००८–०९

- 3.4.11 वृष्टि छायाक्षेत्र की इंदिरा खेत गंगा योजना :- यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत आदिवाशी कृषकों को सफल/असफल नलकूप खनन पर रूपये 18,000 एवं सफल होने पर पंप प्रतिस्थापना हेतु रूपये 25,000 कुल राशि 43,000 रूपये अनुदान देय है।
- 3.4.12 शाकम्बरी योजनाः— यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत लघु एवं एवं सीमांत (आदिवासी) वर्ग के कृषकों को कुआं निर्माण पर 50 प्रतिशत तथा 05 अश्व शक्ति तक के डीजल/विद्युत पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
- 3.4.13 लघु सिंचाई माइकोमाइनर सिंचाई योजनायें :- यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत परकोलेशन टैंक, लघु, सिंचाई तालाब तथा वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण किया जाता है।
- 3.4.14 नलकूप स्थापना पर अनुदान :— यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत नाबार्ड द्वारा अनुमोदित दर पर नलकूप खनन (सफल/असफल) पर 50 प्रतिशत या रूपये 10,000 जो भी कम है अनुदान देय है। सफल नलकूप पर पंप प्रतिस्थापन हेतु 50 प्रतिशत या रूपये 15,000 अनुदान जो भी कम हो देय है।
- 3.4.15 मू—जल संवर्धन योजना :— यह योजना वर्ष 2008—09 से लागू है। यह योजना जहां भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे चला गया है वहां कूप एवं नलकूप के पुर्नभरण कार्य द्वारा भू—जल संवर्धन किया जाता है। यह योजना सभी श्रेणी के लघु सीमांत एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 5000 अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
- 3.4.16 आईसोपाम विकास योजना :- यह भारत सरकार की 75:25 अनुपात की योजना है। इसके अंतर्गत दलहन, तिलहन एवं मक्का फसलों के क्षेत्र में वृद्धि तथा उत्पादन उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित है। उन्नत बीज वितरण उन्नत तकनीकी प्रदर्शन, खंड प्रदर्शन, सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर तथा पाईप आदि आदान सामग्री के उपयोग से कृषकों को इसकी खेती हेतु प्रोत्साहन किया जाना योजना का प्रमुख उद्देश्य है।
- 3.4.17 सघन जिला कपास विकास कार्यकम :- यह भारत सरकार की 75:25 अनुपात की योजना है। राज्य में कपास की खेती को बढ़ावा देने हेतु योजना कियान्वित किया जाना है।
- 3.4.18 माईकोमेनेजमेंट वर्किंग प्लान :--यह भारत सरकार की 90:10 अनुपात की योजना है। योजनांतर्गत एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम, सतत गन्ना विकास कार्यक्रम, उर्वरकों के संतुलित एवं समन्वित उपयोग, राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र परियोजना, नदी घाटी एवं बाढ़ उन्मुख योजना, न्यु इंटरवेशन एवं कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहन योजना कियान्वित है।

- 3.4.19 सूक्ष्म सिंचाई योजना :— यह योजना सिंचाई पानी के बेहतर उपयोग एवं उद्यानिकी तथा नगदी फसलों को बढ़ावा देने हेतु सभी श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषकों को 70 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 5 हेक्टेयर हेतु अनुदान देने का प्रावधान है।
- 3.4.20 राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना :— यह भारत सरकार की शत प्रतिशत सहायता योजना है। योजनांतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभागीय कृषि प्रक्षेत्रों पर अ.जा./अ.ज.जा कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

नक्सलवाद से प्रभावित ग्रामों का फसल कार्यकम :- कृषि विभाग द्वारा नक्सलवाद प्रभावित अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान हेतु नक्सलवाद से प्रभावित ग्रामों में फसल कार्यकम योजना कियान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2007-08 से दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले में नक्सलवाद के कारण कृषक अपने गांव एवं अपनी कृषि भूमि से दूर विशेष शिविरों में रह रहे है उन्हें कृषि कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजनांतर्गत जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों को निःशुल्क बीज एवं ट्रेक्टर जुताई हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2008-09 में धान एवं मक्का के कुल 2425.80 क्विंटल बीज क्विरण किया गया है तथा 1994.95 एकड़ में जुताई की गई है। वर्ष 2009-10 हेतु धान 2650 क्विंटल तथा मक्का 122 क्विंटल बीज वितरण तथा 2040 एकड़ में जुताई का कार्यकम लिया गया है।

3.5 पशुपालन विभाग

निजी संस्थाओं के माध्यम से जे.के.ट्रस्ट द्वारा रायपुर एवं महासमुंद जिले के 2 विकास खंडों में 200 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के माध्यम से नस्ल सुधार कार्यक्रम किया जा रहा है। जिससे अच्छे नस्ल के पशुओं से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। वर्ष 2008—09 में 68,139 कृत्रिम गर्भाधान, 11,947 वत्स उत्पादित हुए।

- 3.5.2 बैल जोड़ी ग्रामीण अंचल में निवासरत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों को कृषि कार्य में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे परिवारों जिनके पास कृषि भूमि उपलब्ध है, उन्हें नि:शुल्क बैलजोड़ी प्रदाय की अभिनव योजना शासन द्वारा प्रारंभ की गई है। बैलजोड़ी प्रदाय हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में 09 सदस्यीय समिति गठित की गई है। प्रदेश के अनुसूचित जनजाति विकासखण्डों में 20,213 बैलजोड़ी वितरित की गई।
- 3.5.3 वैकयार्ड कुक्कुट पालन —राज्य में कुक्कुट पालन एक पारंपरिक व्यवसाय है। जिसे और अधिक लाभप्रद बनाये जाने की मुहिम जारी है। कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने तथा बीपीएल परिवारों की आय में वृद्धि के लिए उक्त योजना अंतर्गत 4334 परिवारों को लाभान्वित किया गया जिससे प्रत्येक



- वार्षिक-प्रतिवेदन-2008--09

आदिवासी परिवार को औसतन रू. 3000 प्रति ईकाई का लाभ हुआ अर्थात कुल रू. 130.02 लाख का लाभ हुआ।

- 3.5.4 सूकरत्रयी योजना :-- अनुसूचित जनजाति के सूकर पालको को विनिमय के आधार पर सूकरत्रयी एवं सूकर वितिरत किये जाते है। योजना अंतर्गत 144 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। प्रत्येक हितग्राही को औसतन रू. 10,000 की सालाना आय होती है।
- 3.5.5 बकरी पालन योजना :—अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रो में बकरी पालको को विनिमय के आधार पर बकरी प्रदाय योजना अंतर्गत 261 हितग्राहियों को लाभान्वित क्रिया गया है। इस योजना से औसतन रू. 5,000 सालाना की आय होती है।
- \$.5.6 एकीकृत पशुधन विकास परियोजना :—बस्तर संभाग में बस्तर एकीकृत पशुधन विकास परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में पशुपालन एवं उद्यानिकी से संबंधित प्रशिक्षण किया जाता है। जिससे आदिवासी परिवार आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर पशुपालन एवं उद्यानिकी में उन्नति कर रहे हैं।

3.6 मत्स्योद्योग विभाग

- 3.6.1. जलाशयों तथा निदयों में मत्स्योद्योग विकास :— मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने तथा मत्स्य प्रजनन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से आदिवासी क्षेत्र के विभागीय जलाशयों का प्रबंधन एवं मत्स्य पालन विकास मत्स्योद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है। राज्य में प्रवाहित निदयों में प्रगहण मात्स्यिकी (केंच्यर फिशरीज) अन्तर्गत अत्यल्प हो गये मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु इन निदयों में उत्तम गुणवत्ता वाले मत्स्य भण्डारण को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से आदिवासी बाहुल्य बस्तर क्षेत्र के इन्द्रावती तथा सबरी नदी में प्रतिवर्ष मत्स्य बीज संचयन कार्यों के लिए अन्य प्रभार, अनुरक्षण एवं लघु निर्माण मद में व्यय करने का प्रावधान होता है। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में 21.87 लाख रू. का व्यय किया जाकर उन्नत किस्म के 71.07 लाख स्टेफाई का संचयन कर जलाशयों एवं निदयों में मत्स्योद्योग विकास किया गया।
- 3.6.2. मत्स्य बीज उत्पादन :— आदिवासी क्षेत्र के विभागीय मत्स्य बीज उत्पादन इकाईयों से वैज्ञानिक तकनीक पर मत्स्य बीज उत्पादन कर विभागीय व निजी क्षेत्र की मत्स्य बीज मांग की पूर्ति करना योजना का मुख्य उद्देश्य है। उत्पादित मत्स्य बीज का उपयोग विभागीय जलाशयों/निदयों में संचयन आदि के अतिरिक्त निजी मत्स्य पालकों, सहकारी संस्थाओं आदि को विकय हेतु किया जाता है। इसके अन्तर्गत अन्य प्रभार मद में मत्स्य बीज उत्पादन, संवर्धन, संचयन एवं प्रबन्धन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। अनुरक्षण मद के अन्तर्गत बिजली, पानी आदि की व्यवस्था की जाती है। लघु निर्माण मद में विभागीय हैचरियों, फार्म तथा फार्म पर स्थित अन्य अद्योसंरचना की

वार्षिक प्रतिवेदन २००८–०९,

मरम्मत आदि के लिए राशि व्यय की जाती है । आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक पर विभागीय तौर पर मत्स्य बीज उत्पादन के लिए विभागीय मत्स्य बीज हैचरी फार्म तथा फार्म पर स्थित नवीन अद्योसंरचना निर्माण के लिए वृहद निर्माण मद अन्तर्गत राशि व्यय की जाती है। योजना अंतर्गत 3075 लाख स्पान तथा 1485 लाख स्टे फाई का उत्पादन कर अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

- 3.6.3. मत्स्य सहकारी समिति के सदस्यों का दुर्घटना बीमा :— केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत केन्द्रः राज्य के 50: 50 के आनुपातिक अंशदान से योजना संचालित होती है। योजनान्तर्गत मत्स्य जीवी दुर्घटना बीमा के संबंध में वार्षिक बीमा प्रीमियम राशि रू. 14.00 प्रति हितग्राही के मान से (केन्द्र व राज्य का बराबर—बराबर अंशदान अर्थात् रू. 7.00 केन्द्रांश तथा रू. 7.00 राज्यांश) व्यय का प्रावधान है। राज्यांश राशि रू. 7.00 प्रति हितग्राही के मान से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "फिशकोपफेड" नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है। फिशकोफेड केन्द्रांश राशि रू. 7.00 प्रति हितग्राही राज्यांश राशि में जोड़कर सीधे बीमा कम्पनी को जमा कराती है। अनुसूचित जन जाति वर्ग के मछुआरों का मत्स्य पालन/मत्स्याखेट के दौरान दुर्घटना की स्थिति में अस्थाई अपंगता पर रू. 25,000/— तथा स्थाई अपंगता अथवा मृत्यु पर रू. 50,000/— का बीमा लाभ प्राप्त होता है। वर्ष मे 25,000 हितग्राहियों को बीमित किया गया।
- 3.6.4 शिक्षण—प्रशिक्षण (राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण):— आदिवासी वर्ग के प्रगतिशील मछुआरों को जन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु देश के अन्य राज्यों में अपनाई जा रही मछली पालन तकनीकी से परिचित कराने के उद्देश्य से प्रति मछुआरा रू. 2000/— की लागत पर 10 दिवसीय अध्ययन भ्रगण प्रशिक्षण पर व्यय किया जाता है। स्वीकृत योजनानुसार प्रति प्रशिक्षणार्थी रू. 750/— शिष्यवृत्ति रू. 1000/— आवागमन व्यय तथा रू. 250/— विविध व्यय का प्रावधान है। योजना अंतर्गत 45 जन्नत मछली पालकों को राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण हेतु भेजा गया।
- 3.6.5. मत्स्य पालन प्रसार क्र अनुसूचित जन जाति के मत्स्य पालकों को मीठे जल में पॉलीकल्बर झींगा पालन तथा आलंकारिक मत्स्योद्योग विकास के प्रसार योजनान्तर्गत नई योजना कियान्वित होगी जिसके तहत् हितग्राहियों को वस्तुविषय के रूप में कमशः रू. 15,000/- एवं 12,000/- का तीन वर्षों में आर्थिक सहायता (अनुदान) देना प्रावधानित किया गया है इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों को जलाशय में मत्स्याखेट हेतु नाव-जाल एवं उपकरण हेतु आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रू तक की आर्थिक सहायता देना प्रावधानित है।

योजना अंतर्गत 41.96 लाख रू. का व्यय किया जाकर 619 हितग्राहियों को आर्थिक सहायता/अनुदान दिया गया।

वार्षिक प्रतिवेदन-2008–09

- 3.6.6. मत्स्य पालन प्रसार (भीठा जल जीव पालन विकास अन्तर्गत म.कृ.वि.अमिकरण कार्यक्रम):— केन्द्र प्रवर्तित योजना तहत् केन्द्रः राज्य (75:25) के आनुपातिक अंशदान से योजना संचालित है, जिसके तहत् ग्राभीण क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आदिवासी हितग्राहियों को स्वरोजगार योजना हेतु प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, मत्स्य पालन हेतु तालाब पट्टे पर उपलब्ध कराना, स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण, हैचरी स्थापित करना, फीड—मिल स्थापित करना तथा एकीकृत मत्स्य पालन इकाई स्थापित करने के उद्देश्य से अनुमोदित इकाई लागत के मान से आर्थिक सहायता अनुदान मव से उपलब्ध कराई जाती है । स्थापना व्यय का वहन 100 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा किया जाता है जबिक योजना व्यय 75:25 (के:रा) के अनुपात में वहन किया जाता है। वर्ष 2008—09 में रू. 25:00 लाख व्यय किया जाकर योजना अंतर्गत 518 हितग्राहियों को दीर्घाविध तालाब पट्टा आबंटन तथा 211 हितग्राहियों को ऋण एवं 215 हितग्राहियों को अनुदान वितरण कर लामान्वित क्रिया गया।
- 3.6.7 शिक्षण और प्रशिक्षण :— आदिवासी वर्ग के मछुआरों को मछली पालन की तकनीक एवं मछली पकड़ने जाल बुनने सुधारने एवं नाव चलाने का प्रशिक्षण के तहत 15 दिवसीय रौद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यकम अंतर्गत अन्य प्रभार मद में राशि व्यय की जाती है। प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण व्यय रू. 1250/— स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत रू. 50/— प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी के मान से शिष्यवृत्ति रू. 400/— की लागत मूल्य का नायलोन धागा तथा रू. 100/— विविध व्यय अंतर्गत शामिल है। वर्ष 2008—09 में 8.14 लाख व्यय किया जाकर 652 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- 3.6.8. मछुआ सहकारिता :— आदिवासी मछुआरों की पंजीकृत मछुआ सहकारी सिमितियों को मछली पालन हेतु सहकारिता के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीर्घ अवधि के लिए पट्टे पर उपलब्ध तालाब की पट्टा राशि, मत्स्य बीज, क्रय एवं संचयन, नायलोन धागा, डोंगा क्रय पर आयटमवार अधिकतम सीमा के अध्यगीन लगातार 3 वर्षों में रू. 25,000/— तक आर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदान किया जाने का प्रावधान है वर्ष 2008—09 में रू 2.20 लाख व्यय किया जाकर 24 सिमितियों के सदस्यों को लाभान्वित किया गया।

3.7 संस्कृति विभाग

अनुसूचित क्षेत्र में पुरखोती मुक्तांगन संग्रहालय के निर्माण एवं प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुक्तांगन हेतु राज्य के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों यथा जगदलपुर, सरगुजा के अतिरिक्त समीपवर्ती राज्यों के आदिवासी/अनुसूचित जाति के कलाकारों को आमंत्रित कर निरन्तर कार्यशालाएं आयोजित की गई।

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत विभाग की महत्वाकांक्षी योजना "मुक्तांगन संग्रहालय" का

्वार्धिकः प्रतिवेद्दनः २००४–००

कार्य प्रगति पर है इस संग्रहालय के माध्यम से राज्य के विभिन्न जनजातियों की सांस्कृति धरोहर, लोक नृत्य, भाषा एवं बोलियों, दृश्य कलाओं और पर्यावरण से संबंधित वातावरण बनाया जावेगा, इसमें विभिन्न हस्तिशिल्प जनजातियों के विभिन्न वाद्यों उनकी वेशभूषा विभिन्न उत्सवों आयोजन तथा विभिन्न जनजातियों द्वारा निर्मित कलाकृतियों का प्रदर्शन भी किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य आदिम जाति की रांरकारधानी है संस्कृति विभाग इनके उत्तरोत्तर विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील है। विभाग द्वारा आ.जा. एवं अ.जा. का अन्तर्राज्यीय सम्मेलन एवं आयोजन प्रस्तावित है। इसके लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी।

3.8 गृह विभाग (पुलिस)

- 3.8.1 नागरिक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम 1955 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कई विधायी सुरक्षा के उपाय किये गये हैं। राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों के उत्पीड़न का त्वरित निवारण करने के लिए पुलिस मुख्यालय में अ.जा.क.प्रकोष्ठ गठित किया गया है। यह प्रकोष्ठ अति. पुलिस महानिदेशक के अधीन कार्यरत है।
- 3.8.2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों के विचारण के लिए जिला रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर बिलासपुर एवं सरगुजा में विशेष न्यायालयों का गठन किया जाकर अ.जा.क. से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कर त्वरित निराकरण किया जा रहा है।
- 3.8.3 राज्य में 12 अ.जा.क. थाने कमशः जिला—रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, दन्तेवाड़ा, विलासपुर, रायगढ़ एवं सरगुजा, सूरजपुर, कबीरधाम, महासमुंद, जांजगीर में स्थापित किए जाकर कार्यरत् हैं, अन्य ६ जिलों में अ.जा.क प्रकोष्ठ स्थापित होकर संचालित है, प्रत्येक अ.जा.क. थाना एवं प्रकोष्ठ में उप पुलिस अधीक्षक की पदस्थापना की गई है ।
- 3.8.4 अ.जा. / ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 15 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों के लिए शासन द्वारा लोक अभियोजक नियुक्त किये गये हैं। साथ ही अ.जा. / ज.जा. (अत्याचार निवारण) के नियम—4 (1) के अनुसार विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ताओं के पेनल भी घोषित किये गये हैं।
- 3.8.5 अ.जा./ज.जा.(अत्याचार निवारण) अधिनियम—1989 की धारा 21 में नये प्रावधान के अनुसार अपराधों के अन्वेषण और विवेचना के दौरान साक्षियों को यात्रा व्यय एवं भरण—पोषण व्यय की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा आकरिमकता योजना नियम—1995 के नियम—15 के अंतर्गत की गई है।

वार्षिक प्रतिवेदन 2008–09

3.8.6 पुलिस द्वारा अत्याचार से पीडित व्यक्तियों के आर्थिक / सामाजिक एवं शैक्षणिक पुनर्वास एवं राहत हेतु आकस्मिकता योजना नियम 1995 जो मार्च 1998 से प्रभावशील है के अंतर्गत राहत प्रकरण तैयार कर स्वीकृति हेतु जिलाध्यक्षों को भेजे जाते हैं।

3.9 खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपमोक्ता संरक्षण विभाग

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का प्रमुख कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन कर कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकना, कृषकों की कृषि उपज का समर्थन मूल्य पर उपार्जन, लेव्ही चावल का उपार्जन, नाप—तौल की कमी से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन कर उपभोक्ताओं को न्याय प्रदान करना है।

- 3.9.1 अन्त्योदय अन्न योजना :—इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अति गरीब 7,18,900 परिवारों को रूपये 3.00 प्रतिकिलो की दर से प्रतिमाह 35 किलो चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। अन्त्योदय अन्न योजना के तृतीय विस्तार के अंतर्गत 1.49 लाख नवीन हितग्राही परिवारों के चिन्हांकन का कार्य राज्य में पूर्ण हो चुका है तथा नवीन सम्मिलित परिवारों हेतु अतिरिक्त चावल के आवंटन की मांग भारत सरकार से की गई है। उल्लेखनीय है कि, इस योजना के अंतर्गत राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों के समस्त पात्र परिवारों को विशेष अभियान चलाया जाकर सिमालित किया जा चुका है।
- 3.9.2 अन्नपूर्णा योजना :-इस योजना का उद्देश्य 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे वृद्ध निराश्रित व्यक्ति जो पेंशन हेतु पात्र हैं किन्तु उन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है, को 10 किलो निःशुल्क खाद्यान प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है।
 - अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से राज्य के 24,299 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।
- 3.9.3 अमृत नमक योजना :- छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक जनोन्मुखी बनाने तथा लक्षित समूह की दैनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए 26 जनवरी, 2004 से उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से बी.पी.एल. परिवारों को मात्र 25 पैसे प्रति किलो की दर से 2 किलोग्राम आयोडाईज्ड नमक वितरित करने की योजना लागू की गई हैं। इस योजना के लागू होने से जनजातीय परिवारों को नमक के बदले वस्तु विनिमय के नाम से किए जा रहे शोषण से मुक्ति मिली है। इस प्रकार यह योजना आयोडीन के अभाव में होने वाले घेंघा रोग जैसी घातक बीमारी से जनजातीय परिवारों की रक्षा के साथ-साथ उन्हें अतिरिवृत आय के अंतरण के रूप में दोहरा लाभ पहुंचा रही है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में रू. 16.15 करोड़ का बजट प्रावधान योजना अंतर्गत किया गया।

24 24

- 3.9.4 मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना :— वित्तीय वर्ष 2008—09 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लगभग 23 लाख निर्धन परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है, जिसमें 7.19 लाख अंत्योदय अन्न योजना के अति गरीब परिवार भी सम्मिलत है। भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए गरीब परिवारों की संख्या 18.75 लाख निर्धारित की गई है एवं इस संख्या के आधार पर ही खाद्यान का आबंटन दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2008—09 के दौरान सभी परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न आबंटन में वृद्धि करने हेतु निरंतर अनुरोध करने के बावजूद वृद्धि नहीं की गई। ऐसी स्थिति में राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को स्वयं के व्यय से रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया एवं अप्रैल 2007 में गुख्यगंत्री खाद्यान्न सहायता योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के द्वारा निम्न निर्धन वर्गों को लाभ हो रहा है :—
 - 01. वर्ष 2002 के ग्रामीण बी.पी.एल. सर्वे में सिम्मलित सभी परिवार।
 - 02. वर्ष 1991 एवं वर्ष 1997 के बी.पी.एल.सर्वे में सम्मिलित ऐसे राशनकार्डधारी परिवार जिनके नाम वर्ष 2002 के बी.पी.एल. सर्वे में आने से छूट गए है।
 - 03. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राही जिन्हे बी.पी. एल. अंत्योदय अन्न योजना अथवा अन्नपूर्णा योजना का राशनकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है।

इस प्रकार मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अप्रैल 2007 से लागू होने से राज्य के शेष निर्धन परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न वितरण प्रारंभ हो गया है।

- 1.9.8 कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान्न प्रदाय :— राज्य कें अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रावासों एवं आश्रमों में निवासरत छात्रों को बी.पी.एल दरों पर प्रति हितग्राही 15 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार की पूर्वानुमित से इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आबंटन से अन्नपूर्णा दाल—भात केन्द्रों को बी.पी.एल.उपभोक्ता दर पर चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।
- 3.9.9 सार्वजिनक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण :- वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान सार्वजिनक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंत्योदाय अन्न योजना, बी.पी.एल. योजना एवं अन्नपूर्णा योजना के राशनकार्डधारियों के चिन्हांकन उपरांत उन्हे राशनकार्ड जारी करते हुए, उनके नाम, निवास स्थान, बी.पी.एल. सर्वे सूची का कमांक, संलग्न उचित मूल्य दुकान की जानकारी सिहत राशनकार्ड का पूरा डेटाबेस तैयार किया गया, जो कि विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध है।
- 3.9.10 धान खरीदी का कम्प्यूटरीकरण :- वर्तमान खरीफ वर्ष 2007-08 में राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूवी व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत कर दिया है। धान खरीदी की व्यवस्था के

- वार्षिक प्रतिवेदन-2008–09-

कम्प्यूटरीकरण के कारण प्रतिदिन किसानों से होने वाली खरीदी की जानकारी राज्य शासन को तत्काल उपलब्ध हो रही है। राज्य के प्रत्येक जिले के किसान, जिसके द्वारा धान का विकय इस सापटवेयर के माध्यम से किया गया है, उसकी जानकारी खाद्य विभाग की वेबसाईट में हर नागरिक के अवलोकन हेतु उपलब्ध है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार शिकायत निवारण एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के खाद्य विभाग को आनलाईन धान खरीदी के प्रोजेक्ट के लिए नेशनल ई— गवर्नेस के कांस्य पदक का अवार्ड दिया गया है।

3.10 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

- 3.10.1 स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार :--राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुरूप स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु अल्माअटा घोषणा के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सेवा संरचना विकसित की गई है। जिसके अनुसार :--
- अ. आदिवासी क्षेत्र में 3000 की आबादी पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का मापदण्ड है।
- ब. आदिवासी क्षेत्र में 20,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का मापदण्ड है।
- स. आदिवासी क्षेत्र में 80,000 की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का मापदण्ड है।
- 3.10.2 संक्रामक रोगों की रोकथाम :—राज्य की भौगोलिक स्थितियों के मद्देनजर संक्रामक रोगों का प्रकोप विशेष रूप से डी.व्ही.डी. पीलिया एवं मस्तिष्क ज्वर हमेशा से रहा है जिस पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में एवं विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल के स्त्रोतों के अन्तर्गत कुओं, हेण्डपम्पों एवं पारंपरिक जल स्त्रोतों को चिन्हांकित कर ब्लीचिंग पावडर, क्लोरिन टेक्लेट से जल शुद्धिकरण करने का कार्य किया गया। प्रदेश के समस्त ग्रामों, मजरे/टोलों में डिपो होल्डर बनाकर उन्हें आक्रस्मिक उपचार हेतु प्रशिक्षित किया गया तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक जीवन—रक्षक औषधियां उपलब्ध करायी गई। 18 जिलों के समस्या मूलक एवं पहुंच विहीन ग्राम को चिन्हांकित कर वर्षाकाल के पूर्व ही आवश्यक औषधियों का भण्डारण किया गया। सूचना तंत्र को सशक्त करने के उद्देश्य से लिंक वर्करों को प्रशिक्षित कर ग्रामों में सूचना एकत्र करने एवं संचित करने के लिए तैनात किया गया है। महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर एवं खण्ड रतर पर काम्बेट टीमों का गठन एव नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये एवं इसके परिणामस्वरूप आम लोगों में इन बीमारियों की रोकथाम एवं इलाज के प्रति जागरूकता पैदा की गई।
- 3.10.3 जीवन ज्योति चलित चिकित्सालय योजना :- इस योजना के तहत प्रदेश के 48 आदिवासी



-वार्षिक प्रतिवेदन-2008=09≒

विकासखण्डों के लिए चलित चिकित्सालय स्वीकृत किये गये है। प्रायः देखा गया है कि आदिवासी हाट बाजारों में जरूर उपस्थित होते हैं, अतः बाजारों में ही चलित अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

3.10.4 इंदिरा स्वास्थ्य मितानिन योजना :— राज्य में, भौगोलिक रूप से कई गांव इतने दूर दराज में स्थित हैं कि इन तक रवास्थ्य सुविधाओं का पहुंचना कठिन हो जाता है, राज्य में 20,370 गांवों एवं लगभग 54,000 टोलों के लिए और 3818 उप—स्वास्थ्य केन्द्र है। इनमें से कई ग्राम एवं टोले बरसात में अगम्य हो जाते है। अतः स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाओं को जनोन्मुखी बनाने के लिए इंदिरा स्वास्थ्य मितानिन योजना की शुरूआत की गई है, जिससे दूर दराज के मजरे टोले में रहने वाले बच्चे—बूढ़े, महिला, पुरूष तथा अन्य पिछड़े वर्गों तक स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो सके। इस चिकित्सा व्यवस्था का उद्देश्य है कि लोगों की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान गांव के स्तर पर गांव के द्वारा ही किया जाये। इस योजना अंतर्गत 60,000 मितानिन प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन को मुख्यमंत्री दवा पेटी योजना अंतर्गत दवा किट उपलब्ध कराई जाती है जिसकी रिफलिंग प्रत्येक दो माह में की जाती है।

3.11 जनशक्ति नियोजन विमाग

छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना के समय संचालनालय के अधीन राज्य के 16 जिलों में 44 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें संचालित थी। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के उपरान्त वर्तमान में 18 जिलों में 88 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें संचालित है। इन संस्थाओं में भारत शासन श्रम मंत्रालय, महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण नई दिल्ली, शिल्पकार प्रशिक्षण योजनान्तर्गत 28— तकनीकी एवं 12— गैर तकनीकी व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि छः माह, एक वर्ष एवं दो वर्ष है। राज्य में रांचालित 88— शाराकीय औद्योगिक प्रशिक्षण रांस्थाओं में से 28 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में संचालित हैं जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 1222 आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है।

3.11.1 तकनीकी शिक्षा :- शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के मानव संसाधन को सुनियोजित विकास एवं दिशा देने के लिए राज्य शासन कृतसंकित्पत है। इस दिशा में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना, पॉलीटेक्निक विहीन जिलों में पॉलिटेक्निकों की स्थापना का प्रस्ताव, सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिकतम उपकरणों को संस्थाओं में उपलब्ध कराना, प्रयोगशालाओं का उन्नयन, अधोसंरचना का विकास, उद्योगों से तालमेल जैसे कार्यकम प्रमुख है। राष्ट्रीय स्तर के संस्थान यथा आई.आई.टी. की स्थापना करना। इण्डस्ट्री इंस्टीट्यूट को मूर्तरूप देना, एम.आई.एस. की स्थापना आदि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसमें राज्य, तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ आधार देने में सफल होगा।

्यार्षिक-प्रतिवेदन-२००८-०९

विभाग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए निम्न हितकारी योजनाएं प्रभावशील है :--

- बुक बैंक योजना :- इस योजना के तहत छात्र-छात्राओं को विषय से संबंधित पाठ्य-पुस्तकें प्रदाय की जाती है।
- 2. **ब्राईंग स्टेशनरी** :-- छात्र--छात्राओं को ब्राईंग सम्बंधित एवं अन्य स्टेशनरी सामग्री प्रदाय की जाती है।
- विशेष कोचिंग व्यवस्था :- इस योजना के अंतर्गत छात्रों हेतु संध्या कालीन कक्षाएं लगाई जाती है, ताकि छात्रों का अकादिमक स्तर उंचा उठ सके।
- 4. मशीन उपकरण/भवन निर्माण :— इस योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं को मशीन उपकरण क्रय करने एवं भवन निर्माण करने हेतु बजट प्रावधान किया जाता है।
- 5. छात्रवृत्ति :— शासकीय तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समस्त छात्र—छात्राओं के लिये बुक बैंक योजना, विशेष कोचिंग, ड्राइंग सामग्री एवं स्टेशनरी के प्रदाय की सुविधायें उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यकमों में अध्ययनरत छात्रों (जिनके माता/पिता की आय रू. 1.00 लाख तक) के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का प्रावधान है। बी.ई. पाठ्यकम में अध्ययनरत छात्रावासी छात्र—छात्राओं को ८४० रू. प्रतिमाह तथा गैर छात्रावासी छात्र—छात्राओं को ४३० रू. प्रतिमाह की छात्रवृत्ति आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है। इसी प्रकार पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रावासी छात्र—छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ६१० रू. प्रतिमाह तथा गैर छात्रावासी छात्र—छात्राओं को ४३० रू. प्रतिमाह की छात्रवृत्ति आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों को शिक्षण शुल्क में भी छूट है। राज्य शासन ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्रों ,जिनके पिता/माता की आय रूपये दो लाख प्रतिवर्ष तक है, पूरी शिक्षण शुल्क में छूट तथा रूपये ढाई लाख तक की वार्षिक आय के लिए शिक्षण शुल्क में आधी छूट प्रदान की गई है।

6. बेरोजगारी भत्ता :- बेरोजगारी भत्ता योजना 2 अक्टूबर 1995 से म०प्र० शासन द्वारा प्रारंभ की गई है जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्दों के माध्यम से कियाविन्त की जा रही है। जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शिक्षित बेरोजगार आवेदकों को दो वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। पूर्व में रू. 300/- प्रतिमाह



भत्ता दिया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के घोषणा के उपरांत दिनांक 01.04.2004 से रू. 500/- प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।

सलवा जुडूम में निवासरत युवकों / युवितयों को प्रशिक्षण :—प्रदेश के नक्सल प्रभावित अनुसूचित जनजाति के आवेदक जो सलवा जुडूम शिविरों में निवासरत हैं को भी शासन द्वारा अल्पकालीन प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार में नियोजित करने हेतु वर्ष 2008—09 के वजट में रूपये 50.00 लाख का प्रावधान किया गया हैं। संचालनालय द्वारा उपरोक्त राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा को हस्तांतिरत की गई है, तािक वे दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले में स्थित सलवा जुडूम शिविरों में निवासरत युवकों को अल्पकालीन प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार में स्थापित कर सके।

3.12 सहकारिता विभाग

आदिम जातियों के विकास तथा हितों के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही है:--

- 1. पैक्स/लेम्पस की अंशपूंजी में धनवेष्ठन।
- 2. लैम्पस के अंश क्रय हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को अनुदान।
- 3. अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को उपभोग/सामाजिक उपभोग ऋण।
- अल्पाविध कृषि ऋणों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को ब्याज अनुदान।
- आदिम जाति संस्थाओं की शाखाएँ खोलना (प्रबंधकीय अनुदान)।
- प्राथमिक विपणन समिति के अंश क्रय करने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को अनुदान।

इस तरह आदिवासी समुदाय के व्यक्तियों को सहकारिता के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें सहकारी बैंक, सहकारी विपणन समितियों, सहकारी संस्थाओं के सदस्य बनाना, समिति के माध्यम से अंशक्रय करने, सामाजिक उपभोग हेतु ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाकर उनका शोषण रोकना एवं उनका जीवन स्तर उठाने हेतु विभिन्न योजनाओं के लिये सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

3.13 समाज कल्याण विमाग

3.13.1 मद्य निषेध योजना :-समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मद्य निषेध (नशाबंदी) योजना मूलतः प्रचार-प्रसार की योजना है। अनुसूचित क्षेत्रों में नशा सेवन की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए जन

जागृति कार्यक्रम, रैली, नुक्कड़, नाटक, संगीत, प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं प्रश्नमंच तथा शासकीय/अशासकीय कलापथक दलों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों से समाज को अवगत कराकर नशाबंदी के पक्ष में वातावरण का निर्माण किया जाता है। राज्य में 2—नशा मुक्ति केन्द्र जिला रायपुर एवं दुर्ग में केन्द्रीय अनुदान से स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

- 3.13.2 समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशुल्क व्यक्ति अधिनियम 1995 के कियान्वयन के तहत निःशक्त बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुर्नवास संबंधी कार्यक्रम एवं किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत विधि अवरूद्ध एवं देखरेख की अपेक्षा रखने वाले बच्चों के लिए कार्यक्रम एवं संस्थाओं की स्थापना की जाती है।
- 1. विभाग द्वारा आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, अंध, मूक, बधिर शालाओं को अनुदान मद में 10 संस्थाओं को 500 हितग्राहियों के लिये अनुदान स्वीकृत कर कार्यवाही की गई है। एवं अंध, मूक, बाधिरों को वृत्तियां मद में निःशयत बच्चों को कक्षा अनुसार रू० 50/- प्रतिमाह से रू० 240/-प्रतिमाह तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- 2. सरगुजा जिले में बौद्धिक मंद बालिकाओं के लिये संचालित विशेष विद्यालय में अधिक से अधिक अनुसूचित जनजाति की बौद्धिक मंद बालिकाओं को लामान्वित करने का प्रयास किया गया है। इस योजना के माध्यम से 50 हितग्राहियों को निःशुल्क वस्त्र, चिकित्सा के साथ-साथ शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था संचालित की जा रही है।

3.14 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

3.14.1 स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना :- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता ऋण सहायता अनुदान के रूप उपलब्ध कराकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना क्रियान्वित की जा रही है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत दिए जाने वाला अनुदान परियोजना के प्रावधान का 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह राशि अधिकतम 7500/- होगी, परन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 50 प्रतिशत तक अधिकतम 10,000/- तक होगी। स्व-रोजगारी समूह के लिए अनुदान की राशि परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत हो सकेगा, जो रू. 1.25 लाख से अधिक नहीं होगी। सिंचाई परियोजना के लिए अनुदान राशि की कोई सीमा नहीं होगी। लाभान्वित हितग्राहियों में कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होंगे। वर्ष 2008-09 में इस योजना के अंतर्गत 661.20 लाख रू व्यय किये गये तथा कुल लाभान्वित परिवार 45,742 में 17,382 अनुसूचित जनजाति के लाभान्वित परिवार परिवार भी सिम्मिलत है।

- 3.14.2 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :- भारत शासन ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005-06 में पारित किया तथा उक्त अधिनियम में समस्त राज्यों को अपने राज्य हेतु ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तैयार करने कहा गया। इसके तहत 2 फरवरी 2006 से छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई है।
- 1. भूमि विकास।
- 2. बाढ़ नियंत्रण एवं ड्रेनेज सहित कार्यो का संरक्षण।
- 3. बारहमासी सड़क संपर्क।
- 4. कोई अन्य ऐसे कार्य जिसे केन्द्र सरकार राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित करें।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में योजना अंतर्गत 6541.36 लाख रू.व्यय किये गये तथा मार्च 2009 तक कुल 1243.18 लाख मानव दिवस का कार्य सृजित किया गया, जिसमें 513.64 लाख अनुसूचित जनजाति के सृजित मानव दिवस सिमालित है।

3.14 3 इन्दिरा आवास योजना :- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे आवासहीनों व जिनके पास रहने के लिए उपयुक्त आवास नहीं होते है, उन्हें आवास निर्माण हेतु शत-प्रतिशत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गयी है।

यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसमें भारत शासन तथा राज्य शासन द्वारा 75:25 के अनुपात में वित्त पोषण किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत कुल लाभांवित 29713 परिवारों में से 12738 अनुसूचित जनजाति परिवारों को आवास-गृह हेतु सहायता प्रदान कर लाभांवित किया गया है।

3.14.4 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :—गांव को सड़क सम्पर्क उपलब्ध कराने से होने वाले सामाजिक आर्थिक लाभ को मद्देनजर रखते हुए, सड़क सम्पर्क को अधिक से अधिक महत्व देने की आवश्यकता महसूस की गई है। अतः इसका उद्देश्य बसाहटों को ऐसी बारहमासी सड़कों के माध्यम से संपर्क देना है, जो सबसे कम लागत एवं न्यूनतम दूरी की हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य बसाहट को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाती है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2008-09 में 2112.53 लाख व्यय किये गये।

वार्षिक प्रतिवेदन 2008 09

3.15 आबकारी विमाग

- 3.15.1 आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1997 के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध लागू किए गए, जिसकी धारा 61—घ (2) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए आसवन द्वारा देशी मदिश का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात्—
- अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा देशी मदिरा का निर्माण उत्पादन केवल घरेलू उपयोग तथा सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर उपमोग के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
- 2. इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा का विक्रय नहीं किया जाएगा।
- इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मिदरा का कब्जे में रखने के प्रति गृहस्थी अधिकतम सीमा किसी भी समय 5 लीटर होगी।
- 3.15.2 इस प्रकार आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करने वाले आदिवासियों को स्वयं के उपभोग के लिए हाथमट्ठी से शराब बनाने की छूट है। एक परिवार द्वारा एक समय में 5 लीटर स्वयं के द्वारा विनिर्मित मदिरा रखी जा सकती है।
- 3.15.3 यदि किसी आदिवासी परिवार के विरूद्ध निर्धारित सीमा से अधिक मदिरा रखने अथवा अवैध रूप से मदिरा विक्रय करने की शिकायत प्राप्त होती है तो तत्संबंधी कार्यवाही हेतु पुलिस अथवा आबकारी विभाग के किसी भी कर्मचारी अधिकारी द्वारा तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जब तक कि उनके द्वारा ऐसे क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा जिले के कलेक्टर से इस संबंध में लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ली गई हो अर्थात किसी भी आबकारी अधिकारी / पुलिस अधिकारी द्वारा कलेक्टर अथवा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की पूर्व अनुमति के बिना किसी आदिवासी परिवार के विरूद्ध आबकारी अपराध के प्रकरण में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- 3.15.4 आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा 61—ड (2) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमित या अनुज्ञा के बिना कोई नवीन मिदरा दुकान नहीं खोली जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में मिदरा की नवीन दुकान खोलने के लिए संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमित अथवा अनुज्ञा आवश्यक है।

3.16 ग्रामोद्योग विभाग

रेशम ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित संरक्षणात्मक योजना का उद्देश्य निम्नानुसार है:-

- ।. ग्रामीण गरीब परिवारों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराना।
- बुनकरों की आवश्यकता अनुरूप रेशम धागा उत्पादन कराना।
- उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों को आर्थिक रूप से सक्षम करना।

प्रदेश में पालिक टसर प्रजाति एवं नैसर्गिक टसर प्रजाति पाई जाती है जिनके लिए निम्नानुसार योजनाएं संचालित है :--

पालित डाबा टसर ककून उत्पादन योजना-

टसर कृमिपालन का कार्य प्रदेश में परम्परागत है। इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा संरक्षण की निम्नानुसार नीति अपनाई गयी है:—

- साजा एवं अर्जुन पौधों पर टसर कृमिपालन हेतु हितग्राहियों को टसर कृमि के स्वस्थ समूह न्यूनतम
 दर पर उपलब्ध कराये जाते हैं।
- हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन विभाग द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है।
- हितग्राहियों द्वारा उत्पादित डाबा कोसाफल को विभाग द्वारा निर्धारित शासकीय दर पर क्रय कर लिया जाता है तथा उन्हें विपणन हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

नैसर्गिक प्रगुणन एवं कोसा उत्पादन योजना--

राज्य के साल वन खण्डों में नैसर्गिक रूप से टसर कोसा की एक प्रजाति पाई जाती है जिसे रैली कोसा के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रदत्त संरक्षणात्मक उपाय निम्नानुसार है:—

- साल बाहुल्य वन खण्डों में विभाग द्वारा नैसर्गिक बीज, प्रगुणन हेतु क्रमबद्ध छोड़े जाते हैं।
- 2. वित्तीय वर्ष में खुला बाजार विपणन व्यवस्था से हितग्राहियों को नैसर्गिक कोसाफलों की दरें गत वर्ष 0.80 पैसे की तुलना से रू. 1.00 से 1.20 प्रति कोसाफल प्राप्त हुए हैं।
- 3. स्थानीय स्व-रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु उत्पादित ककून से मूल्य अभिवृद्धि के अंतर्गत धागाकरण का कार्य स्व-सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश के साल बाहुल्य वस्तर संभाग में नैसर्गिक कोसाफल उत्पादित होता है। संभाग के गरीब आदिवासी इसे जंगल से तोड़कर स्थानीय बाजारों में विक्रय करते हैं, जिससे उन्हें रूपये 2,000 से 3,000 तक की अतिरिक्त आय प्राप्त हो जाती है।

ं वार्षिक-प्रतिवेदन-2008-09

कोसा उत्पादन में वृद्धि हेतु बस्तर जिले में कैम्प लगाकर टसर कृमि के अंडे तितिलयों को छोड़ा गया है, जिससे इनका नैसर्गिक प्रगुणन हो सके।

 इसके अतिरिक्त नैसर्गिक कोसा का प्रदेश में धागाकरण का कार्य केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा उन्नत तकनीकी के चरखों से प्रारंभ किया गया है।

3.17 जल संसाधन विभाग

3.17.1 आदिवासी उपयोजना :— आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत ऐसी सिंचाई योजनाएं शामिल की जाती है जिनसे कम से कम 50 प्रतिशत आदिवासी परिवारों को लाभ प्राप्त ो सके एवं उनका लाभान्वित होने वाला क्षेत्र योजना से कुल लाभान्वित होने वाले क्षेत्र का कम से कम पचास प्रतिशत हो। तदनुसार आदिवासी क्षेत्र में 463 लघु सिंचाई 3 मध्यम तथा 2 वृहद योजनाएं निर्माणाधीन है। वर्ष 2008—09 में आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 288.45 करोड़ का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध रू. 220.40 करोड़ व्यय किये गये।

एक मात्र वृहद परियोजना सोण्डूर जलाशय हेतु 5000 हेक्टे. सिंचाई क्षमता निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध 400 हेक्टेयर की लक्ष्य प्राप्ति हुई। 3—मध्यम परियोजनाओं हेतु सिंचाई क्षमता निर्माण का लक्ष्य 6075 हेक्टेयर था। कोसारटेड़ा, खरखरा, मोंहदीपाट एवं मोंगरा जलाशय में 4075 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है लघु सिंचाई योजनाओं से 12,925 हेक्टे. सिंचाई क्षमता के लक्ष्य के विरुद्ध 9025 हेक्टे. की उपलब्धि हुई है। इस प्रकार कुल 24,000 हेक्टे. सिंचाई क्षमता के लक्ष्य के विरुद्ध 13,500 हेक्टे. उपलब्धि हुई है।

3.18 लोक निर्माण विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य की सड़क नीति :--

छत्तीसगढ़ राज्य में अच्छी सड़कों का जाल स्थापित करने हेतु प्रदेश में "सड़क नीति" बनाई गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है :--

- प्रदेश के ग्रामीण अंचलों को विशेषकर जिला एवं जनपद मुख्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों, शिक्षण संस्थाओं, विभिन्न मंडियों, पर्यटन स्थलों तथा सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को सुगमता पूर्वक सड़क मार्ग से जोड़ना।
- छ०ग० राज्य को एक परिवहन विकसित क्षेत्र के रूप में स्थापित करने हेतु 2— उत्तर—दक्षिण एवं
 4—पूर्व—पश्चिम तीव्रगामी आवागमन कारीडोर की स्थापना करना।

			The part of the same of the sa		THE PERSON NAMED IN
				-	

.वार्षिकः प्रतिवेदनः २००८–००

- उत्पादन केन्द्रों एवं औद्यागिक केन्द्रों को सड़क मार्ग से जोड़ते हुए, प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति देना।
- औद्योगिक केन्द्रों को आपस में जोड़ने वाले मार्गों का विकास करना।
- 5. समस्त राष्ट्रीय राजमार्गों को दो—लेन में परिवर्तित करना, तथा प्रदेश के व्यस्ततम 3-राष्ट्रीय राजमार्गों को चार-लेन सड़क के रूप में परिवर्तित करना।

रणनीति :--

नीति के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शासन निम्नानुसार 4 प्रमुख बिन्दुओं पर कारगर पहल करेगी।

1. समन्वित सङ्कं विकास एवं प्रबंधन :--

प्रदेश के सामाजिक—आर्थिक विकास का प्रमुख आधार, समूह आधारित विकास को क्रियान्वित करना है। शासन इसकी पूर्ति हेतु सड़क नेटवर्क में वृद्धि एवं आवश्यक सुधार का कार्य करेगी।

- अ. तीव्रगामी आवागमन कारीडोर का विकास करना।
- आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों, जैसे औद्योगिक केन्द्रों, व्यापारिक केन्द्रों कृषि उपज मंडी इत्यादि को परस्पर जोड़ना।
- 2. निजी क्षेत्र की सहभागिता:--

सड़क विकास हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधनों की कभी की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्रों से सहभागिता की जायेगी। इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने हेतु शासन स्तर से निम्नानुसार पहल की जावेगी :--

- अ. निजी क्षेत्रों की सहभागिता हेतु मार्गदर्शिका का निर्धारण।
- ब. निविदा एवं चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- स. निजी क्षेत्र के प्रयासों को आवश्यकतानुसार वित्तीय सहयोग प्रदान करना।
- 3. वित्तीय संसाधनों का सृजन:--

राज्य शासन, प्रदेश के विकास हेतु समर्पित रूप से संसाधन सुनिश्चित करेगी, इससे न केवल सड़कों का व्यवस्थित संधारण होगा वरन् सडक परियोजनायें समायाविध में पूर्ण भी हो सकेगी। वार्षिकः प्रतिवेदन 2008-09

शासकीय संस्थाओं की दक्षता/क्षमता का विकास

शासन संस्थानों एवं विभागीय परियोजना निर्माण, संविदा क्रियान्वयन एवं परियोजना प्रबंधन के कौशल में वृद्धि हेत् दायित्वों का सुनिश्चियन करेगी।

आदिवासी उपयोजना :- आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2008-09 में कुल 101 सडक कार्य पूर्ण और 218 सड़क कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों के अंतर्गत 1805 कि.मी. सड़कों का निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया। इनके अलावा 56 पुल कार्य पूर्ण एवं 142 पुल कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार भवन कार्य के अंतर्गत 308 कार्य पूर्ण एवं 340 कार्य प्रगति पर है। उक्त सभी कार्य आदिवासी क्षेत्रों में किये जाने से वहां आवागमन की सुविधा सुलम होती है, जिसका प्रत्यक्ष लाम सभी निवासियों को होता है, और क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होता है। मंडी, उद्योग तथा व्यापार की गतिविधि बढ़ने से आदिवासियों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है। भवन कार्य के अंतर्गत स्कूल, आश्रम तथा अस्पताल बनने से आदिवासियों को सीधे लाभ मिलता है।

मुख्य योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

- सड़क एवं पुल कार्य (मांग संख्या-42) 1.
- नाबार्ड :- इस योजना में 5 सड़क कार्य पूर्ण किये गये तथा 1 सड़क कार्य वर्तमान में प्रगति पर है, (अ) कुल 35.73 कि.मी. सड़क निर्माण किया गया एवं 2-पुल कार्य पूर्ण एवं 1-कार्य प्रगति पर है। योजनांतर्गत वर्ष 2008-09 में रू. 2.35 करोड़ व्यय किये गयें।
- 275(1) के तहत :- इस योजना में 1-पुल कार्य पूर्ण एवं 4-प्रगति पर थे। वर्ष 2008-09 में इस योजना के तहत मात्र रूपये 1.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है जिसके कारण व्यय नहीं किया गया है।
- न्युनतम आवश्यकता कार्यकम के तहत :- इस योजना में ८४-सड़क कार्य पूर्ण किये गये तथा 198-सड़क कार्य प्रगति पर है इस योजना के अंतर्गत 1265 कि.मी. सड़क कार्य किया गया। इस योजना के तहत रू. 154.63 करोड़ का व्यय किये गये हैं।
- कॉरीडोर योजना के तहत :- इस योजना अंतर्गत 8-कार्य पूर्ण एवं 4-सड़क कार्य प्रगति पर रहें. जिसमें 135 कि.मी. निर्माण कार्य कराया गया, 5 पुल कार्य पूर्ण एवं 10 पुल कार्य प्रगति पर है। जिसमें रू. 20.68 करोड़ व्यय किये गये है।
- राज्य मार्ग :- इस योजना के अंतर 26.60 कि.मी. राङ्क का कार्य हुआ

र्गत 2 सड़क कार्य पूर्ण तथा 1 सड़क कार्य प्रगति पर है, जिसमें	•
है। जिसमें रू. 6.38 करोड़ का व्यय हुआ है।	
Training 36 minuted	

्वापिक प्रतिवेदन २००८-०९

- (ई) मुख्य जिला मार्ग :--इस योजना के अंतर्गत 2 सड़क कार्य पूर्ण तथा 4 सडक कार्य प्रगति पर है, जिसमें मात्र रू. 1.38 करोड़ का व्यय हुआ है।
- (ल) वृहत पुलों का निर्माण :- इस योजना के अंतर्गत 47 पुल कार्य पूर्ण तथा 128 पुल का कार्य प्रगति पर है तथा रू. 72.06 करोड़ व्यय किये गये है।
- (व) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के वृहत पुलों का निर्माण :--इस योजना के अंतर्गत 2 पुल का कार्य पूर्ण तथा 3 पुल का कार्य प्रगति पर है तथा इस पर रू. 2.06 करोड़ व्यय किये गये है। मांग संख्या --76 :--
- (अ) ए.डी.बी. सहायता के कार्य:—इस योजना के अंतर्गत ए.डी.बी. बैंक से ऋण प्राप्त कर राज्य की महत्वपूर्ण सड़कों का उन्नयन का कार्य किया जा रहा हैं वर्तमान में 10 सड़कों का कार्य प्रगति पर हैं जिसमें 335 कि.मी. का सड़क कार्य किया गया है। इस वर्ष रू. 75.57 करोड़ का व्यय किया गया है।
- 2. ' भवन कार्य (मांग संख्या –68)
- अ) मांग संख्यास —68 :— मांग संख्या 68 में भवन कार्यों के तहत 308 नग भवन पूर्ण किये तथा 340 नग कार्य प्रगति पर है, इस योजना पर वर्ष 2008—09 में रू. 53.08 करोड़ व्यय किया गया है। महत्वपूर्ण भवन जो इस योजना के अंतर्गत पूर्ण हुए है वह निम्नानुसार है :—
 - → 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,
 - → 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
 - → 9 आदिवासी छात्रावास,
 - → 53 शिक्षक आवासगृह,
 - → 24 हाईस्कूल (शैक्षणिक संस्थान)
 - → 27 नग विकासखंड शिक्षा अधिकारी भवन निर्माण
- 3.19 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

फर्जी जाति प्रमाण-पत्र रोकने के उपाय

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माधुरी पाटिल के निर्णय में दिए गए निर्देश के परिपालन में जाति प्रमाण-पत्रों की जांच हेतु अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र, उच्च स्तरीय छानबीन समिति को

वार्षिक प्रतिवेदन २००८-०९

फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई है। जिनमें से 30 प्रमाण-पत्र फर्जी पाए गए इनका जाति प्रमाण-पत्र, समिति द्वारा निरस्त करते हुए आरक्षित पद पर दी गई नियुक्ति निरस्त करने के लिए नियोक्ता विभाग को लिखा गया। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सेवाओं में नियुक्ति के पूर्व जाति प्रमाण-पत्रों की जांच एवं सत्यापन कराने पर विचार किया जा रहा है। ताकि वारतिक अनुराचित जनजाति के लोगों को रोकाओं में आरक्षण का लाभ मिल सके।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के परिपालन में छ.ग. राज्य में भी प्रमाण-पत्नों की जांच हेतु उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठित की गई है। समिति की संरचना निम्नानुसार है:-

जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति

. प्रमुख सचिव/सचिव

अध्यक्ष

आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास

2. आयुक्त/संचालक

उपाध्यक्ष

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था रायपुर

आयुक्त/संचालक

सदस्य/सचिव

आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास

छ.ग.रायपुर

4. संयुक्त संचालक (सोशियोलॉजी, एन्थ्रोपोलॉजी, इथनोलॉजी)

सदस्य

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

संस्थान, रायपुर

. अनुसंधान अधिकारी / सहायक संचालक (अनुसंधान)

सदस्य

(सोशियोलॉजी, एन्थ्रोपोलॉजी,)

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

रांखान, रायपुर

77

फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों की जांच की प्रक्रिया

फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों की जाँच हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के परिपालन में जाति प्रमाण-पत्र जाँच समिति द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाती है:--

- शिकायत जनता से प्राप्त होने / विभिन्न विभागों तथा माननीय उच्च न्यायालय से जांच हेतु प्राप्त होने पर प्रकरण का पंजीयन किया जाता है।
- 2. तत्पश्चात् नियोक्ता विभागं से संबंधित व्यक्ति की जाति प्रमाण-पत्र नियुक्ति आदेश एवं सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति मंगाई जाती है।
- 3. उपर्युक्त अभिलेख प्राप्त होने पर प्रारंभिक जांच की जाती है। यदि प्रकरण फर्जी है तो प्रमाण-पत्र धारक के मूल निवास, जिला के पुलिस अधीक्षक को प्रकरण अन्वेषण हेतु भेजा जाता है। अन्वेषण में फर्जी प्रमाण-पत्र धारक के पिता/पूर्वजों के राजस्व अभिलेख, शैक्षणिक अभिलेख या पिता सेवा में थे तो सेवा अभिलेख, जन्म पंजी में दर्ज जाति का अन्वेषण व प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित प्राम के कोटवार, सरपंच, पटेल तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के पंचों तथा फर्जी जाति प्रमाण-पत्र धारक के माता/पिता, रिश्तेदारों का बयान लेकर जाति प्रमाण-पत्र धारक से नृजातीय प्रपत्र अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा भराया जाता है।
- 4. यदि समिति के विशेषज्ञ के प्रारंभिक अन्वेषण में वास्तविक अनुसूचित जाति/जनजाति होना प्रतीत होता है तो नियोक्ता के माध्यम से नृजातीय अनुसूची संबंधित से भरवायी जाती है तथा पूर्वजों के मिसल अभिलेख या शैक्षणिक अभिलेख अथवा स्वयं के दाखिल—खारिज रिजस्टर की प्रमाणित प्रति साक्ष्य के रूप में मांगी जाती है।
- 5. पुलिस अधीक्षक के अन्वेषण रिपोर्ट एवं नृजातीय अनुसूची प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति को कारण बताओं सूचना जारी की जाती है एवं जवाब प्राप्त किया जाता है।
- 6. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए संबंधित को सिमित के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का अवसर दिया जाता है। इस संबंध में संबंधित ग्राम/कस्बे में इश्तहार भी जारी कराया जाता है।
- त्रिया जाता है।
 सिमिति के समक्ष जाति प्रमाण—पत्र धारक तथा विपक्ष को मौखिक एवं लिखित में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अन्वेषण प्रतिवेदन संबंधित द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं नृजातीय जानकारी के आधार पर सिमिति द्वारा निर्णय लिया जाता है। जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर उसे सिमिति द्वारा निरस्त किया जाता है।

े वार्षिक-प्रतिवेदन-2008–09

द्वारा वर्ष 2006-07 के विशेष पिछड़ी जनजाति के हाई स्कूल के बालकों को जेंट्स सायकल प्रदाय योजना प्रारंभ की गई हैं। वर्ष 2008-09 में निःशुल्क सायकल प्रदाय योजना अंतर्गत 19172+415 छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुई।

मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :-कक्षा 10वीं एवं 12वीं के बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 700 अनुसूचित जनजाति एवं 300 अनु. जाति विद्यार्थियों को रूपये 10,000/- का एकमुश्त पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। इस योजना का उददेश्य उच्च प्राप्तांकों के साथ कक्षा 10 वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं हेतु विद्यालयों में प्रवेश के समय आने वाली आर्थिक कठिनाइयों से सुरक्षा प्रदान करना है। वर्ष 2008-09 में 880 विधार्थियों को योजना से लाभान्वित किया गया है।

विशेष शिक्षण केन्द्र (कोचिंग) योजनां :--

विभागीय छात्रावास/आश्रम में प्रवेशित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गणित, विज्ञान, अंग्रेजी एवं वाणिज्य इत्यादि कठिन विषयों के लिये विशेष कोचिंग संचालित करके विषयवार प्रावीण्यता में वृद्धि एवं परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार लाना।विशेष शिक्षण केन्द्र हेतु शिक्षक की व्यवस्था विकासखंड स्तर पर गठित समिति द्वारा की जाती है। चयनित शिक्षकों को कक्षा 8वीं से 10 तक अध्यापन हेतु प्रति कालखंड (प्रति घंटा 75/- रू) एवं कक्षा 11वीं से 12वीं प्रति कालखंड (प्रति घंटा 100 रू) पारिश्रमिक देय।

वर्ष 2008-09 में 838 कोचिंग केन्द्र संचालित किये गये जिनमें अनु.जाति वर्ग के 8008 एवं अनु. जनजाति वर्ग के 24,117 कुल 32,090 विद्यार्थी लाभान्वित हुए तथा रूपये 120.00 लाख की राशि व्यय की गई।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनाः—विभाग द्वारा संचालित माध्यभिक आश्रम एवं प्री./पो.मैट्रिक छात्रावासियों को निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण केन्द्र पर कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सामग्री की व्यवस्था विभाग अथवा विभाग से अनुबंधित संस्था द्वारा की जाती है, एक शिक्षा सत्र में प्रशिक्षण की संचालन अवधि अधिकतम 6 माह वर्ष 2008–09 में 928 छात्रावास/आश्रमों में 43094 विद्यार्थियों को इस योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया तथा रूपये 250.00 लाख की राशि व्यय की गई।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना :- चिकित्सा सुविधा विहीन दूरस्थ क्षेत्रों में संचालित छात्रावासी विद्यार्थियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा गंभीर रोग/दुर्घटना की स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। योजना जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र विहीन मुख्यालय पर संचालित छात्रावास/आश्रमों में लागू

्वार्षिकः प्रतिवेदनः २००८–०० -

किया गया है। चिकित्सक की व्यवस्था जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाती है। चिकित्सक द्वारा माह में कम से कम दो बार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। अनुबंधित चिकित्सक को 50 सीटर संस्था के लिए 500 रू प्रति भ्रमण एवं 100 सीटर संस्था के लिए 800 रू प्रति भ्रमण मानदेय का भुगतान किया जाता है। योजना अंतर्गत वर्ष 2008-09 में 77 निजी चिकित्सकों से अनुबंध किया जाकर 823 संस्थाओं मे निवासरत 29,658 विद्यार्थियों को लामांवित किया गया।

आगमन मत्ता:—विभागीय पो.मे. छात्रावासों में प्रवेश होने वाले छात्र/छात्राओं को उनकी रूचि के अनुरूप दैनिक उपयोग की सामग्री (गद्दा, कंबल, चादर, मच्छरदानी, थाली, गिलास, कटोरी इत्यादी) क्य करने के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना। पो.मे. में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को प्रथम तीन वर्ष तक योजना के लाभ की पात्रता । प्रथम वर्ष में रूपये 800 द्वितीय वर्ष रूपये 250 एवं तृतीय वर्ष में रूपये 200 रू की आर्थिक मदद स्वीकृत की जाती है। वर्ष 2008—09 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 7181 विद्यार्थियों को रूपये 47.58 लाख एवं अनुसूचित जाति वर्ग के 3004 विद्यार्थियों को रूपये 19. 31 लाख की राशि वितरित की गर्यी।

जवाहर उत्कर्ष योजना :--

- (1) योजना का उद्देश्य :- अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु उत्कृष्ट निजी आवासीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिलाकर प्रतिस्पिधात्मक बनाना।
- (2) चयन के मापदण्ड :— पांचवी कक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले एवं दसवीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी योजना अंतर्गत लाभ लेने की पात्रता रखते हैं।
- (3) योजना प्रारंभ वर्ष :- जवाहर उत्कर्ष योजना वर्ष 2002-03 से प्रारम्भ की गई है।
- (4) गत वर्षों की प्रगति :- वर्ष 2008-09 तक इस योजना से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या 910 थी। इसके लिए कुल 950 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध था। इसमें से 925 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2009-10 में कक्षा छठवीं में अनुसूचित जनजाति के 150 विद्यार्थी एवं अनुसूचित जाति के 50 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। इसी प्रकार कक्षा ग्यारहवी में 37 विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति के एवं 13 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया।
- (5) योजनांतर्गत 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के कैरियर का विवरण :-

ः वार्षिकः प्रतिवेदनः 2008–09:

·	(2007-08 तक)	(2008-09 में)
इंजीनियरिंग	33	47
मेडिकल	16	02
विधि स्नातक	03	04
सी.ए.	03 ·	.02
वेटनरी	01	
फैशन डिजाइन	01	
योग	57	. 55

नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु अनुदान — अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की युवतियों को नर्सिंग पाठ्यकम में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2008—09 से प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की 140 तथा अनुसूचित जाति की 100 युवतियों को प्रवेश दिलाने का प्रावधान है।

वाहन चालक प्रशिक्षण योजना — अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन—यापन करने वाले परिवार के 8वीं उत्तीर्ण व्यक्तियों को वाहन चालक का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2008—09 से प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत 2000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है।

3.20 विधि एवं विधायी कार्य विभाग

विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के विकास/उत्थान हेतु विधिक सहायता तथा विधिक सलाह योजना संचालित की जा रही है।

अनुसूचित जनजातियों को विधिक सहायता तथा विधिक सलाह स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत, विधिक सहायता शिविरों का आयोजन, पेंशन लोक अदालत, पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र, अभिरक्षाधीन बंदियों की पैरवी हेतु विधिक सहायता अधिवक्ता योजना, जिला विधिक परामर्श केन्द्र, कारागर परिसर में विधिक सहायता योजना आदि के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है। उपरोक्त योजनाओं का उददेश्य निम्नानुसार है :--

वापिक प्रतिवेदन 2008-09

3.20.1 स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत :--

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा—19 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का प्रत्येक माह जिला एवं तहसील स्तर पर दो बार आयोजन अनिवार्यतःकिया जा रहा है।

लोक अदालत का आयोजन समाज के लोगों को सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया जाता है जिसमें आपसी समझाईश एवं सुलह के आधार पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणों का निराकरण कराया जाता है।

3.20.2 विधिक सहायता एवं सलाह :--

इस योजना के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला एवं बच्चो को विधिक सहायता तथा विधिक सलाह उपलब्ध कराई जाती है। इसके अंतर्गत निम्न व्ययों का भार शासन द्वारा उठाया जाता है जैसे— कोर्ट फीस, अधिवक्ता फीस, साक्षियों का व्यय, निर्णय आदेशों एवं अन्य कानूनी दस्तावेजों की सुसज्जित प्रतियों की प्राप्ति हेतु विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह सहायता तहसील न्यायालय जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय तक दी जाती है। इस योजना का उददेश्य समाज के निर्धन गरीब लोगों को उनके अधिकारों का लाभ निःशुल्क उपलब्ध कराना है।

3,20.2 विधिक साक्षरता शिविर :--

इस योजना के तहत् समाज के लोगों को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस उददेश्य की प्राप्ति हेतु विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन जिला एवं तहसील स्तर पर किया जाता है एवं प्रयास यह रहता है कि, शिविर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों, वनांचलों, आदिवासी क्षेत्रों में आयोजित किये.जावें।

3.21 जनसंपर्क विभाग

विभाग द्वारा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रांतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे जनकल्याणकारी कार्यकमों का व्यापक प्रचार -प्रसार निम्नानुसार किया गया : -

3.21.1 आदिवासी बाहुल्य जिलों के ग्रामों में कुल 576 सूचना शिविरों के आयोजन पर (प्रति शिविर 2,000 रूपये के मान से)कुल 11 लाख 52 हजार रूपये व्यय किया गया। ं वार्षिक-प्रतिवेदन-2008–09

संचालनालय द्वारा प्रशिक्षित नाचा दलों / कला मण्डलियों द्वारा शासन की योजनाओं से जुड़े प्रचार—प्रसार के कार्यकमों को आदिवासी परियोजना क्षेत्रान्तर्गत, नाचा कार्यकमों के माध्यम से छत्तीसगढ़ी, हल्बी, भतरी, गोंड़ी तथा सरगुजिया आदि स्थानीय बोलियों में नाचा कार्यकम तथा कठपुतली कार्यकम कराये गये। प्रति नाचा मण्डली को प्रति कार्यकम रूपये 2,000 (पूर्वानुसार जिसमें वाहन किराया, माईक, भोजन एवं मानदेख शामिल है) के मान से 106 नाचा दलों पर कुल 33 लाख 66 हजार रूपये व्यय किये गये। इन नाचा मण्डलियों से कुल 1683 कार्यकम करवाये गये। संचालनालय द्वारा प्रदेश स्तर पर चिलत छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिस पर 9 लाख 19 हजार 5 सौ रूपये व्यय किये गये। चिलत छायाचित्र प्रदर्शनी में शासन की योजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों की जानकारी छायाचित्रों एवं फलेक्स आदि के माध्यम से आदिवासी बाहूल्य क्षेत्रों में प्रचार—प्रसार किया गया। चिलत प्रदर्शनी के साथ शासन की योजनाओं संबंधी चलचित्रों का प्रदर्शन किया गया।

उपरोक्त योजनाओं के कियान्क्यन हेतु रामकृष्ण मिशन,नारायणपुर को एल.सी.डी. प्रोजेक्टर प्रदाय किया गया। जिस पर रूपये 5,60,690/-व्यय किये गये।

3.22. स्कूल शिक्षा विभाग

- 3.22.1 विभाग द्वारा संचालित मुख्य योजनाओं का संक्षिप्त विवरण-
- 1. कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय :- यह केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं इस योजना अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा बढ़ावा देने हेतु बालिकाओं हेतु आवासीय विद्यालय भवन निर्माण कराया जाता है।
- 2. नेपजेल (बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यकमं) :- यह केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं इस योजना अंतर्गत शत प्रतिशत बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा दिलाने, बालिकाओं के शिक्षा स्तर को सुधारने आदि के लिये सर्व शिक्षा अभियान से पृथक बालिकाओं के लिये एक अतिरिक्त योजना प्रारंभ की गई है।
- 3. पुस्तक बैंक की स्थापना :- इस योजनांतर्गत कक्षा 01 से 08 तक के समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती है।
- 4. सर्विशिक्षा अमियान :— यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इस योजना अंतर्गत 14 वर्ष के समस्त बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। इस योजना में शाला खोला जाना निर्माण कार्य व अन्य गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है।

वार्षिक प्रतिवेदन २००८–०९

- 5. विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यकम—प्राथमिक :— इस योजना में कक्षा 01 से 05 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है।
- 6. पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यकम—अपर प्राथमिक :- इस योजना अंतर्गत कक्षा 06 से 08 कक्षा में अध्ययरनत समस्त विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है।
- 7. नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक का प्रदाय हाईस्कूल :— इस योजना अंतर्गत हाईस्कूल में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदाय की जाती है।
- पुस्तकालय योजना :- इस योजना अंतर्गत हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं में लाईब्रेरी हेतु
 पुस्तकें प्रदाय किये जाने हेतु राशि का प्रावधान किया जाता है।
- 9. सूचना शक्ति योजना :- इस योजना अंतर्गत हाईस्कूल एवं उच्च, माध्य.शाला में अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क कम्प्यूटरं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- 10. सूचना एवं संचार तकनीकी :— इस योजना अंतर्गत राज्य की 1000 शालाओं में कम्यूटर प्रदान कर कम्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है।
- 11. सामाजिक शिक्षा कक्षाएं (साक्षरता) :- इस योजना अंतर्गत साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये राज्य व जिला स्तरीय कार्यालय के व्यय हेतु राशि का प्रावधान किया जाता है।
- 12. यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यकम :- इस योजना में यूरोपियन कमीशन से शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त होता है। इस योजना में नवीन योजना तथा पूर्व से संचालित योजना में से जिस राशि की कमी हो उस योजना की पूर्ति हेतु राशि का प्रावधान किया जाता है।

海海海海

अध्याय – ४

विकास कार्यक्रमों की समीक्षा

शासन के विभिन्न विभागों के लिए "आदिवासी उपयोजना" (TSP) के अंतर्गत बजट में प्रावधानित राशि / प्राप्त आवंटन एवं व्यय की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2008—09)

(राशि लाख रूपये में)

					White the Dark of the management of the state of the	ख रूपये में
क्र.	विभाग का नाम	मांग		ं राज्य आयोज	नि	
		संख्या	प्रावधन	आबंटन	व्यय	व्यय का
						प्रतिशत
1	2	3	. 4	5	6 .	7
1.	कृषि विभाग	41	9835.80	6599.55	6474.82	
	·	82	720.00	720.00	707.83	
	योग	1	10555.80	7319.55	7182.25	98%
2	उद्यानिकी	41	1159.50	734.94	732.16	
-	योग		1159.50	734.94	732.16	
3	पशुपालन एवं चिकित्सा सेवायें विभाग	41	3820.59	2633,82	2443.76	
	-	82	116.30	116.30	52.85	
	योग		3936.89	2750.12	2496.61	91%
4	मत्स्योद्योग विभाग	41	635.15	413.98	413.41	
		82	96.33	96.33	77.23	
	योग		731.50	510.33	490.71	96%
5.	सहकारिता विभाग	41	11580.00	8084.67	8084.67	
	ं योग		11580.00	8084.67	8084.67	100%
6.	वन विभाग	41	13145.00	12250.00	12148.65	
	योग		13145.00	12250.00	12148.65	99%
7	पंचायत एवं ग्राभीण विकास विभाग	41	19963.94	19963.94	14186.81	
	योग		19963.94	19963.94	14186.81	71%
8	ऊर्जा विभाग	41	4303.01	4303.01	4256.48	
	योग		4303,01	4303.01	4256.48	99%
9	ग्रामोद्योग विभाग(अ) रेशम उद्योग	41	252.66	252.66	221.03	
	योग		252.66	252.66	221.03	87%
	(व) हाथकरधा	41	190.43	190.43	128.87	
		82	5.50	5.50	0.00	
	योग		195.93	195.03	128.87	66%
	(स) खादीग्रामोद्योग	41	167.40	167.40	167.40	
	योग		167.40	167.40	167.40	100%
10	जल संसाधन विभाग	41	28845.00	28751.95	22040.32	
[योग		28845.00	28751.95	22040.32`	77%
11	खादा एवं नागरिक आपूर्ति	41	50552.41	50552.41	50162.72	
[ं योग		50552.41	50552.41	50162.72	99%
12	स्कूल शिक्षा विभाग	41	20888.50	20888.50	18128.41	
		82	1.00	1.00	0.00	
	मोग		20889.50	20889.50	18128.41	87%
		·	L			

== 48 ==

्वार्षिकः प्रतिवेदनः २००८–००ः

	ः विभागं का नाम मांग राज्य आयोजना						
क्र.	विभाग	का नाम	मांग				T-2277
			संख्या	प्रावधन	आबंटन	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	<u></u>	2	3	. 4	5	6	7
13	आदिग जाति, अ	नुसूचित जाति, पिछड़ा					
	वर्ग एवं अल्प सं	ख्यक कल्याण विभाग	41	52413.72	52413.72	42816.35	
			82	35992.70	35992.70	29854.00	<u></u>
			77	1500.00	1500.00	1500.00	
			योग	89906.42	89906.42	74170.35	82%
14	उच्च शिक्षा विभा	ग .	41	2095.75	2095.75	1041.89.	700/
		·	योग	2095.75	2095.75	1041.89	50%
15	जन शक्ति	(अ) तकनीकी शिक्षा	41	1559.20	604.65	375.80	
	नियोजन विभाग	(ब) रोजगार प्रशिक्षण	41	1770.90	1660.90	867.43	770/
			. योग	3330.01	2265.55	1243.23	55%
16	समाज कल्याण	विभाग	41	198.10	198.10	141.91	720/
			योग	198.10	198.10	141.91	72%
17	महिला एवं बाल	विकास विमाग	41	10390.43	10390.43	8606.56	
			82	11.00	11.00	10.01	020/
			योग	10401.43	10401.43	8616.57.	83%
18	लोक स्वास्थ्य प	रेवार कल्याण विभाग	41	9498.28	9498.25	8126.14	0604
	01.500000 00.000	योग		9498.28	9498.25	8126.14	86%
19	लोक निर्माण विग	गग	42	40034.00	40034.00	25961.81	
			68	10210.31	10210.31	5462.00	
			76	7500.00	7500.00	. 7557.53	(00/
			योग	57744.31	57744.31	38981.34	68%
20	योजना आर्थिक	एवं सांख्यिकीय	41	2000.00	2000.00	1902.81	
	(राज्य योजना)		योग	2000.00	2000.00	1902.81	95%
21	लोक स्वास्थ्य य	ंत्रिकीय विभाग	41	21013.47	21013.47.	17354.71	
["	्राक (बार्ट्स क	11/2/14 14 17 1	82	310.00	310.00	250.00	
			योग	21323.47	21323.47	17604.71	83%
22	चिकित्सा शिक्षा	विभाग	41	2609.31	2609.31	1699.67	
		WARRY	योग	2609.31	2609.31	1699.67	65%
23	संस्कृति विभाग		41	250.00	250.00	249.70	
-		200 000	योग	250.00	250.00	249.70	100%
24	नगरीय प्रशासन	एवं विकास विभाग	41	1564.00	1564.00	150.00	
			83	1115.25	1115.25	1115.25	
			योग	2679.25	2679.25	1265.25	47.22
25	वाणिज्य एवं उद्य	ोग	41	2900.00	2900.00	1202.99	
	-		योग	2900.00	2900.00	1202.99	41%
26	विधि एवं विधायी	कार्य	41	51.50	51.50	51.50	
			योग	51.50	51.50	51.50	100%
27	जनसम्पर्क		41	60.00	60.00	60.00	
		Ī	योग	60.00	60.00	60.00	100%
	महायोग			371321.37	361708.94	296785.15	82.05
L					-L	I	

्वार्षिकः प्रतिवेदनः 2008--09:

4.1 कृषि एवं उद्यानिकी विमाग

4.1.1 छ.ग. राज्य में विभिन्न स्त्रोतों से खरीफ मौसम में 12.82 हेक्टेयर सिंचाई उपलब्ध है जो निरा फसली क्षेत्र का 27 प्रतिशत है। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। अनुसूचित क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर कृषि एवं फल उत्पादन अन्य विकसित कृषि क्षेत्रों की तुलना में कम है। अनुसूचित क्षेत्रों में धान, मक्का कोदो इत्यादि फसलें मुख्य रूप से उत्पादित की जाती है। अतः अनुसूचित क्षेत्रों में कृषि के विस्तार के लिए उन्नत कृषि उपकरण, तकनीक का प्रयोग, उन्नत बीजों तथा जैव उर्वरकों के प्रयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

इस राज्य में कुल 32.55 लाख कृषक परिवार है जिसमें से 76 प्रतिशत लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति कृषकों की संख्या 32 प्रतिशत है।

4.1.2 वर्ष 2008-09 में कृषि विभाग को आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत 10555.80 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसके विरूद्ध 7182.25 लाख रूपये व्यय किया गया। विवरण निम्नानुसार है:-

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विमाग/ योजना का नाम	आवंटन	व्यय	लामान्वित अनुसूचित
				जनजाति के हितग्राही
अ.	आदिवासी उपयोजना			
1.	कृषक समग्र विकास योजना	456.00	408.62	/9555
2.	जनजागरण अभियान के लिये	50.00	44,95	2425
	शिविरार्थियों को प्रोत्साहन			
3.	भू जल संवर्धन	19.00	19,00	380 नलकूप
4.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3117.60	3069.68	
5.	शाकम्बरी	456.00	456,58	3810
6.	सूक्ष्म सिंचाई स्प्रिंकलर	200.00	200.00	255
7.	राष्ट्रीय कृषि बीमा	6.00	6.00	,
8.	आइसोपाम विकास योजना	449.81	447.54	114815
9.	मैकोमनेजमेंट वर्किंग प्लान	931.81	929.05	68284
10.	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	12.20	12.20	
11.	मशीन ट्रेक्टर योजना	56.00	53.48	9897 घंटे
12.	दण्डकारण्य बस्तर में मिट्टी परीक्षण	5.25	5.25	
	प्रयोग शाला की स्थापना			
13,	इं.गां.कृ.वि. रायपुर को अनुदान	300.00	300.00	
14.	वृष्टि छाया क्षेत्र की इंदिरा खेत	150.88	149.50	535
	गंगा योजना			

वार्षिक प्रतिवेदन २००८–०९

क्रमांक	विमाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय	लामान्वित अनुसूचित जनजाति के हितग्राही
	भें जो सबस्येन हा विंचार्र होन्स	720.00	707.83	2065
15.	लघु सिंचाई माइक्रोइनर सिंचाई योजना	720.00	707.65	2003
16.	नलकूप स्थापना पर अनुदान	288.00	287.21	1166
17.	कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	25.00	11.34	
18.	मिनी राईस मिल को अनुदान	76.00	74.02	
	योग	7319.55	7182.25	

4.1.3 उद्यानिकी

विभाग को वित्तीय वर्ष में आदिवासी मद अंतर्गत राशि रू.734.94 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था जिसके विरूद्ध रू. 732.16 लाख की राशि व्यय की गई। योजनावार राशि का विवरण निम्नानुसार है :--

क्रमांक	विमाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	मसाला विकास योजना	5.00	4.99
2.	आलू विकास योजना	6,00	5.92
3.	बड़े शहरों के आसपास साग–भाजी उत्पादन योजना	14.00	13.19
4.	घरेलु बागवानी की आदर्श गोजना	6.00	5.98
5.	अधिकारियों / कर्मचारियों को उद्यानिकी प्रशिक्षण	2.50	2.47
6.	सघन फलोद्यान विकास योजना	100.00	98.18
7.	नर्सरियों में उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यकम	66,00	65.99
8.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	335.44	335.44
9.	सूक्ष्म सिंचाई योजना	200.00	200.00
<u> </u>	योग	734.94	732.16

4.2 पशुपालन विभाग

4.2.1 वर्ष 2008-09 में आदिवासी उपयोजना मद में पशुपालन विभाग को रूपये 3936.89 लाख का आवंटन प्रदाय किया गया था। जिसके विरूद्ध रूपये 2496.61 लाख की राशि व्यय कर निम्न योजनायें संचालित की गई। वार्षिकः प्रतिवेदनः २००४–०९-

(रूपये लाखों में)

			(रूपय लाखा न
क्रमांक	विमाग / योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :		
1.	गौवंशीय योजना	1704.10	1664,34
2.	नवीन गहन पशु विकास परियोजना की स्थापना	38,00	37,79
3.	कुक्कुट प्रक्षेत्रों का विकास	90.00	86.80
4.	सूकर वितरण अनुदान	70,00	68.52
5.	नस्ल सुधार हेतु बकरों का वितरण	25.00	24.65
6.	बकरी प्रजनन इकाई चिकित्सालय/औषधालय	5,00	00
7.	बस्तर जिले में पंशुधन विकास	253.09	108.84
8.	पशु चिकित्सालय एवं औषधालय की स्थापना	78.30	15.06
9	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	486.63	490.61
	योग :	2750.12	2496.61

4.2.2 विमाग द्वारा राचालित योजनाओं की मौतिक उपलब्धियाँ निग्नानुसार है:-

क्रमांक	योजना का नाम	ईकाई	निर्घारित लक्ष्य	लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि	लामान्तित अनुसूचित जनजाति
1.	बैल जोड़ी का प्रदाय	संख्या	25000	20213	20213
2.	कुक्कुट प्रक्षेत्रों का विकास	कुक्कुट संख्या	10000	4334	4334
3.	सुकर वितरण अनुदान	हित.संख्या	976	144	144
4.	नस्ल सुधार हेतु बकरों का वितरण	वकरा संख्या	917	261	261

मत्स्य विभाग

- प्रदेश में जनजाति समुदाय के लोग पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने और खाने के शौकीन हैं। प्रदेश में मत्स्य पालन बढ़ाने एवं उनमें अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कई सकारात्मक प्रयास किये गये हैं।
- वर्ष २००८-०९ में क्रियान्वित विकास की विभिन्न योजनाओं का विवरण तथा वित्तीय प्रावधान का विवरण तथा वित्तीय एवं भौतिक उपलिक्षयां तालिका में प्रदर्शित है :--

वार्षिक-प्रतिवेदन २००८–००-

(रूपये लाखों में)

क्र.	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :		
1	जलाशय एवं नदियों में मत्स्य विकास	22.00	21.87
2	मत्स्य बीज उत्पादन	125.50	125.24
3	राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	0.90	0.90
4	. मत्स्य कृषकों को दुर्घटना बीमा	1.75	1.75
5	आदिवासी मत्स्य/पालकों को सहायता अनुदान	42.00	41.96
6	मत्स्य सहकारी समितियों को अनुदान	2.20	2.20
7	मत्स्य कृषकों का शिक्षण प्रशिक्षण	8.15	8.14
8	मत्स्य पालन प्रसार	44.00 .	25.00
9	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	263.83	263.65
,	योग '	, 510.33	490.71

मछली पालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :--

कमांक	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्घारित लक्ष्य	मौतिक उपलब्धि
1	जलाशय एवं नदियों में मत्स्य विकास	स्टेफाई संख्या 71.07		71.07
		(लाख में)		
2	मत्स्य बीज उत्पादन	स्पान (लाख में)	3075	3075
		स्टेफाई	1590	1485
3	राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	हित. संख्या	45	45 .
4	मत्स्य कृषकों को दुर्घटना बीमा	हित. संख्या	25000	25000
5	मत्स्य सहकारी समितियों को अनुदान	समिति संख्या	22	24
6	मत्स्य कृषकों का शिक्षण प्रशिक्षण	हितग्राही संख्य	652	652
7	मत्स्य पालन प्रसार	हित.संख्या	622	619
8.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	हित संख्या	432	432

ः वार्षिकः प्रतिवेदन-२००८--०९

4.4 सहंकारिता विभाग

- 1.4.1 जनजातियों में सहकारिता की मावना नैसर्गिक रूप से पायी जाती है। वनोपज संग्रहण, कृषि कार्य तथा गृह निर्माण कार्य में जनजाति समुदाय की सामूहिकता तथा सहकारिता की परंपरागत भावना आज भी परिलक्षित होती है। आधुनिक सहकारिता का स्वरूप व्यवसायिक है। यह जनजातियों की वर्तमान आर्थिक प्रतिस्पर्धा तथा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध हुआ है।
- 4.4.2 सहकारिता के अंतर्गत बैंकों तथा लैम्पस् के माध्यमों से आदिवासियों को उनके सामाजिक उपमोग के लिए बिना ब्याज ऋण तथा अग्रिम प्रदान किया जाता है। भूमि विकास बैंक तथा अन्य सहाकारी संस्थाओं से ऋण एवं अनुदान की पात्रता सदस्यों को होती है, अतएवं जनजाति व्यक्तियों को समिति की सदस्यता/अंशपूंजी क्रय करने हेतु ऋण तथा अनुदान दिया जाता है ताकि आधिकाधिक संख्या में जनजाति के व्यक्ति सहकारिता क्षेत्र से समुचित लाम प्राप्त कर सकें।
- 4.4.3 सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 के आदिवासी उपयोजना मद में विभाग को 8084.67 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरुद्ध 8084.67 लाख रूपये व्यय किये गये। विवरण निम्नानुसार है:--

क्रमांक	विमाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
आ.	आदिवासी उपयोजना :		
1	अनुसूयित जनजाति समिति को प्रबंधकीय अनुदान	6.00	6.00
2	विपणन समिति के अंश क्रय हेतु अनुदान	20.00	
3	विपणन सहकारी समिति गोदाम निर्माण अनुदान	6.00	6.00
4	विपणन सहकारी समिति गोंदाम निर्माण अनुदान हेतु ऋण	7.50	7.50
5	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लैम्पस	20.00	20.00
	के अंश क्य करने हेतु अनुदान		
6	कृषक ऋण राहत योजना	1888.51	1888.51
7	शक्कर कारखाने हेतु अंशपूंजी	1530.00	1530.00
8	सहकारी शक्कर कारखाना ऋण	4230.00	4230.00
9	वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा अनुसार आर्थिक सहायता	376.66	376.66
	योग	8084.67	8084.67

्वार्षिकः प्रतिवेदन् २००८–०९:

4.4.4 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :--

कमांक	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्घारित	भौतिक
			लक्ष्य	उपलब्धि
1.	अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के सदस्यों को	व्यक्ति संख्या	44444	44444
	लेम्पस के अंश हेतु अनुदान।			
2.	शक्कर कारखाने हेतु अंशपूंजी	संस्था	3	3
3.	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज	सदस्य	140000	121422
	अनुदान			
4.	बैद्यनाथन कमेटी अनुशंसा अनुसार आर्थिक सहायता	संस्था	142	142
5.	जनजाति सेवा समिति को प्रबंधकीय अनुदान	संस्था	240	240
6.	अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को विपणन के अंश	सदस्य	4000	4000
	क्य करने हेतु अनुदान			
		1		

4.5 वन विभाग

- 4.5.1 जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। जनजातियों को कृषि के पश्चात् सर्वाधिक आय वनों तथा वन उपजों से ही होती है। वन विभाग वन एवं वानिकी कार्य के अतिरिक्त वन ग्रामों की जनजातियों तथा विशेष जनजातियों के लिए कृषि, सिंचाई, पेयजल संबंधी कार्य भी क्रियान्वित करता है।
- 4.5.2 छत्तीसगढ़ में वनों के बेहतर प्रबंधन के लिए विभागीय ढांचे को पुनर्गठित किया गया है। उत्पादन वन मण्डलों तथा सामाजिक वानिकी मण्डलों को गुण—दोषों के आधार पर औचित्यपूर्ण परीक्षण कर नया सेटअप तैयार किया गया है। इससे अपेक्षा यह होगी कि वन विभाग का स्थापना व्यय कम होगा तथा योजनाओं के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध हो सकेगी।
- 4.5.3 वन विभाग को आदिवासी उपयोजना/विशेष केन्द्रीय सहायता केन्द्र प्रवर्तित योजना तथा विभागीय योजनांओं के अन्तर्गत मांग संख्या—41 में राशि 12250.00 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसके विरूद्ध राशि 12148.65 लाख रूपये व्यय किये गये।

र्षिकः प्रतिवेदनः २००८-

विवरण निम्नानुसार है:--

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विमाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1	2	3	4
1	बिगड़े वनों का सुधार	2100.00	2070.66
2	सामाजिक वानिकी (स्थापना)	150.00	. 149.90
3.	तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	175.00	170.66
4.	लघु वनोपज संघ को अनुदान (के.क्षेत्र.यो.)	200.00	251.00
5.	पर्यावरण वानिकी	550.00	549,50
6.	नदी तट वृक्षारोपण योजना	250,00	247.58
7.	पौधा प्रदाय योजना	60.00	60.17
8.	ग्राम वन समितियों के माध्यम से औषधि रोपण	575.00	569.39
9	लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना	200.00	193.86
10	अतिक्रमण व्यवस्थापन हेतु वृक्षारोपण	400.00	394.13
11.	सड़के तथा मकान निर्माण	500.00	494.34
12	बंस वनों का पुनरोध्दार	1400.00	1389.71
13	संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास	160.00	160.52
14	लाख विकास योजना	250.00	250.00
15	लघु वनोपज संग्राहकों की सामूहिक बीमा योजना	355.00	355.00
16	वन मार्गो पर रपटा/पुलिया निर्माण	600.00	597.21
17	कर्मचारी कल्याण योजना	100.00	99.48
18	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3200.00	3200.00
19	वन अधिकारों की मान्यता	950,00	850,56
	योग	12250.00	12148.65

वापिक प्रतिवंदन 2008-09

वन विभाग द्वारा संचालित योजना की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :--

कमांक	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्घारित लक्ष्य	मौतिक उपलब्धि	लामान्वित अनु.
				जनजाति	(मानव दिवर
1.	राज्य की आयोजना बिगड़े वनों सुधार	हेक्टर	92600	127550	534012
2.	सामाजिक वानिकी स्था. व्यय	हे.	500 हे.	1915 हे	38658
3.	अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	हे.	40440	11275	101544
	का कार्य				
4.	सड़के तथा मकान निर्माण	नग	100	150	72850
5.	पौधा प्रदाय योजना	लाख पौधे	9.80	11.90	15518
6.	हरियाली प्रसार योजना	लाख पौधे	8.50	55.91	24495
7.	नदी तट वृक्षारोपण	लाख पौधे	5.50	5.50	63,850
8.	बास वनों का पुनरोद्वार	हे.	14000	56000	358399
9.	ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघुवनोपज	हे.	76000	54000	145843
	/ औषधिरोपण				
10.	पर्यावरण वानिकी	पौध तैयारी	12100 हे.	2100 हे.	141713
٥		/ रखखाव	125 हे.	125 हे.	
11.	लघु वनोपज संग्राहकों की सामूहिक बीमा	सदस्य	17.50	22.00	000
	योजना	(लाख में)			
12.	वन मार्गो पर रपटा/पुलिया निर्माण	नग पुलिया	300	300	88010

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 4.6

इंदिरा आवास योजना :- योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन 4.6.1 करने वाले आवासहीन लोगों को आवास निर्माण के लिए शत-प्रतिशत आवासीय सहायता देकर निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है। योजना अन्तर्गत नये आवास योजना के लिए 35 हजार रूपये एवं उन्नयन के लिए 15 हजार रूपये प्रति आवास के मान से शत-प्रतिशत राशि हितग्राही को अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। केन्द्र एवं राज्य का अनुपात क्रमशः 75/25 प्रतिशत है।

वार्षिक प्रतिवेदन २००४–०९

- 4.6.2 क्रेडिट कम सब्सिडी: इस योजना के अन्तर्गत ऐसे ग्रामीण परिवार जिसकी वार्षिक आय रूपये 32,000 तक है लाभान्वित होते है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।
- 4.6.3 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :- इस योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 75:25 का है इस योजना की विशेषता निम्नानुसार है :-
- 4.6.3.1 योजना के क्रियान्वयन में ग्रुप/कलस्टर प्रोजेंक्ट/ऐप्रोच अपनाया जायेगा।
- 4.6.3.2 योजना अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में उपलब्ध संसाधन, स्थानीय कौशल और बाजार की उपलब्धता को दृष्टिगत् रखते हुए मुख्य गतिविधियों का चयन किया जायेगा।
- 4.6.3.3 ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में उद्यमों की स्थापना कर गरीबी उन्मूलन करना इस योजना का लक्ष्य है।
- 4.6.3.4 योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालें चयनित परिवार सहायता हेतु पात्र होंगे।
- 4.6.3.5 योजना अन्तर्गत जनजातियों के कार्यों हेतु रूपये 10,000 और समूह के लिए रूपये 1.25 लाख अनुदान सीमा निर्धारित है सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनुदान की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।
- 4.6.3.6 गठित समूहों में 50%समूह महिलाओं के लिए होंगें।
- 4.6.4 राजीव गाँधी जलग्रहण विकास कार्यक्रम :- कृषि उत्पादन पर सूखे के प्रभाव को कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्थायी अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, इस योजना का संचालन प्रदेश में किया जा रहा है।
- 4.6.5 विभाग को वित्तीय वर्ष में आदिवासियों के विकास के लिए योजनाओं के संचालन हेतु 19963.94 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त था जिसके विरूद्ध रू.14186.81 लाख व्यय किया गया। योजनावार विवरण निम्नानुसार है:--

्वार्षिक प्रतिवेदन+2008⊢09 हे

(राशि लाखों में)

,			(सारा लाखा न
क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :		
1.	इंदिरा आवास योजना	3550.74	3909.91
2.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	661.20	661,20
3,	एकीकृत पड़त भूमि	66.00	66.00
4.	राष्ट्रीय रोजगार गॉरेन्टी योजना	11400.00	6541.36
5.	प्रशासन योजना जिला स्तर	75.00	58.29
6.	जलग्रहण उपचार विशेष कार्यक्म	300.00	300.00
7.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	756.00	537,53
8.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	3125.00	2112.53
9	बेरोजगारी भत्ता	30.00	0.00
	योग —	19963.94	14186.81

4.6.6. पंचायत एवं ग्रामीण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :--

कमांक	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्घारित लक्ष्य	भौतिक	लामान्वित
				उपलब्धि	अनु. जनजाति मानव दिवस
1,	इंदिरा आवास योजना	आवास संख्या	29712	29713	12738
2.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	हितग्राही	49449	45743	17342
3.	एकीकृत पड़त भूमि	हेक्टेयर	92800	40475	15380
4.	राष्ट्रीय रोजगार गॉरन्टी योजना	लाख मानव दिवस	1243.18	1243.18	513.64
5.	जलग्रहण उपचार विशेष कार्यकम	हेक्टेयर	83729	34366	13059

4.7 ऊर्जा विभाग

4.7.1 आदिवासी उपयोजना एवं विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत रूपये 4303.01 लाख का आवंटन प्राप्त

वार्षिक प्रतिवेदन 2008-09

हुआ। आवंटित राशि के विरूद्ध रू. 4256.48 लाख व्यय किये गये। विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत व्यय तथा भौतिक उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है:--

(राशि लाखों में)

	•		<u> </u>
क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	अनुसूचित जनजाति के कृषकों के कुंओं तक विद्युत	21.00	21.00
	लाईन का विकास		្សា
2 .	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण	00,008	359.91
3.	किसान समृध्दि योजना (त्वरित ऊर्जा का विकास	950.01	1343.57
	પ્રशिक्षण हेतु अनुदान)		
4.	मजरों टोलो का विद्युतीकरण	49.00	49.00
5.	एकलबत्ती कनेक्शन	100.00	100.00
6.	कृषि पंपों का उर्जीकरण	300.00	300.00
7.	केडा को अनुदान सौर पम्प/बायोगैस	2083.00	2083,00
	योग—	4303.01	4256.48

4.7.2 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :--

कमांक	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्घारित	भौतिक	लामान्वित
			लक्ष्य	उपलब्धि	अनु.
					जनजाति
					हितग्राही
1.	अनुसूचित जनजाति के कृषकों के कुंओं	पम्प संख्या	49	49	49
	तक विद्युत लाईन का विकास				
2.	मजरो–टोला का विद्युतीकरण	मजरा-टोला	14	12	120
3.	एकल बत्ती कनेक्शन	एकलबत्ती	1000	6000	6000
:		कनेक्शन			
4.	किसान समृध्दि योजना	हितग्राही	1000	951	951
5.	उर्जा के गैर पारंपरिक उर्जा स्त्रोत के	बायोगैस	1200	1022	5110
	अंतर्गत अक्षय उर्जा विकास संस्थान को	संयंत्र	954	776	59685
	अनुदान				

ुवार्षिक प्रतिवेदनः2008–09

4.8 रेशम एवं ग्रामोद्योग

- 1.8.1 राज्य के अनुसूचित जनजाति परिवारों को डाबा पालित टसर, ककून का उचित मूल्य प्रदाय करने हेतु
 गुणवत्ता आधारित टसर कोसा क्रय पद्धित लागू की गई है तािक राज्य में गुणवत्ता युक्त ककून के
 उत्पादन के साथ—साथ, वनवासी टसर कृमि पालक हितग्राहियों को उनके परिश्रम के अनुरूप उचित
 मूल्य प्राप्त हो सके।
- 4.8.2 बस्तर, रायपुर एवं बिलासपुर संभाग में नैसर्गिक रूप से प्राप्त रैली एवं लिरेया कोसा का उत्पादन लगभग 5 करोड़ नग होता है, जिसके संग्रहण से लगभग 27,000 जनजातीय एवं वनवासी परिवार लाभान्तित होते हैं।

4.8.3 वित्तीय उपलब्धियाँ

वर्ष 2008-09 में आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत मांग संख्या-41 एवं 82 में टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम में प्राप्त आवंटन रूपये 252.66 लाख के विरूद्ध रूपये 477.50 लाख व्यय किये गये। योजनावार विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाखों में)

ादिवासी उपयोजना :- ाशिक्षण एवं अनुसंधान ोसर्गिक टसर, कोसा उत्पादन	8.25	8.25
		8.25
	ľ	
सिंगक टसर, कासा उत्पदिन	103.00	97.96
उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	55.91	29.44
गलित प्रजाति के कृषि पालको को ट्रेसर स्व समूह	70.00	69,89
नरण्डी रेशम विकास एवं विस्तार	15.50	15.49
ग—	252.66	221.03
	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम 55.91 गलित प्रजाति के कृषि पालको को ट्रेसर स्व समूह 70.00 प्ररण्डी रेशम विकास एवं विस्तार 15.50

= 61 =

वार्षिक प्रतिवेदन २००८-०९

4.8.4 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :--

कमांक	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्घारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि जनजाति	लामान्वित अनुसूचित
1.	पालित प्रजाति के पालकों को ट्रेसर	हित संख्या	11000	11160	7618
2.	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	हित संख्या	· 75	90	50
3.	नैसर्गिक टसर, कोसा उत्पादन	केम्प सं.	40	46	155
		हितग्राही सं.			
4.	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	हितग्राही सं.	600	670	670
5.	अरण्डी रेशम विकास एवं विस्तार	एकड़	100	99	246
		(पौध रोपण)			

व. ग्रामोद्योग (खादी ग्रामोद्योग) वर्ष 2008-09 में आदिवासी उपयोजना मद अन्तर्गत विभाग को 167.40 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा संपूर्ण राशि रू 167.40 लाख व्यय किये गये है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है :--

(राशि लाखों में)

		····		(dici elicii il)
क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय	लामान्वित अनु. जनजाति
				हितग्राही
1.	खादी बोर्ड को कच्चा माल की सुविधा हेतु सहायता	20.00	20.00	
2.	खादी वस्त्रों पर उत्पादन पर रिबेट	12.10	12.10	74
3	खादी बोर्ड की परिवार मूलक इकाई की स्थापना हेतु	132.00	132.00	2062
	सहायता			
4.	स्पिनिंग मिल हेतु अनुदान सहायता	3.30	3,30	87
	योग—	167.40	167.40	2323

___ 62 ___

,		
À		
3		
	_	
	•	*
	. ,	

्वार्धिकः प्रतिवेदनः 2008∸09

हाथकरघा :- वर्ष 2008-09 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 196.03 लाख का ₹. आवंटन प्राप्त हुआ था इसके विरूद्ध रूपये 128.57 लाख व्यय किया गया है।

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :		
1.	एकीकृत हाथकरघा विकास योजना	46.51	22.57
2	बाजार अध्ययन	10.00	10.00
3	रिवाल्विंग फण्ड	1.00	1.00
4	वित्तीय आधार सुदृढीकरण	2,50	0
5.	संरचना उत्पादन प्रकिया	3,00	. 0
6.	हस्तशिल्प विकास बोर्ड	132.92	95.30
,	योग ं	195.93	128.87

जल संसाधन विभाग

वर्ष 2008-09 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 28751.95 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था इसके विरूद्ध रूपये 22040.32 लाख व्यय किया गया है।

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :		
1.	हसदेव बांगा परियोजना 755.		671.84
2.	सोंढूर परियोजना	3000.00	1956.04
	मध्यम परियोजना नाबार्ड—		·
1.	खरखरा मोहदीपार	250.00	235.10
2.	मोंगरा	550.00	560.65
	मध्यम परियोजना आदिवासी		
1.	कोसारटेडा (ए.आई.बी.पी.)	1800.00	1196.86
2.	ल.सि.यो. नाबार्ड	9800,00	6821.28
3.	ल.सि.यो. (सामान्य)	8300.00	6363.43
4.	ल.सि.यो. सर्वेक्षण	270.00	272.30
5.	अपूर्ण सिं.यो. को पूर्ण करना अनुच्छेद 275 (1)	16.95	16.95
6.	एनिकट निर्माण	3010.00	3025.97
7.	खरखरा	1000.00	919.90
	महायोग	28751.95	22040.32

= 63 ==

	1		
-			
	- -		
-			

-- वार्धिक-प्रतिवेदन-2008-09

4.9.2 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :--

इकाई	निर्घारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
हेक्ट.	4500	2500
हेक्ट.	1950Ò	11000
	हेक्ट.	हेक्ट. 4500

4.10 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विमाग

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति दिभाग द्वारा छ.ग. में मुख्यतः निम्नानुसार कार्य कराये जाते है:-

- 4.10.1 प्रदेश के उपभोक्ताओं को शक्कर, खाद्यान्न, मिट्टी तेल आदि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियत दरों पर उपलब्ध कराना अर्थात् सार्वजनिक वितरण प्रणाली लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन कराना।
- 4.10.2 आवश्यक वस्तु अधिनियम--1955 के अंतर्गत बने विभिन्न नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन एवं परिपालन कराना।
- 4.10.3 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 का क्रियान्वयन।
- 4.10.4 केन्द्रीय शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान, ज्वार, मक्का, बाजरा तथा गेहूँ का उपार्जन करना, ताकि कृषकों को उनकी कृषि उपज शासन द्वारा घोषित रागर्थन मूल्य रो कम दर पर न बेचना पड़े।
- 4.10.5 छत्तीसगढ़ चावल अधिप्राप्ति (उद्ग्रहण) आदेश 2001 के तहत शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार चावल मीलों से लेबी चावल का उपार्जन।
 - वर्ष 2008-09 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 50552.41 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था इसके विरूद्ध रूपये 50162.72 लाख व्यय किया गया है

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय :
1.	आदिवासी जिलो में रियायती दर पर नमक वितरण	485.25	485.25
2.	पंचायतो को उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु ऋण	7.50	0
3.	अन्नपूर्णा योजना	73.00	0
4.	अंत्योदय अन्न योजना	764.86	455.67
5.	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	35921.80	35921.80
6.	नागरिक आपूर्ति निगम को रिवाल्विंग फंड हेतु ऋण	5700.00	5700.00
7.	मार्कफेड को ऋण	7600.00	7600.00
	योग	50552.41	50162.72

्र वार्षिकः प्रतिवेदनः २००८–०९ः

4.11 स्कूल शिक्षा विमाग

4.11.1 वर्ष 2008 09 में स्कूल शिक्षा विभाग को आदिवासी उपयोजना एवं विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 20889.47 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ था। इसके विरूद्ध 18128.41 लाख रूपये का व्यय किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है:--

(राशि लाखों में)

क्रमांक	मांग संख्या	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	41	सर्व शिक्षा अभियान	10000.00	10000.00
2.	_"_	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक	80,00	79.00
3.	-''-	पुस्तक बैंकों की स्थापना	1330.00	1330.00
4.	_"_	सूचना एवं संचार तकनीकी	1251.25	473,96
5.	-"-	सामार्जिक शिक्षा कक्षाएं (राज्य+केन्द्र)	50.00	32.00
6.		कस्तूरबा गांधी आवासीय योजना	446.57	446.57
7.		एन.पी.ई.जी.एल.	153,40	40.00
8.		सूचना शक्ति योजना	400.00	292.58
10.	Name of Street, Street	गध्यान्ह भोजन कार्यकग	4300.00	3317.65
11.	_''-	यूरोपियन कमीशन	2548.25	1825.07
12		पुस्तकालय योजना	330.00	291.59
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		योग	20889,47	18128,41

ेवार्षिक प्रतिवेदन २००४–०७

4.11.2 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की उपलब्धियों निम्नानुसार है :-

योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्घारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
पुस्तक बैंकों की स्थापना	ভার	18,000,00	18,000,00
मध्यान्ह भोजन कार्यकम	ডার	903180	903180
इंदिरा सूचना शक्ति योजना	छात्राएं	56614	56614
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का प्रदाय	विद्यार्थी	1500	1500

4.12 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विमाग

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, द्वारा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विभागीय कार्यक्रमों में शैक्षिक योजनाएं प्रमुख हैं। विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र/अनुसूचित क्षेत्रों में शालाओं के संचालन के साथ पूरक शैक्षिक योजनाएं, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण, आवासीय संस्थाओं का संचालन एवं शैक्षिक प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए आर्थिक सहायता एवं सामाजिक विकास की कतिपय योजनाएं भी संचालित की जा रही है।

अनुसूचित जनजाति के उत्थान में स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसी संस्थाओं को विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है जो इन वर्गों के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन करती है।

वर्ष 2008-09 में संचालित प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:--

4.12.1 शैक्षिक संस्थायें -: आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विभाग द्वारा किनष्ठ प्राथमिक शाला से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शालाएं संचालित की जा रही है। इन शालाओं के अतिरिक्त शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए विशिष्ट आवासीय शैक्षिक संस्थाओं का संचालन भी किया जा रहा है।

्वार्षिकः प्रतिवेदन् ,2008–09ः

विभाग द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :--

क्रमांक	संस्थाओं का प्रकार	ं संस्थाओं की संख्या
1.	प्राथमिक शाला	16941
2.	माध्यमिक	6202
3.	हाईस्कूल	426
4	उच्चतर माध्यमिक शाला	604
5.	आदर्श उच्च्तर मा.शा. (बालक)	05
6,	कन्या शिक्षा परिसर	05
7.	एकलव्य आवासीय विद्यालय	08
8.	गुरूकुल विद्यालय	01
9.	खेल परिसर	13
10.	प्री–मैंट्रिक जनजाति छात्रावास	1211
11.	पोस्ट मैट्रिक जनजाति छात्रावास	166
12.	आश्रम शालाएं अ.ज.जा. (प्राथमिक)	909
13.	आश्रम शालाएं अ.ज.जा. (माध्यमिक)	186

जनजातियों के शैक्षिक उत्थान हेतु विभाग द्वारा निम्नानुसार शैक्षिक संस्थाएं संचालित की जा रही है:--

4.12.1.1 आवासीय संस्थाएं :--घर से दूर रहकर विद्या अर्जन करने वाले जनजाति के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से छात्रावास एवं आश्रम शालाएं संचालित की जा रही है।

राज्य छात्रवृत्ति में हाईस्कूल स्तर तक प्रतिमाह 10 रू. की वृद्धि की गई है पूर्व की दर रू. 20 से बढ़ाकर अब रू. 30 की गई है। हाईस्कूल स्तर तक के छात्रावासी छात्र, छात्राओं को देय शिष्यावृत्ति में 100रू. प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। अब छात्रों को 350 रू.एवं छात्राओं को रू. 360 प्रतिमाह की पात्रता है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के आगमन भत्ते की दर रू. 500 की जगह रू. 800 कर दी गई है।

4.12.1.2 कीड़ा परिसर :- अध्ययन के साथ-साथ जनजाति के छात्र-छात्राओं की खेल प्रतिमा को विकसित करने के लिए विभाग द्वारा 12 खेल परिसर संचालित किए जा रहे हैं, इनमें से 5-कीड़ा परिसर वाषिक प्रतिवेदन-२००४–०९

कन्याओं के लिए है। प्रत्येक कीडा परिसर में 100 छात्र/छात्राओं हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध होती है तथा विभिन्न खेल विधाओं में उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिमाह रह. 350 / 360 की शिष्यवृत्ति, 60 रू. पोषण आहार, वर्ष में एक बार रू. 350 गणवेश के लिए तथा रू. 500 खेल किट्स के लिए दिए जाते हैं।

- 4.12.1.3 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय :- कक्षा 1 ली से 8वीं तक अध्ययरत अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं एवं कक्षा 9वीं एवं 10वीं की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय की जा रही है। वर्ष 2008-09 में पहली से 10वी कक्षा तक, अनुसूचित जनजाति वर्ग की 531859 छात्र-छात्राएं इस योजना में लाभान्वित हुई।
- 4.12.1.4 अशासकीय संस्थाओं को अनुदान :- छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के आर्थिक, परम्परागत मूल संस्कृति, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान से संबंधित गतिविधियों में अशासकीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से अशासकीय संस्थाओं को अनुदान सहायता स्वीकृत करने हेतु अशासकीय संस्था अनुदान नियम बनाया गया है।
- राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए कुल 33 अशाराकीय संस्थाएं इस विमाग से अनुदान प्राप्त कर रही है। शिक्षण संस्थाओं में 29 संस्थाएं अनुसूचित जनजाति तथा 03 संस्थाएं अनुसूचित जाति एवं चिकित्सा क्षेत्र में 01 संस्था अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कार्य कर रही है। इन अशासकीय संस्थाओं के द्वारा प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, उ०मा० शालाएं, छात्रावास, आश्रम, बालबाड़ी, औषधालय आदि प्रवृत्तियां संचालित की जा रही है।
- उक्त अशासकीय संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2008-09 में राशि रू. 2227.81 लाख अनुदान स्वीकृत किया गया है। शिक्षण संस्थाओं में कुल २४,२७८ छात्र/छात्राएं अध्ययनरत है, जिसमें अनुसूचित जनजाति २३१०५ तथा अनुसूचित जाति ११७३ छात्र / छात्राएं अध्ययनस्त है। औषधालय से कुल ११९०३९ हितग्राही लाभान्वित हुए है।
- अनुसूचित जाति / जनजाति क्षेत्रों में शिक्षण कार्य में लगी 87 अशासकीय शिक्षण संस्थाओं हेतु शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 में राशि रू. 374.00 लाख तदर्थ एकमुश्त अनुदान स्वीकृत किया गया है।
- 4.12.2 राहत योजनाएं
- 4.12.2.1 आकरिमकता योजना :--अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों पर गैर अनुसूचित जाति/ जनजाति के लोगों द्वारा उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार, अपमानित करने, शारीरिक आघात पहुंचाने संपत्ति

्वार्धिकः प्रतिवेदनः २००४–०५ :

को हानि पहुंचाने आदि के मामलों में विभाग द्वारा पीड़ितों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं। साथ ही उत्पीड़ित व्यक्ति, उनके परिवार, आश्रितों को विभिन्न धाराओं में पुर्नवास के तहत मासिक निर्वाह भत्ता, रोजगार, पेयजल, कृषि भूमि बच्चों की शिक्षा, सामाजिक पुनर्वास, स्वरोजगार, विकलांगों को कृत्रिम अंग आदि हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

4.12.1.6 जवाहर उत्कर्ष विद्यार्थी योजना :--राज्य में ऐसे प्रतिभावन आदिवासी छात्र जिन्होंने कक्षा 5वीं, 8वीं तथा 10 वीं की बोर्ड परीक्षाओं में क्रमशः 80 प्रतिशत, तथा 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों का चयन जिला स्तर पर किया जाकर विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक परिवेश में जिला मुख्यालय के निजी उत्कृष्ट आवासीय संस्थाओं में प्रवेश दिलाया जाता हैं। विद्यार्थी आवास एवं पढ़ाई का सारा खर्च शासन वहन करेगी।

इसी तरह कक्षा 5 वीं, 8 वीं तथा 10 वीं बोर्ड परीक्षाओं में क्रमशः 85 प्रतिशत, 80 प्रतिशत, 75 प्रतिशत अंक पाने वाले विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय उत्कृष्ट आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाये जाने का प्रावधान है। विद्यार्थियों के आवास एवं पढ़ाई का सम्पूर्ण खर्च राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है।

4.12.2.2 राहत योजना :--इस योजना के तहत साधन विहीन कन्याओं के विवाह हेतु रूपये 1000/- एवं ऐसी कन्या जिनके मॉ-बाप न हो के विवाह हेतु रूपये 2000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही आकस्मिक दुर्घटना अतिसंकटापन्न स्थिति में प्रकरण की परिस्थिति के अनुरूप रू.100/- से रूपये 1000/- तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है।

4.12.3 आर्थिक योजनाएं

4.12.3.1 स्वरोजगार के लिए विभाग की पहल :- छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम रायपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए जिला कार्यालय से बैंकों के माध्यम से बैंक प्रवर्तित स्वरोजगार योजना संचालित है तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली की विभिन्न रोजगार योजनांतर्गत ऋण सहायता उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण मद से शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना संचालित की जा रही हैं।

- अ) बैंक प्रवर्तित योजनांतर्गतः अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे अथवा पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू. 19750/— एवं शहरी क्षेत्र में रू.27250/— के वयस्क लोगों को जिले की जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा ऋण वितरित किया जाता है। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय से ऋण कम्पोनेंट के साथ अनुदान समाप्त कर दिये जाने के कारण अब छ. ग. राज्य शासन के बजट में प्रावधान कर स्वीकृत ऋण के विरुद्ध अधिकतम रू. 10,000/— अथवा 50 प्रतिशत जो कम हो का अनुदान प्रत्येक हितग्राहीं को उपलब्ध कराया जाता है।
- (ब) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली की संचालित योजनांतर्गतः—
 अनुसूचित जनजातियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु परियोजना प्रस्ताव तैयार कर छ.ग.राज्य
 अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम रायपुर द्वारा राष्ट्रीय निगम को प्रेषित किया जाता है,
 जिसमें से परियोजना / प्रस्ताव लागत की 90 प्रतिशत तक राशि राष्ट्रीय निगम द्वारा टर्म लोन के रूप
 में उपलब्ध करायी जाती है एवं कम से कम 5 प्रतिशत अंशदान राज्य निगम द्वारा तथा अधिकतम
 5 प्रतिशत का अंशदान हितग्राही द्वारा देय है। योजना का कियान्वयन एवं ऋण का वितरण जिला स्तर
 पर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा जिले के मूल निवासी, वयस्क एवं अनुसूचित
 जनजाति के गरीबी रेखा की दोगुनी आय वर्ग के लोगों को किया जाता है साथ ही हितग्राही चयन
 हेतु जिला स्तर पर राज्य शासन द्वारा गठित योजनाओं में हितग्राही चयन समिति द्वारा किया जाता है।
 राष्ट्रीय निगम द्वारा छ.ग.राज्य निगम से दिये जा रहे ऋण वापसी की गारंटी लेता है एवं राज्य निगम
 हितग्राही से ऋण की गारंटी हेतु जमानतदार एवं ऋण दस्तावेज पूर्ण कराता है। राष्ट्रीय निगम को
 प्राप्त ऋण पर निम्नानुसार ब्याज दिया जाता है :—

के.	प्रति परियोजना इकाई	राष्ट्रीय निगम द्वारा राज्य निगम से	राज्य निगम द्वारा
	लागत	लिये जा रहे ब्याज का प्रतिशत	हितग्राही से लिये जा रहे
			ब्याज का प्रतिशत
1.	रू. 50,000/— तक	2 प्रतिशत	४ प्रतिशत
2.	रू. 5,00,000 ∕ – तक	3 प्रतिशत	६ प्रतिशत
3.	रू. 10,00,000 / – एवं	४ प्रतिशत	८ प्रतिशत
	अधिक		

(स) अनुसूचित जनजाति-शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना :--

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण से प्राप्त राशि से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को स्वावलंबी बनाने हेतु "शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन" के नाम से योजना संचालित की जा रही है। आर्थिक रूप से पिछड़े हुये अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे असहाय व्यक्ति जो स्वयं का व्यवसाय/उद्योग स्थापित करने के इच्छुक है किन्तु उनके पास कोई व्यावसायिक पृष्ठभूमि नहीं है अथवा स्वयं के साधन एवं पूंजी नहीं है, तन्हे आर्थिक योजनाओं में प्रशिक्षण, साधन एवं पूंजी उपलब्ध कराते हुए व्यवसाय में स्थापित कराना है, ताकि वे समाज की मुख्यधारू से जुड़े और व्यावसायिकता के लिए प्रोत्साहित हो। स्वरोजगार स्थापना करने हेतु दुकान आबंटन करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें साज-सज्जा,कार्यशील पूंजी आदि हेतु भी ऋण की सहायता आवश्यक होगी। इस हेतु कुल राशि रू.1,00,000 / - तक में योजना के अनुरूप 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण की व्यवस्था की जावेगी। ऋण के निर्धारित मासिक किश्तों का 5 वर्ष की अवधि में ब्याज सहित चुकाना होगा। नियमित किश्त तीन वर्ष ब्याज सहित अदायगी करने की स्थिति में दुकान का मालिकाना हक हितग्राही को दे दिया जावेगा। हितग्राहियों को इसके अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें रू. 2000 / - राशि प्रति प्रशिक्षणार्थी की मान से व्यय किया जाता है। प्रोत्साहन लाभ योजना में नियमित तीन वर्ष तक मासिक किश्त अदा करने वाले को रू. 75,000 / - की राशि रियायती किश्तों एवं दुकान के मालिकाना हक के रूप में प्राप्त होगी। ब्याज दर कुल ऋण राशि पर मात्र 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज हितग्राहियों से लिया जायेगा।

4.12.4 क्षेत्रीय विकास योजनाए :--

- 4.12.4.1 स्थानीय विकास कार्यक्रम —योजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त राशि से परियोजना सलाहकार मण्डल की सलाह एवं स्वीकृति से विभिन्न विकास विभागों द्वारा जिला के आदिवासी जपयोजना क्षेत्र, लघु अंचल क्षेत्र एवं माडा पाकेट में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर पेयजल सुविधा, पहुंचमार्गों, पुल—पुलियों एव रपटों का निर्माण, शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त कमरों का निर्माण, स्वस्थ्य सेवाएं तथा चिकित्सक आवास गृह के निर्माण कार्य कराये जाते हैं तथा इस राशि से परिवार मूलक कार्य भी किये जाते हैं।
- 4.12.4.2 विमागीय संस्था भवनों का निर्माण:— योजनान्तर्गत भवन विहीन विभागीय छात्रावासों/आश्रमों, उ. मा.शालाओं हाईस्कूलों के लिए भवनों के निर्माण एवं संधारण कार्य विभागीय एवं अन्य निर्माण एजेन्सीयों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं।

ं वार्षिक प्रतिवेदन २००८–१०९

4.12.5 आदिवासी उपयोजना अंतर्गत विमाग द्वारा रांचालित प्रमुख योजनाएं :--

वित्तीय वर्ष 2008-09 में विभाग को आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत 50128.79 लाख के आवंटन के विरुद्ध 41760.12 लाख व्यय किया गया। विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां निम्नानुसार है :--

(राशि लाखों में)

क्रगांक	योजना का नाम	ਚਾ	पलब्धियां
		वित्तीय	भौतिक हितग्राही
	शैक्षणिक योजनाएं —		
1.	राज्य छात्रवृत्ति	2663.03	829109
2.	प्रावीण्य उन्नयन	19.61	140 छাत्र–छात्राएं
3.	कन्या शिक्षा प्रोत्साहन	30.81	5587 छात्र/छात्राएं
4.	शिष्यवृत्ति छात्रावास	2027.51	51585
5.	शिष्यवृत्ति आश्रम	2716.87	68125
6.	छात्रगृह योजना	5.73	313 ডান্ন/ডান্নাएं
7.	आगमन भत्ता	47.50	7181
8.	मा.शि.मण्डल परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	37.00	5273 छात्र/छात्राएं
9.	नि:शुल्क गणवेश प्रदाय	350.00	367950 ডার–ডারাए
10,	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	1705.66	69163 ডার/ডারাए
11.	मध्यान्ह भोजन कार्यकम	15763.40	१६८७७७८ विद्यार्थी
			13310 संस्थाएं
12.	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	2227.81	33 संस्थाएं
13.	निःशुल्क सायकल प्रदाय योजना	378,90	19587छাत्रा ४१५ छात्र
14.	छात्रावास/आश्रम शैक्षणिक संस्था का निर्माण	4589.22	988 कार्य
15.	मेधावी छात्रों को उच्चतर शिक्षा	368.04	873 छात्र/छात्राएं
16.	छात्र भोजन सहाय योजना	119.58	७१०६ छात्र/छात्राएं
17.	एयर होस्टेज प्रशिक्षण	13.86	१४ छात्राएं
18.	विशेष कोचिंग योजना	97.32	३१५८३ छात्र/छात्राएं
19.	कम्प्यूटर शिक्षा योजना	249.88	43094 छात्र/छात्राएं
20.	मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना	67.20	603 छात्र/छात्राएं
21.	वाहन चालक प्रशिक्षण योजना	13.70	६६ प्रशिक्षणार्थी
22.	आदिवासी संरकृति का परीरक्षण एवं विकास	296.85	3117 कार्य
23.	प्रवीण्य छात्रवृत्ति	2.34	४५१ छात्र/छात्राएं
24.	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय	92,00	४६२९३ छात्र/छात्राएं
25,	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	23.22	७५ छात्र/छात्राएं

्वार्षिकः प्रतिवेदनः २००८–००

बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम :--

वर्ष 2008-09 के छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित उत्तीर्ण एवं प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की जातिवार परीक्षा परिणाम निम्नानुसार है:--

विभागीय विद्यालयों का वार्षिक परीक्षाफल वर्ष 2008 09

विवरण	पांचवीं बोर्ड					आठवीं बोर्ड				
,	अ.जा.	अ.ज.जा.	पि.वर्ग	अन्य	योग	अ.जा.	अं.ज.जा.	पि.वर्ग	अन्य	योग
सम्मिलत	10271	78413	39085	5059	132828	8815	51921	29948	4736	95420
उत्तीर्ण	9957	76867	38275	4896	129995	7298	48054	26810	4157	86319
प्रतिशत	96,94	98.02	97.92	96.77	97.86	82.19	92.55	89.52	87.77	90,48
प्रथम श्रेणी में	5191	35751	22272	2813	66027	2219	14142	8421	1641	264023
उत्तीर्ण										

विवरण		दसवीं बोर्ड					वारहवीं बोर्ड			
	अ.जा.	अ.ज.जा.	पि.वर्ग	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	पि.वर्ग	अन्य	योग
सम्मिलत	7732	48889	30735	5535	92891	2982	13481	10992	2897	30352
उत्तीर्ण	6145	32437	22396	3456	64434	2411	10154	8709	2426	23700
प्रतिशत	79.47	66.34	72.86	62,43	69.36	83.79	75.32	79.23	83.74	78.08
प्रथम	3216	13366	10795	1458	28835	1029	3225	3418	1058	8788
श्रेणी में										
उत्तीर्ण										

4.12.6 आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में क्रियान्वित विकास योजनाएं :--

- 4.12.7.1 अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति देने के उद्देश्य से आदिवासी उपयोजना की अवधारणा स्वीकृत की गई है। प्रदेश में उन्नीस (19) एकीकृत आदिवासी परियोजनायें, 9 माडा पाकेट, एवं 2 लघु अंचल संचालित है।
- 4.12.7.2 परियोजना के गठन के साथ ही उनको क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से परियोजना सलाहकार मण्डलों का गठन किया गया है। परियोजना सलाहकार मण्डल के अनुमोदन पश्चात् ही अनुमोदित योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित विकास विभागों को उपलब्ध कराये गए आवंटन के अनुसार किया जाता है ताकि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उन्हें सामान्य वर्ग के समतुल्य लाना संभव हो सके।

्वार्षिक प्रतिवेदन २००८–०९

4.12.7.3 परियोजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता, स्थानीय विकास कार्यक्रम एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में प्राप्त आवंटन व्यय तथा उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है:-

,	, ·-			1 _0
	विवरण	प्राप्त आवंटन	व्यय	स्वाकृत काय
क्रमाक		5721.45	5721.45	1746
1.	ए.आ.वि. योजना		496.01	135
2.	माडा पाकेट		61.48	18
3.	लघु अंचल	61.48		044
4	संविधान के अनुच्छेद 275	(1) 3211.33	3211.33	241
4	राषिया । गु			

उपरोक्त योजनाओं में परियोजनावार/सेक्टरवार लिये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट 4 – अ,ब,स,द में संलग्न है।

- 4.12.7.4 परियोजनाओं को प्रदत्त आवंटन दो भागों में विभक्त होता है, प्रथम राजस्व मद एवं द्वितीय पूंजी मद। राजरव मद के अन्तर्गत परिवार मूलक आर्थिक विकास के कार्य लिए जाते हैं तथा पूंजीमद अन्तर्गत अधोसंरचना विकास एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राशि दी जाती है। केन्द्र शासन के नवीन दिशा—निर्देश दिनांक 25.05.2003 के अनुसार परियोजना मद की राशि 30 प्रतिशत पूंजीमद एवं 70 प्रतिशत राशि राजस्व मद में व्यय किया जाना है।
- 4.12.7.5 परियोजना सलाहकार मण्डल :- परियोजना सलाहकार मण्डलों को और सक्षम बनाने के उद्देश्य से शासन के आदेश क्रमांक/एफ-23/4/96/3/25, दिनांक 19.05.97 अनुसार सलाहकार मण्डल का गठन किया गया है। परियोजना सलाहकार मण्डलों को रूपये 10 लाख के कार्य स्वीकृत करने के अधिकार सौंपे गए तथा सदस्य सचिव,परियोजना अधिकारियों को बनाया गया। इसका गठन निम्नानुसार किया गया है :-
 - अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा मनोनीत। अनुसूचित जनजाति वर्ग का मंत्री विधायक, जिला पंचायत
 अध्यक्ष अथवा जनपद अध्यक्ष।
 - 2. सदस्य क. जिला पंचायत अध्यक्ष।
 - ख. परियोजना क्षेत्र के समस्त विधायक यदि कोई विधायक मंत्री हो तो वे सदस्य के रूप में अपना प्रतिनिधि नामांकित कर सकेंगे।
 - ग. परियोजना क्षेत्र के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष।
 - ध. जिला पंचायतों के दो आदिवासी सदस्य जिनमें से एक महिला आदिवासी

सदस्य होगी। यदि कोई महिला आदिवासी सदस्य न हो तो शासन द्वारा नामांकित आदिवासी महिला।

- ज. परियोजना क्षेत्र में कार्यरत् दो प्रतिष्ठित अशासकीय संस्थाओं के अध्यक्ष जो आदिवासी समाज के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत् अथवा दो प्रतिष्ठित समाज सेवी जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के हों।
- च. अनुसूचित जनजातियों के विकास के कार्यक्रमों के विशेषज्ञ।
- छ. कलेक्टर।
- ज. व्यवस्थापक, स्थानीय लीड बैंक।
- झ. अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी बैंक।
- ञ. अध्यक्ष भूमि विकास बैंक।

शासन के आदेश क्रमांक एफ-23725/95/3/25 ए, दिनांक 08.01.98 अनुसार परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त राशि का उपयोग परियोजना स्तर पर परियोजना सलाहकार मण्डलों के निर्णय अनुसार ही शासन के दिशा निर्देश (1 मई 98) में निहित प्रावधानों पर उपयोग करने में प्राथमिकताओं को ध्यान में रखेंगे।

राज्य शासन चाहता है कि समस्त परियोजना सलाहकार मण्डल विशेष केन्द्रीय सहायता मद से राशि उपयोग में भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों को सदैव ध्यान में रखें। विशिष्ट रूप से राज्य शासन की अपेक्षा है कि कोई भी ऐसा कार्य हाथ में न लिए जायें जो विशेष केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य के विपरीत हों। इस परिपेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नांकित कार्य इस मद से नहीं लिए जा सकेंगे:—

- 1. ऐसे कार्य जिनमें कोई आवर्ती व्यय निहित हो अथवा अमले पर किसी प्रकार का कोई भी व्यय अनावर्ती अथवा आवर्ती निहित हो।
- 2. कार्यालयीन सामग्री, कुलर, पंखे, वाहन, मशीनरी, टाइपराइटर अथवा साज-सज्जा पर किसी प्रकार का कोई व्यय।
- 3. विभाग के सामान्य बजट में स्वीकृत योजना में विद्यमान कमी को पूरा करने के लक्ष्य से किये जाने वाला व्यय।
- किसी अन्य मद से लिए गए कार्य पर अनुपूरक व्यय।

शासन, वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित मदों में से किसी प्रकार का व्यय।

उपरोक्त व्यय प्रतिवंधों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन की अपेक्षा है कि परियोजना सलाहकार मण्डल कार्यों के चयन के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हों और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करें। राज्य शासन का परामर्श है कि इस मद से केवल ऐसे ही कार्य लेना श्रेयष्कर होगा जो एक ही वित्तीय वर्ष के भीतर पूर्ण किये जा सकें।

4.12.7.6 परियोजना क्रियान्तयन समिति :- जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को सदस्य बनाते हुए परियोजना क्रियान्तयन समिति का गठन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 523/एमएस/76, दिनांक 21 जून 1976 में किया गया था। इसके पश्चात मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 98/7 प्र.स./आ.जा.क./90, दिनांक 19.11.98 में परियोजना अधिकारियों के दायित्व के संबंध में निर्देश जारी हुए। इस समिति के निम्न कार्य है:-

- परियोजना क्षेत्र के आदिवासी विकास के लिए योजना / प्रोजेक्ट तैयार करना।
- परियोजना क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा उसमें आने वाली किवनाईयों को संबंधित विभागों के सहयोग से दूर किया जाना।
- 3. परियोजना क्षेत्र में किए गए कार्यों में आवश्यक विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- परियोजना क्षेत्र एवं जनजातियों के विकास के लिए वार्षिक तथा पंचवर्षीय कार्य योजना बनाना।
 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कार्य करना।

शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि परियोजना क्रियान्वयन समिति की नियमित बैठक हो ताकि परियोजना मद से किये जा रहे कार्यों में आवश्यक निगरानी रखी जा सकें।

4.12.7.7 आदिवासी विकास प्राधिकरणों का गठन :— वर्ष 2004 में अनुसूचित जनजातियों के सर्वागीण विकास हेतु बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया।

प्राधिकरण के गठन का मुख्य उददेश्य प्राधिकरण क्षेत्र के जनजातियों एवं उपयोजना क्षेत्र के लिए एक उच्च स्तरीय पर्यवेक्षण की नीति को अपनाना, क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप विकास कार्यों की त्वरित स्वीकृति एवं कियान्वयन, विकास कार्यों से जनप्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना तथा आदिवासियों की संस्कृति का परिरक्षण है।

- (अ) बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :— राज्य शासन द्वारा 3 आदिवासी बाहुल्य जिले कमशः बस्तर, उत्तर बस्तर, कांकेर तथा दक्षिण बस्तर दंतेवाडा को मिलाकर बस्तर विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष 2004 में किया गया तथा वर्ष 2005—06 में राज्य के दक्षिण हिस्से की एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के क्षेत्रों को सम्मिलित कर इसका विस्तार किया गया। वित्तीय वर्ष 2008—09 में इस प्राधिकरण हेतु 4000.00 लाख रू. का प्रावधान रखा गया। जिसके विरूद्ध 3541.39 लाख की राशि व्यय की गई एवं 1002 कार्य कराये गये।
- (व) सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :- राज्य शासन द्वारा वर्ष 2004-05 में 3 आदिवासी बाहुल्य जिले कमशः सरगुजा, कोरिया तथा जशपुर को मिलाकर सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया तथा वर्ष 2005-06 में इसका विस्तार करते हुए राज्य के उत्तरी हिस्से के एकीकृत आदिवासी परियोजना के क्षेत्रों को शामिल किया गया। वित्तीय वर्ष 2008-09 में इस प्राधिकरण हेतु 3500.00 लाख रू. का प्रावधान रखा गया जिसके विरुद्ध 3118.55 लाख की राशि व्यय की गई एवं 830 कार्य कराये गये।

4.13 उच्च शिक्षा विभाग

4.13.1 उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 में योजनाओं के संचालन के लिए 2095.75 लाख रू. का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसके विरुद्ध 1041.89 लाख रू. व्यय किये गये। योजनावार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है:--

			(राशि लाख में
क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :		
1.	महाविद्यालयों में खेलकूद प्रोत्साहन	12.00	5.56
2.	कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	1507.75	895.28
3.	आयोग से प्राप्त सहायता से महाविद्यालय का विकास	3.00	0.00
4.	स्वशासी महाविद्यालय	3.00	0.00
5.	आदिवासी छात्रों को पुस्तक/स्टेशनरी का प्रदाय	60.00	8.05
6.	महाविद्यालय भवनों का निर्माण	150.00	0.00
7.	सरगुजा में वि. वि. केम्पस की स्थापना	180.00	0.00
8.	बस्तर विकास वि.वि. केम्पस की स्थापना	180.00	133.00
	योग —	2095.75	1041.89
····			

4.14 जनशक्ति नियोजन विभाग

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विशेष सुविधायें देने के लिए आदिम जाति कल्याण

े वार्षिकः प्रतिवेदन-२००८–०९

विभाग द्वारा प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही थी अब इन संस्थाओं का संचालन तथा विभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा किया जा रहा है। विभाग के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार प्रशिक्षण से संबंधित वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :--

4.14.1तकनीकी शिक्षा विभाग :--तकनीकी शिक्षा द्वारा संचालित योजनाओं के लिए आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत वर्ष में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:--

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1	इंजीनियरिंग महाविद्यालय विशेष कोचिंग	6.20	4.54
2	बुक बैंक योजना '	8,00′	4.94
3	फर्नीचर कार्यालयीन योजना	45.00	37.42
4	कार्यालय व्यय	100.00	6.20
5	मशीन/उपकरण	400.00	277.25
6	भवन	45.45	45.45
	योग	604.65	375.80

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :--

क्मांक	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्घारित	भौतिक
			लक्ष्य	उपलब्धि
1.	इंजीनियरिंग महाविद्यालय विशेष कोचिंग	महा.वि	17	12
2.	बुक बैंक योजना	महा.वि.	17	14
3.	फर्नीचर कार्यालयीन योजना	महा.वि.	03	03
4.	मशीन / उपकरण	महा.वि	05	05
5.	भवन	भवन	04	01
6.	कार्यालय व्यय	महा.वि.	05	03

= 78 =

्यार्पिक-प्रतिवेदन-2008–09

4.14.2 रोजगार एवं प्रशिक्षण विमाग :-- विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:--

प्रशिक्षण प्रमाग

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विमाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	मिनी आई.टी.आई. की स्थापना	1446.30	718.21
	योग—	1446.30	718.21

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :--

क.	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्घारित	भौतिक	लामान्वितों
			लक्ष्य	उपलब्धि	संख्या की
1.	मिनी आई.टी.आई. की स्थापना	हितग्राही	2482	2482	2482
	योग—		2482	2482	2482

रोजगार प्रभाग – विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:--

(राशि लाख में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	बेरोजगारी भत्ता	125.00	83.29
2	जनजागरण अभियान के शिविरांर्थियों को प्रोत्साहन	50.00	50.00
3,	अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र,जगदलपुर	12.10	8.65
4.	नवीन जिला नारायणपुर/बीजापुर में कार्यालय व्यय	27.50	7.28
	योग	214.60	149.22

== 79 **==**

ंवार्षिकः प्रतिवेदन २००८–०९

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :--

क्र.	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्घारित	भौतिक	लाभान्वितों
			लक्ष्य	उपलब्धि	संख्या की
1.	बेरोजगारी भत्ता	हितग्राही	3100	2033	2033
2	जनजागरण अभियान के शिविरार्थियाँ	हितग्राही	1500	350	350
	को प्रोत्साहन				
3	अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र,	हितग्राही	40	37	37
·	जगदलपुर				
4	नवीन जिला नारायणपुर/बीजापुर	जिला	02	02	0
	में कार्यालय व्यय	-			

4.15 समाज कल्याण विमाग

4.15.1 समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए आदिवासी उपयोजना मद अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:--

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विमाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	अंधमूक बधिर शालाओं को अनुदान	30.00	26,15
2,	अंधमूक बिधरों को वृत्तियां एवं छात्रवृत्ति	20.00	17.48
3.	विकलांग तथा अपंगों को विशेष सहायता	40.00	39.88
.4.	बालिका किशोर गृह का निर्माण	54.18	37.05
5.	अंधे तथा बहरे के लिए शालायें	53.92	21.35
	योग	198.10	141.91

्वार्षिकः प्रतिवेदनः २००८–०९:

4.15.2 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क.	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि	अनुसूचित जनजाति के लामान्वितों की संख्या
1.	अंधमूक बधिर शालाओं को अनुदान	हित.	800	547	393
2.	अंधमूक बधिरों को वृत्तियां/	छात्र सं.	3500	4295	4177
	छात्रवृत्तियां				
3.	विकलांग तथा अपंगों को विशेष सहायता	छात्र सं.	1500	1200	859
4.	बालिका किशोर गृह का निर्माण	संस्था	03	03	0
5.	अंधे बहरे तथा गूंगों के लिये शालाएं	हितग्राही	150	18	10
	तथा संस्थाएं				

4.16 महिला एवं बाल विकास

- 4.16.1 आदिवासी क्षेत्रों में विभाग द्वारा आदिवासियों के संरक्षण एवं विकास हेतु संचालित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:—
- 4.16.2 उपर्युक्त योजनाओं के लिए वर्ष 2008-09 में विभाग को 10401.43 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरुद्ध 8616.57 लाख रूपये व्यय किये गये। योजनावार जानकारी निम्नानुसार है:--

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विमाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	निराश्रित बाल संस्थाओं को सहायक अनुदान	19.85	17.94
2.	ग्रामीण महिलाओं के लिए दिशा दर्शन एवं भ्रमण	8.80	8.30
3.	आयुष्मति योजना	40.00	32.12
4.	महिला जागृति शिविर	38.50	33,90
5.	निर्धन युवक युवतियों का विवाह	88.54	82.17
6.	आंगन बाड़ियों का सुधार एवं निर्माण	562.50	562.50
7.	जिला प्रशिक्षण सह संसाधन केन्द्र	187.00	40.00
8,	न्यूनतम आवश्यकता कार्यकम विशेष पोषण आहार कार्यक्रम	316,20	67.79

187.00 40.00 भेष पोषण आहार कार्यक्रम 316.20 67.79 The state of the paper of the state of the

वार्षिक प्रतिवेदन २००८–०९

क्रमांक	विमाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
9.	मिनीमाता पोषण आहार कार्यक्रम सरगुजा पैकेज	800.00	0.00
10.	आदिवासी क्षेत्रों में पूरक पोषण आहार कार्यकम	7232:44	7137:35
11.	समाज कल्याण के अंतर्गत कार्यरत संस्थाओं को अनुदान	1.00	1.00
12.	शक्ति स्वरूपा योजना	25.00	0.00
13.	कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय	881.60	633,50
14.	जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों को प्रोत्साहन	200.00	0.00
	योग:	10401.43	8616.57

4.16.3 विभाग द्वारा संचालित उपर्युक्त योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है

₹.	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्घारित	उपलब्धि	लामान्वितों
			लक्ष्य		की संख्या
1.	आयुष्मति योजना	हितग्राही	7934	7934	7934
2	दिशा दर्शन	हितग्राही	1808	1808	1808
3	आदिवासी क्षेत्र में विशेष पोषण आहार कार्यक्रम	छात्र सं.	857112	857112	857112
4	जागृति शिविर	हितग्राही	177572	177572	177572
5,	समाज कल्याण के अंतर्गत कार्यरत संस्थाओं	हितग्राही	28	28	28
	को अनुदान		•		
6.	निराश्रित बाल संस्थाओं को कल्याण	हितग्राही	150	150	150
7	निर्धन युवक युवतियों का विवाह	हितग्राही	1795	1795	1795

4.17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विमाग

4.17.1 आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही जीवन ज्योति चलित चिकित्सालय योजना प्रारंभ की गई हैं। यह योजना केन्द्रीय शासन की विशेष सहायता से प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के उनके रहने के स्थान के करीब प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना हैं। इस योजना के तहत राज्य के आदिवासी विकासखण्ड के लिए चलित चिकित्सालय स्वीकृत किये गये हैं। बहुधा देखा गया है कि आदिवासी हाट बाजार में जरूर उपस्थित होते हैं। अतः हाट बाजार में ही चलित अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

4.17.2 आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया निरोधी कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासियों को सहज उपचार उपलब्ध कराने

्वार्षिक-प्रतिवेदन-2008-09-

के उद्देश्य से मलेरिया लिंक कार्यकर्ता ऐच्छिक सेवा के आधार पर रखे गए है, जिन्हें समुचित मात्रा में दवाईयां उपलब्ध कराई जाती है।

4.17.3 विभाग अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में तथा सामान्य क्षेत्रों में पृथक प्रशासनिक व्यवस्था है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना में निम्नानुसार मापदण्ड अपनाये जाते हैं:--

क्रमांक	संख्या	सामान्य क्षेत्र	आदिवासी क्षेत्र
		(जनसंख्या पर)	(जनसंख्या पर)
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,20,000	80,000
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000
3.	उप–स्वास्थ्य केन्द्र	5,000	3,000

विभाग को वर्ष 2008-09 में 9498.25 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध 8126.14 लाख रूपयों का व्यय किया गया।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :--

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :		
1	जिला चिकित्सालयों का उन्नयन	599,35	517.84
2	एकीकृत बाल विकास सेवा	29.00	13.07
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	4.31	0.75
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	1386.12	1100.95
5	उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	389.48	949,31
6	जीवन ज्योति चलित औषधालयों की स्थापना	242.57	97.63
7	उप स्वा.केन्द्र की स्थापना	227.65	833.19
8	ग्वाइटर रोग नियंत्रण 8.27	0.39	·
9	शीत ज्वर	408.19	399.55
10	जिला चिकित्सालय १३३.०५	133.04	

÷वार्षिक≜प्रतिवेदन-2008–09-

	योग :	9498.25	8126.14
17	यूरोपीयन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	2048.50	1496.50
16	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	1368.00	1368.00
15	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	77.62	23.22
14	सुरक्षित मातृत्व केन्द्र 27.00	26.97	Was and the second seco
13	मुख्यमंत्री दवा पेटी 259.94	259.94	:
12	प्रा.स्व.केन्द्र (मूलभूत सेवाएं)	2516.85	1738,98
11	स्वास्थ्य मितानिन योजना	0.00	. 0.00

4.18 लोक निर्माण विभाग

4.18.1 छत्तीसगढ़ तथा इसके अनुसूचित क्षेत्रों में अन्य विकसित राज्यों की तुलना में सड़क मार्गों की लम्बाई कम है। अनुसूचित क्षेत्रों में अब भी पहुँच विहीन ग्रामों की संख्या बहुत अधिक है। नवगठित छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का एक ऐसा "नेट वर्क" विकसित करने का निर्णय लिया है। जिसके माध्यम से राज्य की उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम की सीमाऐं चारों दिशाओं से आपस में जुड़ेगी। विमाग द्वारा संचालित योजनाओं की वित्तीय उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है:—

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विभाग्/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :		
1	वृहद पुल निर्माण	8000.00	7206.75
2	नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत वृहद पुलों का निर्माण	614.90	54.53
3	राज्यों के राज्यमार्ग	357.50	638.75
4	चतुर्दिक दिशाओं को जोड़ने हेतु कारीडोर का निर्माण सड़क एवं पुल	3000.00	2068.52
5	मुख्य जिला मार्ग	.175,00	138.14
6	न्यूनतम आवश्यकता कार्य	17000.00	15463,99
7	सर्वेक्षण कार्य	56.00	2.84
8	पुलों का निर्माण अनुच्छेद 275 (1) सड़क एवं पुल	1.00	0.00
9	भू-अर्जन मुआवजा	20.00	0.38

वाधिक प्रतिब	दन 20	08=	09
		-	


p+c			
10	मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम	378.00	175.14
•	(आदिवासी राज्य आयोजना)	,	
11	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों का निर्माण	11.00	0.69
12	उच्च शिक्षा महाविद्यालय भवन निर्माण	777.00	508.73
13	इंजीनियरिंग तकनीकी महाविद्यालय भवन निर्माण	33.00	1.02
14	आयुर्वेदिक अस्पताल एवं औषधालय भवन निर्माण	308.80	141.67
15	उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	330.00	570.70
16	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	1281.00	825.66
17	चिकित्सालयों में शैयाओं की वृद्धि	368,00	140.47
18	न्याय प्रशासन (के.प्र.यो.)	7,00	0.96
19	छात्रावास आश्रम भवन	1332.00	374.06
20	शिक्षक आवास गृह एवं चतुर्थ श्रेणी आवास गृह	1068.00	234.35
21	शैक्षणिक संस्थाओं के भवन निर्माण	1040.00	1153,24
22	सुरक्षित मातृत्व केन्द्र	114.00	35.39
23	प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना वृहत पूल	744.60	206,95
24	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन का निर्माण	88.00	51.07
26	नाबार्ड ऋण सहायता अंतर्गत ग्रामीण मार्गो का निर्माण	65.00	180.00
26	छ.ग. स्टेट रोड़ डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट	7500.00	7557.00
27	एन्यूटी अंतर्गत राज्य सड़क में सड़क निर्माण	10000.00	0.00
28	माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण	330.00	49.26
2 9 _.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत अस्पताल भवन का निर्माण	385.00	32.07
30	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण मूलभूत सुविधाओं के लिए	1447.51	421.33
31	शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय भवन का निर्माण	550.00	97.10
32	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	110.00	152.76
33	जिला/विकासखंड शिक्षा अधिकारी का भवन निर्माण	221.00	302.10
34	भाडागृह निर्माण	29.00	193.23
	योग	57676.07	38981.34

्वार्षिक-प्रतिवेदन २००८–०९ ं

4.18.2 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क.	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित	भौतिक उपलब्धि			अनु.ज.जा.
	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	1 7 7 7	लक्ष्य	पूर्ण	प्रगति	निविदा	के लाभान्वितों
					पुर	प्रशासकीय	की संख्या
				,		स्वीकृति / बंद	
1.	वृहद पुल	कार्य	287	47.	128	112	38.94
2.	नाबार्ड ऋणों सहायता के	कार्य	6	2	1	3	0.29
	अंतर्गत वृहद पुलिया निर्माण	Į				<u></u>	
3.	राज्यों के राज्यमार्ग	कार्य	5	2	1	2	3.45
4.	चतुर्दिक दिशाओं को जोड़ने	सडक	30	13	14	3	11.18
	हेतु कारीडोर का निर्माण	पुल			<u> </u>		
	सड़क एवं पुल						
5.	मुख्य जिला मार्ग	सङ्क	7	2	4	1	1.75
6.	न्यूनंतम आवश्यकता कार्य	कार्य	540	84	198	248	83.56
7.	पुलों का निर्माण अनुच्छेद	पुल	5	1	4	0	0
	275 (1) सड़क एवं पुल						j.
8.	मूलमूत सुविधाओं का विकास	कार्य	5	3	0	2	0.95
	स्टेडियम(आदिवासी					İ	
	राज्य आयोजना)						ļ
9.	मूलमूत सुविधाओं का विकास	कार्य	3	0	1	2	0
	स्टेडियम (के.प्र.यो.)					.	
10.	च च्च शिक्षा महाविद्यालय भवन	भवन	29	5	13	11	2.75
	निर्माण				İ		
11.	इंजीनियरिंग तकनीकी	भवन	1	0	0	1	0.01
	महाविद्यालय भवन निर्माण				ĺ		ļ
12.	आयुर्वेदिक अस्पताल/	भवन	42	18	10	14	0.77
	औषधालय भवन निर्माण		-			-	
13.	उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	भवन	273	128	93	52	3.08
14.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रोंका	भवन	77	18	33	26	4.46
	निर्माण		, 				
15.	चिकिल्सालयों में शैयाओं की	भवन	4	1	0	3	0.76
	वृद्धि						
16.	न्याय प्रशारान (के.प्र.यो.)	भवन	1	0	0	1	0.01
17.	छात्रावास आश्रम भवन	भवन	33	9	13	11	2.02
1		L	l		L		

= 86 =



ं वार्षिक-प्रतिवेदन् 2008-09

के माध्यम से सम्पन्न कराये जाते हैं। इस योजना अंतर्गत जिले को सामान्य एवं आरक्षित विधान समा क्षेत्रों के लिए बराबर आवंटन दिया जाता है।

4.19.2 नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित कुल 34 विधानसभा क्षेत्र हैं जिन्हें वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए रूपये 2000.00 लाख का आवंटन दिया गया था। जिसके विरुद्ध रूपये 1902.81 लाख रूपये व्यय किये गये।

योजनावार वित्तीय उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :--

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1	2	3	4
1.	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	1700.00	1624.36
2.	जनसहभागिता योजना	300.00	278.45
	योग	2000.00	1902.81

4.20 लोक स्तास्थ्य यांत्रिकी विमाग

4.20.1 वित्तीय वर्ष 2008-09 में इस विभाग को रू. 21323.47 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध 17604.71 लाख रूपये व्यय किये गये। योजनावार वित्तीय उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :--

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1	2	3	4
1.	ग्रामीण सर्वेक्षण और जांच पड़ताल	150.00	141.78
2.	समस्या ग्रस्त ग्रामों में पेयजल	2000.00	2000.76
3.	पाइपों द्वारा ग्रा.ज.ए.यों.	7640.00	7087.42
4.	माइक्रोप्रोजेक्ट	300.00	284.92
5.	शालाओं में शौचालय	350.00	350.00
6.	रिसर्च एवं डेव्हलपमेंट	30,00	12.98
7.	भू–जल संवर्धन	178,00	19.11
8.	नगरी नई जलप्रदाय योजना हेतु ऋण	2500.00	1185,00
9.	औजार एवं संयंत्र	145,00	108.18

ुवार्षिकः प्रतिवेदनः 2008,- 09;

10.	पाइपों द्वारा ग्रामीण जलप्रदाय योजना (के.क्षे.यो.) 👉	740.00	731.37
11.	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	750.00	750.00
12.	शालाओं में पेयजल व्यवस्था	550.00	544.50
· 13.	शुद्ध पेयजल योजना	40.00	0.00
16.	ग्रामीण जल प्रदाय योजना का संधारण	20.00	0.00
17.	बडे बचेली जल प्रदाय	100.00	100.00
18.	जल गुणवत्ता समस्या निवारण	2260.00	1813.07
19.	जल प्रदाय योजनायें	2870.47	1794.97
20.	स्पॉट सोर्स द्वारा जल प्रदाय योजना	40.00	29.06
21.	250 से कम आबादी वाले क्षेत्र में नलकूप	660,00	651.59
-	योग .	21323.47	17604.71

योजनावार भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :--

큙.	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	भौतिक	लाभान्वित अनु.
^{yr} .	वाजना कावक्रम का नान	३५ग३	नापफ	
			उपलब्धि	जनजाति की
				संख्या
1,	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	सेनेटरी काम्प्लेक्स	37	4070
		व्यक्तिगत शौचालय	163839	983034
		आंगनवाडी स्वच्छता परिसर	1375	24750
	•	शालाओं में शौचालय	10966	4934700
2.	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	नलजल योजना	363	262300
	एवं जल संसाधन	हैण्डपंप	2538 वसाहटें	253800
3.	स्पॉट सोर्स योजना	नग	. 304	112200

4.21 चिकित्सा शिक्षा विभाग

विभाग को वित्तीय वर्ष में राशि रू. 2609.31 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध रू 1699.67 लाख व्यय किया गया।

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	्यय
1.	वृत्तियां / छात्रवृत्तियां	50,00	49.95
2.	चिकित्सा महा संबद्घ चिकित्सालय जगदलपुर	100.00	100.00
3.	चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर की रथापना	1162.56	838.65
4.	चिकित्सा महाविद्यालय संबद्घ चिकित्सालय	1036.75	700.59
5.	नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यकम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	260.00	10.48
	योग :-	2609.31	1699.65

द्ध चिकित्सालय 1036.75 700.59 ठम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण 260.00 10.48 2609.31 1699.65

्वार्षिक प्रतिवेदन २००८–०९

4.22 संस्कृति विभाग

विभाग को पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय की स्थापना तथा कार्यशालाओं के आयोजन के लिए राशि रू. 250.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरुद्ध रूपये 249.70 लाख की राशि व्यय की गयी। वर्ष में 15 कार्य शालाओं का आयोजन एवं 5 लघु निर्माण कार्य किये गये।

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	्यय
1.	मुक्तांगन संग्रहालय अन्य प्रभार	250.00	249.70
	योग –	250.00	249.70

4.23 नगरीय प्रशासन एवं विकास

विभाग को वित्तीय वर्ष 2008-09 में राशि रू. 2679.25 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध रू 1265.25 लाख व्यय किया गया।

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	60.00	0.00
2.	मूलभूत सुविधा	1265,25	1265,25
3.	एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास योजना	1354.00	0.00
	योग :	2679.25	1265.25

4.24 वाणिज्य एवं उद्योग विमाग

विभाग को वित्तीय वर्ष 2008-09 में रू. 2900.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरुद्ध रू. 1202.99 लाख व्यय किये गये। योजनावार व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है।

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	ब्याज अनुदान	1000.00	817.01
2.	लागत पूंजी अनुदान	400.00	385,98
3.	दल्ली राजहरा रावधाट जगदलपुर रेल लाईन परियोजना	1500.00	0.00
	योग	2900.00	1202.99

:बार्षिक प्रतिवेद**न** 2008–09

4.25 विधि एवं विधायी कार्य विभाग

विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना मद में रू. 51.50 लाख का बजट प्रावधान एखा गया था जिसके विरूद्ध शत प्रतिशत राशि व्यय की जाकर 49580 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को लाभान्वित किया गया।

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	. व्यय
1.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुदान	51.50	51.50
	योग	51.50	51.50

海海海海海

= 91 =

-- वार्षिक-प्रतिवेदन-2008--09

अध्याय – 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास

5.1 छत्तीसगढ़ राज्य में, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार,कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 66.16 लाख है। इसमें से 1.14 लाख (1.72 प्रतिशत) जनसंख्या भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग की है। ये जनजातियां अबूझमाड़ियां, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और कमार है। प्रदेश में इन जनजातियों का वर्ष 2002 में किये गये सर्वेक्षण अनुसार विवरण निम्नानुसार है :--

MANAGEM MANAGEM	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF			7 <u>-</u>	7
क्र.	वि.पि.ज.जा. का नाम	जिला तह.	ग्राम	कुल परिवार	कुल
			संख्या		जनसंख्या
1.	अबूझमाड़िया	बस्तर एवं दंतेवाड़ा जिला			
		नारायणपुर (तहसील)	152	3895	9.401
		दंतेवाड़ा (तहसील)	8		
		बीजापुर (तहसील)	41	}	
		योग-	201	3895	19,401
2.	बैगा	जिला कवर्धा	229	6319	29612
		जिला बिलासपुर	62 [.]	2828	13226
		योग -	291	9147	42,838
3.	पहाड़ी कोरबा	जिला जशपुर	88	2450	10725
		जिला अम्बिकापुर	260	4571	20,630
		जिला कोरबा	26	541	2025
		योग—	374	7562	33380
4.	बिरहोर	जिला जशपुर	11	. 110	401
		जिला रायगढ़	21	194	704
		योग	32	304	1105
5,	कमार	जिला रायपुर	182	2954	13,797
		जिला धमतरी	81	908	3962
		योग -	263	3862	17,759
		महायोग —	1161	24,770	1,14,483

- 5.2 भारत शासन द्वारा निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर किसी अनुसूचित जनजाति समुदाय को विशेष पिछड़ी जनजाति की मान्यता प्रदाय की जाती है।
 - कृषि में पूर्व प्रौद्यागिकी का चलन (झूम खेती)
 - 2. साक्षरता का निम्न स्तर।
 - अत्यंत पिछडे व दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करना।

न (झूम खेती)	•		
क्षेत्रों में निवास करना।	•		
manadas enanthilisedis entres enantes entres			

्वार्धिकः प्रतिवेदनः 2008–09

- 4. स्थिर या घटती हुई जनसंख्या दर का होना।
- 5.3 विशेष पिछड़ी जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास अभिकरणों का गठन म.प्र. राज्य में रिजस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत किया गया था। इन अभिकरणों से संबंधित कार्यकारिणी समिति में विशेष पिछड़ी जनजाति के ही अध्यक्ष एवं 5 सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित अभिकरण क्षेत्र के विधायक, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष को भी सदस्य मनोनीत किया गया है। यह कार्यकारिणी अभिकरण क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करती है। दस लाख से अधिक के कार्यक्रमों/योजनाओं की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान की जाती है।

क्र.	अभिकरण	स्थापना वर्ष	जनसंख्या सर्वेक्षण मई 2002 के अनुसार	ग्राम संख्या	टीप
1.	अबूझमाड़ विकास अभिकरण नारायणपुर	1978-79	19,401	201	अबूझमाङ्गिया
2.	बैगा एवं पहाड़ी कोरंबा विकास अभिकरण बिलासपुर/कोरबा	1996	13,226	62	बैगा
3.	बैगा विकास अभिकरण कवर्धा	1996	29,612	229	बैगा
4.	पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण अम्बिकापुर	1996	2025 20630	26 260	पहाड़ी कोरवा
5.	पहाड़ी कोरबा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, जशपुर रायगढ़	1978	10,725 401 704	88 11 21	पहाड़ी कोरवा बिरहोर बिरहोर
6.	कमार विकास अभिकरण गरियाबन्द	1981-82	17,759	263	कमार

5.4 छत्तीसगढ़ नया राज्य होने के कारण पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य के मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर वर्ष. 2008-09 में भी योजनाएं संचालित की गयी। प्रत्येक अभिकरण की समीक्षा बैठक आयोजित की जाकर योजनाओं तथा क्रियान्वयन की किमयों को दूर करने की दृष्टि से नयी कार्ययोजना बनायी जा रही है। वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन व्यय एवं स्वीकृति कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है:--

१र्षिक प्रतिवेदन २००४–०१

वर्तमान में उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाकर विशेष पिछड़ी जनजाति के 2 अभ्यार्थियों को शिक्षाकर्मी वर्ग-2, 77 अभ्यार्थियों को शिक्षा कर्मी वर्ग 3 तथा 10 अभ्यर्थियों को नियमित तृतीय श्रेणी के अन्य पदों पर, 255 चतुर्थ श्रेणी नियमित एवं 459 को कंटनजेंसी चतुर्थ श्रेणी पद पर शासकीय सेवा में सीधे नियुक्ति दी गई।

वार्षिक प्रतिवेदन 2008-09

अध्याय - 6

आदिम जाति मंत्रणा परिषद

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) भाग (ख) की चौथी कंडिका में दिए गए प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में नीतिगत विषयों पर राज्य शासन को परामर्श देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री छ ग शासन की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रणा परिषद गठित है। परिषद में माननीय मंत्री आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग उपाध्यक्ष है, परिषद के सदस्यों की सूची निम्नानुसार है :-

क्रमांक एफ 1—21/25—2/आजावि/2006, दिनांक 26 जुलाई 2006 आदिम जाति मंत्रणा परिषद नियमावली 2006 के उपनियम 3 एवं 4 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2006 द्वारा आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन किया गया है।

1.	माननीय मुख्य मंत्रीजी	अध्यक्ष
2.	माननीय प्रभारी मंत्रीजी	उपाध्यक्ष
	आ.जा.तथा अनु.जा. विकास	-
3.	माननीय श्री बलीराम कश्यप	सदस्य
	सांसदबस्तर	
4.	माननीय श्री विष्णु देव साय	सदस्य
	सांसद-रायगढ़	
5.	माननीय श्री सोहन पोटाई	सदस्य
	सांसद–कांकेर	
6.	माननीय श्रीमती प्रेमबाई मण्डावी	सदस्य
	जिला पंचायत अध्यक्ष, राजनांदगांव	·
7.	माननीय श्री शिवप्रताप सिंह	सदस्य
	विधायक- सूरजपुर (अनु०ज०जा०)	

= 97 ==

¥ 11 1 1
यां गया है।
या गया है।
-
ង
री
A rest M

8.	माननीय श्री रामविचार नेताम	सदस्य
	विधायक पाल (अनु०ज०जा०)	S. Carlotte and C. Carlotte an
9.	माननीय श्री सिद्धनाथ	सदस्य
	विधायक, सामरी (अनु.ज.जा.)	
10.	माननीय श्री कमलभान सिंह	स्दस्य
	विधायक—अंबिकापुर	
11.	माननीय श्री बेदूराम कश्यम	सदस्य
	विधायक केशलूर (अनु.ज.जा.)	
12.	माननीय श्री भरत साय	सदस्य
•	विधायक लैलूंगा (अनु०ज०जा०)	
13.	माननीय श्री ओमप्रकाश राठिया	सदस्य
	विधायक—धर्मजयगढ़ (अनु.ज.जा.)	
14.	माननीय श्री सत्यानंद राठिया	सदस्य
	विधायकलैलूंगा (अनु.ज.जा.)	
15,	माननीय ननकीराम कंवर	सदस्य
	विधायक–रामपुर (अनु.ज.जा.)	
16.	माननीय सुश्री पिंकी धुव	सदस्य
	विधायक सिहावा (अनु०ज०जा०)	
17.	माननीय श्री अघनसिंह ठाकुर,	सदस्य
	विधायक—कांकेर (अनु.ज.जा.)	
18.	माननीय श्री विक्रम उसेंडी	सदस्य
	विधायक—नारायणपुर (अनु.ज.जा.)	

ः वार्षिकः प्रतिवेदनः २००८–०९ः

सदस्य

19. मननीय श्री लच्छुराम कश्यप

विधायक चित्रकोट (अनु०ज०जा०)

20. माननीय श्री लालमहेन्द्र सिंह टेकाम सदस्य

विधायक—डोण्डीलोहारा(अनु.ज.जा.)

21. माननीय श्री संजीव शाह, सदस्य

विधायक—चौकी (अनु.ज.जा.)

22. सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति सचिव

विकास विभाग, मंत्रालय-रायपुर

02. विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद के सदस्य रहेंगें जब तक कि विधान सभा के सदस्य रहेंगे, अन्य सदस्य परिषद् में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अविध तक परिषद के सदस्य रहेंगे।

张铁铁铁铁

छत्तीसगढ़ आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक दिनांक 05 सितंबर, 2008 का कार्यवाही विवरण

माननीय डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष, आदिम जाति मंत्रणा परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 05 सितंबर, 2008 को अपरान्ह 4.30 बजे छत्तीसगढ़ आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संलग्न परिशिष्ट एक एवं दो में दर्शित माननीय सदस्यगण एवं अधिकारीगण उपस्थित हुए।

बैठक की शुरूआत करते हुए सचिव, आदिम जाित तथा अनुसूचित जाित विकास विमाग द्वारा आदिम जाित मंत्रणा परिषद की बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यगण एवं वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया गया तद् उपरांत बैठक में एजेण्डा अनुसार निम्नानुसार विचार विमर्श किया गया एवं निर्णय लिए गए।

एजेण्डा कमांक एक :

दिनांक 19-11-07 की बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि

दिनांक 19—11—07 की बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के पत्र कमांक एफ—5—5/25—2/04 दिनांक 3—12—07 द्वारा माननीय सदस्यों एवं संबंधित समस्त विभागों को प्रेषित की गई थी, जिसकी सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

एजेण्डा कमांक दो : आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक दिनांक 19-11-07 में लिए गए निर्णयों के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा :

2.1 दिनांक 18-10-06 एवं दिनांक 19-11-07 में यह निर्णय लिया गया था कि अबूझमाड़ क्षेत्र का सर्वेक्षण का कार्य एक साथ प्रारंभ न किया जा कर क्लस्टर बना कर कार्य किया जाए, यह कार्य ओरछा से प्रारंभ किया जा सकता है तथा प्रारंभिक रूप से सर्वेक्षण हेतु 5 ग्रामों का चयन किया जावे। साथ ही ग्रामों के चयन के संबंध में जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से भी सलाह दी जावे।

इस संबंध में राजरव विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि अबूझमाड़ क्षेत्र के 237 ग्रामों (5852 वर्ग कि.मी.) का हवाई सर्वेक्षण NRSA हैदराबाद द्वारा पूर्ण कर लिया गया है हवाई फोटोग्राफ के नक्शे राजस्व विभाग को दिनांक 27—11—07 को प्राप्त हो गये है। जमीनी सर्वेक्षण में लगभग 2 वर्ष का समय तथा रूपए तथा 5.50 करोड़ व्यय अनुमानित है, केन्द्र शासन से राशि की मांग की गई थी, प्रथम किश्त के रूप में रूपए 260.00 लाख का आवंटन 15 दिवस पूर्व भारत सरकार से प्राप्त हो गया है। प्रथम

चरण में अभिलेख निर्माण हेतु ओरछा विकासखंड के 5 ग्राम, कुरूसनार (खरगाँव), कंदाड़ी, जिबलापदर, कुंदला तथां वांशिग का चयन किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त 5 ग्रामों का जमीनी सर्वेक्षण माह अक्टूबर—नवंबर तक पूर्ण कर लिया जावे।

(कार्यवाही राजस्व विभाग)

नक्सल प्रमावित क्षेत्र में अधिकारी/कर्मचारियों को एक मुख्य ग्राम में आवास बना कर देने के संबंध लिए गए पूर्ण निर्णय के संबंध में राजस्व विमाग द्वारा अवगत कराया गया कि जिला बस्तर के ग्राम मर्दापाल, बड़े डोंगर एवं धनोरा में 15—15 आवास गृह लोक निर्माण विभाग के माध्यम से निर्मित कराए जा रहे है, सभी कार्य प्रगति पर है। जिला दंतेवाड़ा के ग्राम दोरनापाल में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु टेंडर की कीवाही जारी है, कार्य प्रारंभ नहीं हुए। जिला कांकर के ग्राम दुर्ग कोंदल में लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ग्राम कापसी में एजेन्सी का निर्धारण कर दिया गया है। कार्य प्रारंभ नहीं हुए है। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त कार्यों की अद्यतन प्रगति की जानकारी कलेक्टरों से प्राप्त कर ली जाए।

(कार्यवाही राजस्व विभाग एवं कलेक्टर,बस्तर/दंतेवाड़ा/कांकेर)

पूर्व बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि नक्सली गतिविधियों के कारण सुदूर ग्रामों के आदिवासी परिवार जो मुख्य सड़क के आस—पास आ कर रहने लगे हैं के व्यवस्थापन हेतु मुख्य सड़क के आस—पास के ग्राम में इस हेतु उपलब्ध शासकीय भूमि विस्थापित लोगों को दिए जाने हेतु आरिक्षत कर ली जावे।

2.5

राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बस्तर जिले के तहसील कोंडागांव में ग्राम बम्हनी में 2.50 एकड़ तथा बड़े डोंगर में 3.00 एकड़ भूमि इस हेतु चिन्हित कर आरक्षित कर ली गई है। ग्राम धनोरा में शासकीय भूमि स्थित है, जिसे आरक्षित कर लिया गया है। बस्तर जिले में नक्सली गतिविधि के कारण विस्थापन की समस्या नहीं है। जिला नारायणपुर के ग्राम देवगांव में 0.40 है. तथा हलामीमुंजमेटा में 1.60 है.भूमि चिन्हित कर नक्सल पीड़ित 89 परिवारों को 900 वर्गफुट के मान से भूमि आबंटित कर पट्टा प्रदाय कर दिया गया है। दंतेवाड़ा जिले में नक्सल प्रभावित 7177 परिवारों के व्यवस्थापन हेतु सड़क किनारे के 18 ग्रामों की कुल 3822.804 है. भूमि आबादी घोषित करने की कार्यवाही की जा रही है। राजस्व विभाग द्वारा कांकर जिले के संबंध में अवगत कराया गया कि कांकर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्गकोंदल, पंखाजुर, बड़गांव आदि सभी विकासखंड तथा तहसील मुख्यालय में आबादी घोषित करने लायक शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आबादी से बहुत दूर असुरक्षित जगहों पर विरथापितों को बसाना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। अतः उपर्युक्त स्थानों पर थाना भवन के

=101=

आस-पास आबादी लायक उपयुक्त 64 एकड़ निजी भूमि का चयन किया गया है। निजी भूमि के अर्जन किए जाने पर रूपये 53.20 लाख मुआवजा वितरण की आवश्यकता है।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि उपरोक्तानुसार भूमि अधिग्रहित की जा कर मुआवजा राशि रूपये 53.20 लाख का प्रस्ताव राजस्व विभाग द्वारा वित्त विभाग को तत्काल प्रेषित किया जावे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी कहा गया कि उपर्युक्त प्रभावित परिवारों के आवास हेतु स्थानीय निर्माण सामग्री का उपयोग कर उनके हिसाब से आवास गृहों की डिजाइनों आदि के निर्धारण. हेतु कलेक्टरों को अधिकार दिए जाए। इस हेतु कार्य योजना बना ली जावे।

(कार्यवाही राजस्व विमाग/कलेक्टर बस्तर/कांकेर/दंतेवाड़ा)

पूर्व बैठक में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। सचिव, 'आदिम जाति विकास विंमाग द्वारा अवगत करायां गया कि दिनांक 31.8.2008 तक वन भूमि पर काबिज 41,000 व्यक्तियों को मान्यता पत्र वितरित किया जा चुका है जिसमें से वर्ष 1980 से पूर्व के मौके पर पाए गए लगभग 30,000 अतिकामक शामिल है। इस संबंध में सचिव, आदिम जाति विकास विमाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सरगुजा जिले में इस कार्य की प्रगति अत्यंत कम है। जहां कोरबा आदि अन्य जिलों में काफी संख्या में मान्यता पत्र वितरित किए गए है वहीं सरगुजा जिले में लगभग 200 मान्यता पत्र ही वितरित किए गए है। अतः उन्हे दुत गति से कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है।

2.6

उपर्युक्त संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा बताया गया कि उनके पास यह शिकायत आ रही है कि कतिपय संगठनों के उकसावे पर कुछ जिले एवं क्षेत्रों में उक्त अधिनियम के प्रवृत्ति होने के पश्चात वन भूमि पर कब्जे एवं वृक्ष कटाई सुनियोजित तरीके से की जा रही है। इस पर संबंधित विभाग सख्ती से रोक लगावे तथा ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही वन विमाग)

पूर्व बैठक में वन विभाग के संबंध में चर्चा के दौरान माननीय सदस्यगण द्वारा यह अवगत कराया गया था कि बहुत से ऐसे भू—धारक, जिन्हें 1980 में राजस्व विभाग द्वारा पट्टा वितरित किया जा चुका है परंतु वन विभाग अभी भी उक्त भूमि को वन विभाग का बताते हुए उन्हें परेशान करता है जिस पर माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया था कि उक्त समस्या के निराकरण हेतु वन विभाग एवं राजस्व विभाग के सचिवों के संयुक्त हस्ताक्षर से एक परिपन्न जारी किया जावे जिसमें अभिलेख दुरस्त करने एवं विवादों के निपटारे के संबंध में मार्गदर्शन होगा।

वार्षिक प्रतिवेदन 2008–09

उपर्युक्त संबंध में राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व एवं वन सचिव के हस्ताक्षर से परिपत्र जारी कर दिया गया है तथा रिकार्ड में सुधार भी कर दिया गया है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत राजस्व एवं वन विभाग की भूमि पर कृषि कर रहे समस्त व्यक्तियों को अधिकार पत्र दिए जा रहे हैं अतः भविष्य में यह समस्या स्वमेव समाप्त हो जावेगी इसके बाद भी कहीं विवाद होता है तो इस स्थिति में जिलाध्यक्ष तथा वन मंडलाधिकारी की जिला स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण के निराकरण की कार्यवाही जारी रहेगी।

विशेष पिछड़ी जनजाति के सदस्यों के लिए एंग्लोइंडियन सदस्य के तरह रोटेशन में विधानसभा के एक सीट मनोनीत करने के संबंध में पूर्व बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया था कि भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों को मंत्रणा परिषद की ओर से प्रस्ताव भेजा जावे।

सचिव, आदिम जाति विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग के पत्र दिनांक 22.01.2008 द्वारा भारत सरकार, संसदीय कार्य मंत्रालय को तथा पत्र कमांक 30.01.2008 द्वारा भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय को मंत्रणा परिषद में पारित प्रस्ताव के तारतम्य में विशेष पिछड़ी जनजाति के सदस्यों के लिए एंग्लोइंडियन सदस्य के तरह रोटेशन में विधानसभा के एक सीट मनोनित करने के संबंध में लेख किया गया था। इस संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लेख किया गया है कि विशेष पिछड़ी जनजातियों विकास के लिए उन्हें विशेष रूप से चिन्हित किया गया है तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए संविधान में प्रावधान है। अतः उक्त के प्रकाश में विशेष पिछडी जनजातियों को एंग्लोइंडियन के समान मनोनयन द्वारा प्रतिनिधत्व दिए जाने हेत् प्रस्ताव उचित प्रतीत नहीं होता। राज्य सरकार चाहे तो आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक में विशेष पिछड़ी जनजातियों के प्रतिनिधियों को विशेष आमंत्रित प्रतिनिधि की भांति प्रतिनिधित्व देने पर विचार कर सकती है।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में एंग्लोइंडियन परिवारों की संख्या गिनी-चुनी है वहीं राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियां कभी भी सीधे चुनाव द्वारा अपना प्रतिनिधित्व नहीं दे पाएगी। इन तथ्यों का उल्लेख करते हुए उनकी ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी को तथा महामहिम राष्ट्रपति जी को 11 सदस्यों का नाम निर्देशित करने का अधिकार है, उक्त प्रावधान के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के सदस्यों का मनोनयन किया जा सकता है। भारत सरकार के सुझाव अनुसार मंत्रणा परिषद में विशेष पिछड़ी जनजाति के सदस्यों को आमंत्रित करने की कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही आ.जा.तथा अन्.जा.वि.विमाग/संसदीय कार्य विमाग)

∞वार्षिक प्रतिवेदन २००८–०९ -

शिक्षा के क्षेत्र में अशासकीय संस्थाओं को बढ़ावा दिए जाने संबंध में 32 अशासकीय संस्थाओं के अतिरिक्त और 8—10 अशासकीय संस्थाओं को अनुदान दिये जाने के निर्णय के संबंध में विमाग के सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि 10 नवीन अशासकीय संस्थाओं को अनुदान स्वीकृति का प्रस्ताव वित्ता विमाग को प्रेषित किया गया था किन्तु वित्त विभाग से नवीन संस्थाओं को अनुदान स्वीकृति हेतु प्रतिबंध होने के कारण इन प्रस्तावों पर स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी। वित्तीय वर्ष 2008—09 में 83 नवीन अशासकीय संस्थाओं को एकमुश्त अनुदान के रूप में कुल रूपए 412.00 की स्वीकृति जारी की गई है। इस जानकारी पर माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई।

तोकापाल जिला बस्तर में 1993 के बाद से भू—अभिलेख अद्यतन न किए जाने की बात पूर्व बैठक में आई थी जिस पर माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त संबंध में राजस्व विमाग द्वारा अवगत कराया गया कि जिला दंतेवाड़ा, सरगुजा, कोरिया, कांकर, नारायणपुर एवं बीजापुर में बंदोबस्त में पाई गई त्रुटियों के निराकरण हेतु विशेष दलों का गठन किया जा कर छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता,1959 की विविध शक्तियां वेष्ठित की गई है। इन दलों द्वारा जुलाई 2008 तक 4086 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। 953 प्रकरण शेष है। राजस्व विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि तोकापाल के समस्त प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है।

पूर्व बैठक में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया था कि 10 करोड़ बांस तथा 10 करोड़ मेंहंदी के पौधे लगाने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए।

2.13

उक्त संबंध में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2008 में बांस के पॉलीथिन बैग से 186.91 लाख एवं वैड में बांस के राईजोम 206.47 लाख तैयार किए गए है अर्थात कुल लगभग 4 करोड़ पौधे बांस के तैयार किए गए हैं, जिनमें से 1 करोड़ पौधे वितरित किए जा चुके हैं तथा 1 करोड़ पौधे शासकीय भूमि में लगाए जा चुके हैं। 2 करोड़ पौधे उनके पास अभी भी शेष है।

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि बास के पीधे सड़क किनारे के प्लांटेशन में लगाए जाए। सरगुजा एवं बस्तर में बांस की बहुत अधिक डिमांड है अतः प्रत्येक घर की बाड़ी में लगाने हेतु 10–20 पीधे निःशुल्क वितरित कर लगवाएं जाएं। बांस पीधे वितरण हेतु विशेष अभियान चलाया जाए तथा वन अधिकार पत्र वितरित करते समय बांस पीधे भी वितरित किए जाए। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में पूनः 4–5 करोड़ बांस पीधे तैयार करने का लक्ष्य रखा जावे।

मेंहदी रोपण के संबंध में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में स्थापित 700 नर्सिरयों के अतिरिक्त लगभग 250 नर्सरी और स्थापित किए जाने हेतु वन मंडलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।वर्ष 2007-08 में राज्य के समस्त वनमंडलों एवं 2 विश्वविद्यालयों में 38.87 टन मेंहदी बीज का

प्रदाय किया गया है। राज्य योजना मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड हेतु NREGA के अंतर्गत 50.00 करोड़ के बजट प्रावधान अंतर्गत वनौषधि कृषि को बढ़ावा देने के लिए रूपए 26.00 करोड़ तथा प्रत्येक जिले में एक-एक वनौषधि पार्क के निर्माण हेतु रूपए 16.00 करोड़ में मेंहदी रोपण को भी शामिल किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अंतर्गत जिला दक्षिण सरगुजा के सूरजपुर में, जिला कांकेर के बारदेवरी में, जिला मुख्यालय रायगढ़ तथा जिला मुख्यालय बिलासपुर में 10-10 हेक्टेयर में तथा जिला बस्तर के आसना पार्क में 8 हेक्टेयर में (कुल 48 हे.) मेंहदी रोपणी का प्रस्ताव स्वीकृत किए गए है।

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि मेंहदी का उपयोग फेंसिंग के लिए किया जाए, इसे रतनजोत प्लांटेशन के किनारे—किनारे लगाया जाए। राजस्थान में बड़े पैमाने पर मेंहदी की खेती होती है यहां भी निजी बंजर भूमि पर आधा—आधा एकड़ में मेंहदी की खेती हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

(कार्यवाही वन विभाग द्वारा)

कन्या छात्रावास के संबंध में चर्चा होने पर मान. मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक विकास खंड मुख्यालय पर कन्या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास प्रारंभ किया जावे। इस संबंध में सचिव, आदिम जाति विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि 64 विकासखंड मुख्यालयों पर 82 पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास पूर्व से ही संचालित है। वर्ष 2008–09 में 10 विकासखंड मुख्यालयों में नवीन पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास खोलने की स्वीकृति दी गई है। शेष 72 विकासखंड मुख्यालयों पर आगामी वर्षों में पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने की कार्यवाही की जावेगी।

2.14

2.15

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि पखांजुर, बोड़ला के अतिरिक्त शेष अन्य 8 विकासखंड मुख्यालयों पर तत्काल इसी वर्ष पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास खोलने की कार्यवाही की जावे तथा द्वितीय अनुपूरक बजट में शामिल कराया जाए। विभागीय सचिव द्वारा उक्त संबंध में स्थानीय व्यवस्था से उपरोक्तानुसार 10 छात्रावास खोलने का आश्वासन दिया गया।

(कार्यवाही आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग)

पूर्व बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 40 सीटर छात्रावासों को 50 सीटर किया जाए। विभार सिचव द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा संचालित सभी 991 आश्रम शालाओं को न सीट का कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के 1074 प्री. मैट्रिक छात्रावास संचार से 470 छात्रावास 50 सीट रो कम क्षमता वाले हैं। शिक्षा सत्र 2007–08 में जिलेवार र्स्ट

-- वार्षिक-प्रतिवेदन-२००८–०९

का शत प्रतिशत उपयोग न हो पाने के कारण (दंतेवाड़ा एवं बीजापुर को छोड़कर) समस्त छात्रावासों को 50 सीटर करने की कार्यवाही नहीं की जा कर जिला अंतर्गत रिक्त रह गई सीटों को आवश्यकता वाली संस्थाओं में समायोजित करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं।

.1 पूर्व बैठक में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की शैक्षणिक संस्थाओं के बिजली न काटे जाने के संबंध में जर्जा विभाग तथा आ.जा. तथा अनु, जाति विकास विभाग के सचिवों को आपस में चर्चा कर उचित निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया गया था। उर्जा सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा उक्त संबंध में समुचित निर्देश जारी कर दिए गए है।

इस विषय पर चर्चा के दौरान उर्जा सचिव के अनुरोध पर माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा यह घोषणा की गई कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा संचालित सभी आश्रमों तथा छात्रावासों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा निःशुल्क सी.एफ.एल. बल्ब प्रदाय किए जाएंगे।

(कार्यवाही आ.जा.तथा अनु.जा.वि./ चर्जा विभाग)

एजेण्डा कमांक तीन:

राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्य की ओर महामहिम राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन वर्ष 2006–07 पर चर्चा एवं अनुमोदन।

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर महामहिम राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। चर्चा उपरांत प्रतिवेदन पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए उक्त प्रतिवेदन में विशेष पिछड़ी जनजाति के जिन उम्मीदवारों को शिक्षा कर्मी के पद पर सीधे नियुक्ति प्रदान की गई है का भी उल्लेख करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विमाग)

उक्त संबंध में चर्चा के दौरान माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि विशेष पिछड़ी जनजाति के उम्मीदवार को शिक्षा कर्मी आदि के पद पर सीधे नियुक्ति करने की कार्यवाही विशेष कार्यक्रम आयोजित कर की जानी चाहिए, जिसमें उक्त क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए।

(कार्यवाही पंचायत विमाग)

ःवार्षिकः प्रतिवेदनः 2008–09

एजेण्डा कमांक चार:

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विभिन्न विकास विभागों की प्रस्तावित योजनाओं की स्वीकृति

प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा परिषद को यह अवगत कराया गया कि आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत विभिन्न विकास विभागों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं पर आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की सहमति के उपरांत ही प्रशासकीय / वित्तीय स्वीकृति दी जा सकती है। इसके लिए आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत योजनाओं पर सहमति देने हेतु यह मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं जिसके अनुसार (1) प्रस्तावित योजना से लाभान्वित होने वाली कुल जनसंख्या में से कम से कम 50 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति वर्ग से होनी चाहिए तथा (2) प्रस्तावित सिंचाई योजना के संदर्भ में योजना से सिंचित कुल भूमि के रकबा में से कम से कम 50 प्रतिशत रकबा अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए परंतु सिंचाई योजनाओं के कियान्वयन हेतु कार्य स्थल का चयन तकनीकी एवं लागत की दृष्टि से उपयुक्त पाए जाने पर किया जाता है। सामान्यतः सिंचाई योजनाओं के कार्य स्थल प्राकृतिक होते हैं जिससे कार्य स्थल के परिवर्तन होने की संभावना क्षीण होती है। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में उपर्युक्त मापदंड के कारण कई प्रस्तावित योजना स्थलों पर कुल अनुमानित सिंचित भूमि के रकवा में से अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि 50 प्रतिशत से कम होने पर उक्त योजनाओं पर सहमति नहीं मिल पाती तथा ऐसे योजना स्थलों के लिए आयोजनेत्तर मद से भी आबंटन प्राप्त नहीं हो पाता। अतः 50 प्रतिशत के उपर्युक्त मापदण्ड को कम कर के 25 प्रतिशत किए जाने हेतु परिषद के माध्यम से निर्णय लिया जाए।

उपर्युक्त संबंध में परिषद में चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि'जल संसाधन विभाग की ऐसी योजनाएं जिनमें आदिवासी वर्ग के हितग्राही/सिंचित रकबा 50 प्रतिशत से अधिक हो उसे आदिवासी उपयोजना मद से तथा ऐसी योजनाएं,जिनमें आदिवासी वर्ग के हितग्राही / सिंचिंत रकबा 50 प्रतिशत से कम हो को सामान्य बजट से स्वीकृति का प्रस्ताव दिया जाए।

(कार्यवाही जल संसाधन विभाग/वित्त विभाग/आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)

एजेण्डा कमांक पांच:

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय :-

गृह विभाग द्वारा परिषद को अवगत व है। इस भर्ती में स्थानीय लोगों विशेष

क्राया गया कि निकट भविष्य में आई.आर.बटालियन में भर्ती होना	
कर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को पर्याप्त अवसर	
=== 107 ====	Singer Live
107	

वार्षिक प्रतिवेदन २००८–०९

मिल सके इस लिए इस भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं शारीरिक मापदण्ड की अर्हता को शिथिल करने का प्रस्ताव है। यदि मंत्रणा परिषद उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करती है तो मंत्रणा परिषद की अनुशंसा सहित प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाएगा।

चर्चा उपरांत इस भर्ती हेतु अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के लिए शैक्षणिक एवं शारीरिक मापदण्ड की अर्हता को शिथिल करने के गृह विभाग के प्रस्ताव पर परिषद द्वारा सिद्धांततः सहमति प्रदान की गई।

(कार्यवाही गृह विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग)

परिषद के माननीय सदस्य श्री विकम उसेंडी जी द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा तथा नौकरियों के लिए जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छान—बीन समिति द्वारा 1950 के पूर्व के राजस्व अभिलेख की मांग की जाती है जबिक अबूझमाड़ं क्षेत्र के 237 ग्राम असर्वेक्षित है। अतः वहां के लोगों के लिए ऐसे अभिलेख उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जहां कि जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन का कार्य किया जाता है रायपुर में हैं, जिसके कारण दूर दराज यथा वस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र के लोगों को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है जबिक अविभाजित मध्यप्रदेश के दौरान बस्तर एवं विलासपुर में संस्थान के कार्यालय थे, इस विषय पर यह परिषद उचित निर्देश देंवे।

5.2

जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु राजस्व अभिलेखों की आवश्यकता के संबंध में आदिम जाति अनुसंधान रांस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि जहां राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं वहां जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र तथा शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्रों के आधार पर जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाता है।

सरगुजा एवं बस्तर क्षेत्र के लोगों के जाति प्रनाण पत्र के सत्यापन हेतु रायपुर आने की समस्या को दृष्टिगत रख कर माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा बस्तर एवं सरगुजा में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहायक कार्यालय खोलने हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें उप संचालक स्तर का अधिकारी पदस्थ होगा।

(कार्यवाही आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)

सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि अविभाजित मध्यप्रदेश के समय वर्ष 1995 में यह निर्णय लिया गया था कि आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में स्कूली शिक्षा का दायित्व एवं नियंत्रण आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधीन ्वार्षिक-प्रतिवेदनः २००८--०९

तथा सामान्य क्षेत्र में स्कूली शिक्षा का दायित्व एवं नियंत्रण रकूल शिक्षा विभाग के अधीन होगा तथा वहां पवरथ कर्मचारी विशेष उपबंधों के अधीन संबंधित विभाग में प्रतिनियुक्ति पर माने जावेंगे। उक्त निर्णय के अनुसरण में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा सामान्य क्षेत्र में स्थित अपने समस्त स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है परंतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में स्थित 1908 प्राथमिक स्कूल, 280 माध्यमिक स्कूल, 65 हाईस्कूल तथा 52 हायर सेकंडरी स्कूलों का स्थानांतरण आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग को स्थानांतरित नहीं किया गया है, इसके अतिरिक्त उक्त निर्णय के विरूद्ध स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 2008–09 में 34 नवीन हाईस्कूल तथा 08 नवीन हायर सेकंडरी स्कूल प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

चर्चा उपरांत माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि मुख्य सचिव उभय आदिम जाति विकास विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के साथ बैठ कर इस विषय पर निराकरण करेंगे।

(कार्यवाही आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विमाग/स्कूल शिक्षा विमाग)

अंत में सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग तथा सचिव मंत्रणा परिषद द्वारा ब्रैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषण की गई।

सही

(एम.के.राऊत) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग

经安全的

- वार्षिक-प्रतिवेदन २२००८-०९

अध्याय - 7

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

---0---

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे है। ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 बनाये गये। यह नियम भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 01 जनवरी 2008 से प्रभावशील है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2007 के कियान्वयन बाबत् दिनांक 08.02.2008 के द्वारा समस्त जिला कलेक्टर को निर्देशित किया जाकर दिनांक 06.10.2008 को आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, छ.ग.रायपुर को नोडल अधिकारी घोषित किया गया।

अधिनियम के कियान्वयन की मॉनिटरिंग हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नानुसार छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क./987/25—3/2008/ आजावि दिनांक 07.07.2008 के द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 की कंडिका 9 के प्रावधान अनुसार निम्नानुसार राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया।

1.	मुख्य सचिव,छ.ग. शासन		अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव,छ.ग. शासन,वन विभाग		सदस्य
3.	प्रमुख सचिव,छ.ग. शासन,राजस्व विभाग	_	सदस्य
4.	सचिव, छ.ग. शासन,आदिम जाति तथा	~	सदस्य
	अनुसूचित जाति विकास विभाग		
5.	सचिव, छ.ग. शासन,पंचायत एव ग्राम विकास विभाग	_	सदस्य

ACIDED 1 1 0 February

्रवार्धिकः प्रतिवेदनः २००८-००,

6.	प्रधान	मुख्य	वन	संरक्षव
----	--------	-------	----	---------

सदस्य

7. जनजातीय सलाहकार परिषद के 3 अनुसूचित जनजाति

सदस्य, (माननीय अध्यक्ष, आदिम जाति मंत्रणा परिषद द्वारा मनोनीत)

सदस्य

8 आयुक्त/संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ.ग.

सदस्य/सचिव

मुख्य सचिव, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य/सचिव को अधिनियम के कियान्वयन की मॉनिटरिंग का दायित्व सौंपा गया।

छ.ग.राज्य में अधिनियम के कियान्वयन के अंतर्गत कुल 15,147 ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित की जांकर 14,871 वन अधिकार समितियों का गठन किया गया है। इस संबंध में वन विभाग, राजस्व विभाग एवं पंचायत विभाग से समन्वय करते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत पात्रता रखने वाले 1,37,967 अन्य परंपरागत वन निवासी आवेदकों को वनभूमि के अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2007 के अंतर्गत छ.ग.राज्य में कुल 408242 दावा आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिसमें से 145924 प्रकरणों को वन अधिकार समिति द्वारा अनुमोदित किया गया एवं 1,37,967 वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया। जिलावार स्थिति निम्नानुसार है :—

क.	जिला	कुल प्राप्त दावा आवेदन	अनुमोदित प्रकरणों	वितरित वन अधिका
		पत्रों की संख्या	की संख्या	पत्रों की संख्या
1.	सरगुजा	37395	16134	14599
2.	कोरिया	26797	3760	3760
3.	बिलासपुर	33843	10138	8289
4.	कोरबा	44444	18985	18985
5.	जांजगीर	2200	536	536
6	रायगढ	19324	2341	2211
7.	जशपुर	9712	1117	1117
8	राजनांदगांव	17555	3206	2314
9	कबीरधाम	10286	2565	2565

= 111=

		The state of the		
 र्षिक प्र	III II II II	で織り	n Rær	102

	योग	408242	145924	137967
18	नारायणपुर	2747	2681	2028
7	बीजापुर	2388	2298	2298
6	दंतेवाड़ा	29344	5226	3288
5	कांकेर	27646	13522	13522
4	जगदलपुर	104598	48758	48758
3	धमतरी	7539	2894	2894
2	महासमुंद	15018	4226	4226
11	रायपुर	16038	6753	5793
10	दुर्ग	1368	· 784	784

, वार्षिक प्रतिवेदन, 2008–09.

अध्याय - 8 नक्सलवाद प्रभावित आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु प्रावधान

छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश कमांक एफ-4/82/ गृह-सी/2001/ दिनांक 20 अक्टुबर 2004, राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में नक्सल पीड़ित व्यक्तियों / परिवारों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़े जाने के उददेश्य से तथा पर्याप्त सुरक्षा एवं पुनर्वास के लिये निम्नानुसार कार्ययोजना स्वीकृत करता है -

- नक्सल पीड़ित व्यक्ति/परिवार से आशय ऐसे व्यक्ति/परिवार से है -1.
- जिस व्यक्ति / परिवार के सदस्य की नक्सलवादियों द्वारा हत्या कर दी गई हो अथवा स्थाई तौर पर 3ĭ. शारीरिक रूप से अक्षम कर दिया गया हो अथवा गंभीर रूप से आहत कर दिया गया हो अथवा
- जिस व्यक्ति/परिवार की चल/अचल संपत्ति को नक्सलवादियों द्वारा इस स्तर तक क्षति पहुंचा दी ब. गई हो जिससे उसके जीविकोपार्जन में बांधा उत्पन्न होती हो।
- पुनर्वास से संबंधित कार्य योजना को कार्यान्वित करने व समीक्षा करने के लिये जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें पुलिस अधीक्षक, संबंधित वनमंडलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उप संचालक कृषि, उप संचालक शिक्षा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शामिल होंगें। पीड़ित परिवार में परिवार के मुखिया अथवा वैध उत्तराधिकारी ही राहत / सहायता राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
- नक्सली पीड़ित एवं आत्मसमर्पित नक्सली व्यक्तियों द्वारा पुनर्वास हेत् आवेदन पुलिस अधीक्षक को 3. प्रस्तुत किये जाने पर, पुलिस अधीक्षक प्रकरण की वस्तुरिथिति का स्वयं परीक्षण कर आवश्यक दस्तावेजों सहित कलेक्टर को अपने अभिमत के साथ अग्रेषित करेगा। कलेक्टर के पास आवेदन पत्र आने पर वे पुलिस अधीक्षक से सुसंगत जानकारी प्राप्त कर पुनर्वास हेतु कार्यवाही प्रारंभ करेंगें।
- पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही 90 दिन के अन्दर पूरी कर ली जायेगी। इसके लिये संबंधित सभी विभागाध्यक्षों को अवगत कराया जायेगा तथा प्रत्येक विभाग उपरोक्त समयावधि में अपने विभाग से संबंधित कार्यवाही पूर्ण करेगें। राज्य स्तर पर एक अंन्तविभागीय समिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह की अध्यक्षता में होगी, जो प्रदेश के अंतर्गत बनाये गये होंगे, की प्रगति की समीक्षा करे के किसी प्रकरण प्राप्ति के 60 दिनों में उसका
- आत्मसमर्पित नक्सली के पुनर्वास में इस बात का विरुद्ध कार्यवाही में राज्य को कितना योगदान वि

ो प्रदेश के सभी ऐसे पुनर्स्थापना के प्रकरण जो इस योजना के
समीक्षा करेगी। यदि किसी कारणवश जिला स्तर पर पुनर्स्थापना
में उसका निराकरण अवश्य करेगी।
स बात का परीक्षण किया जायेगा कि उसके द्वारा नक्सलियों के
योगदान दिया गया है।
नामामा मन्त्रा मना हो।
113 miles

्वार्षिकः प्रतिवेदनः २००८--०९:

- 6. नक्सली पीड़ित व्यक्तियों / परिवारों एवं आत्मसमर्पित नक्सिलयों के पुर्नवास करने एवं अनुदान आदि दिये जाने में निम्न बातों को दृष्टिगत रखना आवश्यक होगा :--
 - (1) उम्र (2) शिक्षा (3) सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि,(4) व्यवसाय का मापदंड जिसे वह पुनर्वास हेतु स्वीकार करना चाहता है। (5) पुनर्वास की विस्तृत योजना
- 7. आत्मसमर्पित नक्सली पर यदि पूर्व में राज्य शासन/पुलिस विभाग द्वारा इनाम घोषित रहा हो तथा आत्मसमर्पण करने के बाद यदि उसके द्वारा पुलिस को नक्सली विरोधी अभियान में सहयोग दिया गया हो, तो उस आधार पर इनाम की समस्त राशि अथवा आंशिक राशि जैसा परिस्थितियों के अनुरूप उचित हो आत्मसमर्पित नक्सलवादी को दिये जाने पर विचार किया जा सकता है तथा इस प्रकार उपलब्ध कराई गई इनाम की राशि आत्मसमर्पित नक्सली के पुनर्वास के लिए स्वीकृत व्यय में सम्मिलत की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त नक्सल प्रभावित जिलों के संघम सदस्य, जारा नक्सली गतिविधियों से स्वयं को विरत कर नक्सल विरोधी अभियान में शासन को सहयोग देने पर उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पांच हजार रूपये तक प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा सकेगी। ऐसे सभी प्रकरणों का प्रस्ताव जिले के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त होने पर इसका पूर्ण परीक्षण जिला स्तर पर गठित समिति, द्वारा किया जायेगा तथा समिति की अनुशंसा उपरांत प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा सकेगी। प्रोत्साहन राशि बजट शीर्ष "मांग संख्या—4 शीर्ष 2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—60—अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यकम—200—अन्य योजना—2653 पूर्व दृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान/सहायक अनुदान—14 आर्थिक सहायता—सहायता अनुदान" आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी।
- अात्मसमर्पित नक्सली ने यदि शस्त्रों के साथ समर्पण किया है, तो ऐसे समर्पित शस्त्रों के बदले मुआवजे के रूप में शासन द्वारा निम्नानुसार अनुग्रह राशि स्वीकृत की जा सकेगी।
 - 1.
 एल.एम.जी.
 रू.
 3,00,000

 2.
 ए.कं.—47 रायॅफल
 रू.
 2,06,000

 3.
 एस.एल.आर. रायफल
 रू.
 1,00,000

 4.
 थी नाट थी रायफल
 रू.
 50,000

 5.
 12 बोर बन्दुक
 रू.
 20,000

वार्षिक प्रतिवेदन 2008–09

- आत्मसमर्पित नक्सली पति एवं पत्नी को एक ही ईकाई माना जायेगा। और उन्हें पुनर्व्यवस्थापित करने 9. के लिये दोनों में से किसी एक को पूर्नवास योजना का लाभ दिया जायेगा।
- आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सली पीड़ित व्यक्तियों को ग्रामीण विकास विभाग की आवास एवं स्वरोजगार संबंधी विभिन्न प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत पात्रता अनुसार प्राथमिकता देते हुये सहायता दी जायेगी। जिन जिलो/विकास खंडो का चयन राष्ट्रीय सम विकास योजना/छ.ग. गरीबी उन्मूलन परियोजना के अंतर्गत किया गया है वहां इन योजनाओं के अंतर्गत एपीएल परिवारों के हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु आवश्यकतानुसार ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराने में जिला कलेक्टर द्वारा प्राथमिकता दी जांयेगी।
- नक्सली पीडित व्यक्ति/परिवार एवं आत्मसमर्पित नक्सलवादी, जिनके पास जीविकोपार्जन का कोई 11. साधन न हो, नक्सल प्रभावित जिलों में से किसी भी स्थान पर कृषि योग्य भूमि आवंटन हेतु निवेदन कर सकेगें। संबंधित विभाग की यह जिम्मेदारी होगी कि इन व्यक्तियों के यथासंभव वरीयता कम में भूमि उपलब्धंता अनुसार आवंटित की जायेगी। साथ ही भूमि आवंटन करते समय इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जायेगा। इसके कियान्वयन के लिये यदि आवश्यक होगा, तो संबंधित विभाग अपने वर्तमान नियमों में आवश्यक संशोधन कर सकेगें। ऐसे प्रकरणों में यदि आवश्यक हो तो नक्सली पीडित व्यक्ति को सुरक्षा की दृष्टि से उसके स्वयं के भूमि के बदले में दूसरे स्थान में सममूल्य भूमि, उपलब्धता अनुसार दी जा सकेगी।
- यदि नक्सली पीडित व्यक्ति एवं आत्मसमर्पित नक्सली द्वारा वन क्षेत्र/राजस्व की भूमि निवास अथवा कृषि हेत् अतिकमित की है तो पात्रतानुसार भूमि व्यवस्थापन की कार्यवाही की जायेगी। आवश्यक होने पर संबंधित विभाग अपने वर्तमान नियमों में संशोधन कर लेंगें। वन भूमि में व्यवस्थापन के लिये वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई "कटऑफ" तिथियां यथावत रहेंगी।
- सुरक्षा तथा अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुये यदि शहरी क्षेत्र में पुनर्वास करना आवश्यक हो, तो शहरी योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने हेतु शहरों में आवास तथा स्वरोजगार की प्रचलित योजनाएं के अंतर्गत नजूल प्लाट उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जावेगी।
- यदि आत्मसमर्पित नक्सली व नक्सल पीड़ित व्यक्ति शिक्षित है और शिक्षा कर्मचारी नियुक्त होने की पात्रता रखता है तो ऐसे प्रकरणों में उनकी नियुक्ति उसी पद्धति से की जावेगी, जिस पर प्रीमिटिव ट्राइब की, की जाती है।
- यदि आत्मसमर्पित नक्सली अथवा नक्सली पीड़ित व्यक्ति शासकीय सेवा में नियुक्त होने की पात्रता

्यार्षिकः प्रतिवेदन^{े १}२००८ - ०९ :

रखता है तो उसे नियुक्ति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। अन्यथा उसे पात्रता अनुसार होमगार्ड के रूप में नियुक्ति दी जायेगी।

- 6. यदि किसी व्यक्ति द्वारा नक्सिलयों के विरुद्ध अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया गया हो, जिसके कारण उसकी सम्पित्त एवं प्राणों की सुरक्षा को वास्तिवक खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में उसे क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक की सहमित से पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग में, ऐसे व्यक्तियों को, पुलिस विभाग की अधीन निम्नतम पदों पर अर्थात् आरक्षक, अर्दली या उसके समकक्ष पदों अथवा होमगार्ड पर योग्यातानुसार नियुक्ति कर सकेगा। यह प्रावधान आम जनता के उन व्यक्तियों के लिये ही लागू होगा, जिन्होंने नक्सिलयों के विरुद्ध मुटभेड़ में, पुलिस को विशेष सहयोग किया हो अथवा स्वयमेव आम जनता की रक्षा व शासकीय/अशासकीय सम्पित्त की सुरक्षा के दौरान नक्सिलयों से मुकाबला किया हो।
- 17. नक्सली पीड़ित महिलाओं एवं आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का लाम उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही उन्हें शासन की प्रचलित योज का सदस्य बनाकर कुटीर उद्योगों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। इनके उत्पादों के विकय हेतु बाजार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जायेगा।
- 18. नक्सली पीड़ित व्यक्ति एवं आत्मसर्पित नक्सली यदि स्वयं की शिक्षा पुनः जारी रखना चाहते है, अथवा उसके पुत्र-पुत्री शिक्षा प्राप्त कर रहें है तो उन्हें छात्रवृत्ति की सुविधा, पात्रता अनुसार प्राथमिकता के आधार उपलब्ध करायी जायेगी।
- 19. यदि उनके पुत्र पुत्री शिक्षित है, एवं शासकीय सेवा के लिये न्यूनतम अर्हता रखते है तो उन्हें शासकीय सेवा में प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा। यदि पीडित व्यक्ति या परिवार का पुत्र—पुत्री पुलिस विभाग में आना चाहता हो, तो ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में रेज के पुलिस महानिरीक्षक की सहमित से पुलिस अधीक्षक पुलिस विभाग में ऐसे व्यक्तियों को आरक्षक पद पर नियुक्त कर सकेगें। आरक्षक पद पर नियुक्त के लिए आवश्यक मापदण्डों में किसी प्रकार की छूट देने के लिए रेंज पुलिस महानिरीक्षक सक्षम होंगें।
- 20. मृतक के परिवार में ऐसे कम उम्र के बच्चे, जो 18 वर्ष से कम के हों और अध्ययनरत हों, उन्हें समीप के आश्रम में रहने की सुविधा एवं छात्रवृत्ति ठीक उसी प्रकार उपलब्ध करायी जायेगी, ैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उपलब्ध करायी जाती है।
- मृतक के आश्रित परिवार के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को, यदि उक्त परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में न हो, तथा वह शासकीय सेवा में नियुक्त होने की पात्रता रखता हो, तो शासकीय सेवा में नियुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

- 22. नक्सली हिंसा में मारे गये आम नागरिकों के आश्रित परिवारों को प्रति मृतक व्यक्ति रूपये एक लाख के मान से राहत / सहायता राशि आश्रित परिवार को गृह विभाग के वजट शीर्ष "मांग संख्या—4 शीर्ष 2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—60—अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम—200—अन्य योजना— 2653 पूर्वादृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान / सहायक अनुदान—14 आर्थिक सहायता—सहायक अनुदान" आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी। इस राहत / सहायता राशि को आश्रित परिवार को प्रदान करने के लिये राशि का आहरण एवं संवितरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। जिला कलेक्टर का यह दायित्व होगा कि घटना के एक सप्ताह के भीतर पूरी राशि का भुगतान नक्सली पीडित परिवार को हो जाये। राशि के आहरण हेतु जिला कलेक्टर बजट आंवटन की प्रतीक्षा नहीं करेगे। उक्त बजट शीर्ष से राशि आहरण एवं वितरण कर गृह विभाग व वित्त विभाग को इसकी सूचना तीन दिवस के भीतर भेजेंगे। कलेक्टर द्वारा भुगतान की गई राशि का प्रावधान उसी वित्तीय वर्ष के प्रथम / द्वितीय / तृतीय अनुपूरक अनुमान में कराना आवश्यक है।
- 23. यदि नक्सली गतिविधियों के कारण किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षिति पहूंचाई गई हो, और वह गिकलांग हो गया हो, तो उसके आश्रित परिवार के बच्चों को वे सुविधाएं ठीक उसी प्रकार उपलब्ध कराई जायेगी, जो कि नक्सली गतिविधियों के कारण किसी मृतक व्यक्ति के आश्रित परिवार को उपलब्ध कराई जा रही है।
- 24. नक्सली हिंसा में किसी आम नागरिक के शारीरिक रूप से अपंग होने / गंभीर रूप से घायल होने आदि किसी व्यक्ति की संपत्ति को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्षित होने पर उन्हें निम्नानुसार राहत / सहायता राशि गृह विभाग बजट शीर्ष "मांग संख्या—4 शीर्ष 2235— सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यकम—200 अन्य योजना—2653 पूर्वादृष्टि प्रयोजनों के लिये अनुदान / सहायक अनुदान—14 आर्थिक सहायता— राहायक अनुदान" आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी :—
 - 1. घायल की--

क. स्थाई असमर्थ	र्फ. 50,000	(रू.पच्चास हजार)
ख. गंभीर घायल	₹⊼. 10,000	(रु. दस हजार)

2. स्थायी संपत्ति (मकान, दुकान आदि)--

 क. कच्चे मकान
 रू. 10,000 (रू. दस हजार)

 ख. पक्के
 रू. 20,000 (रू. बीस हजार)

- 3. चल संपत्ति (अनाज, कपड़े, घरेलू सामान) के नुकसान पर —रू. 5,000 (रू. पांच हजार)
- 4. जीविकोपार्जन के साधन की क्षति जैसे बैलगाड़ी, नाव आदि—रू. 10,000 (रू. दस हजार)
- 5. जीविकोपार्जन के साधन की क्षति जैसे ट्रेक्टर, जीप आदि —रू. 25,000 (रू.पच्चीस हजार)

उपरोक्त सुविधा में वे व्यक्ति परिधि में नहीं आवेगें, जिन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नियमों के अंतर्गत पात्रता है।

- 25. नक्सली गतिविधियों के कारण किसी व्यक्ति की संपत्ति का आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कोई क्षिति पहुंचती है तो ऐसी संपत्ति की बीमा राशि को छोड़कर उचित मुआवजा दिया जायेगा। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों की संपत्ति का नुकसान होने पर उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम,1989 के नियम 12(चार) के अंतर्गत राहत राशि आदिम जाति तथा कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
- 26. आत्मसमर्पित नक्सिलयों एवं नक्सिली पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों के पुर्नवास की व्यवस्था तत्समय प्रचिलत प्रावधानों के अंतर्गत ही की जायेगी। साथ ही उनकी आवश्यकता एवं पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुये उपरोक्त सुविधाओं में से किसी एक अथवा एक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय जिला स्तरीय समिति कर सकेगी।
- 27. आत्मसमर्पित नक्सली अथवा नक्सली पीडित व्यक्ति के विरुद्ध यदि पूर्व में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हो, तो उनके द्वारा नक्सली उन्मुलन में दिये गये योगदान को ध्यान में रखते हुए आपराधिक प्रकरणों को समाप्त करने पर शासन विचार कर सकेगा।
- 28. आत्मसमर्पित नक्सिलयों द्वारा पुनर्वास के पश्चात् नक्सिली दलों से संपर्क रखने की जानकारी प्राप्त होने पर तथा उसकी पुष्टि किये जाने पर ऐसे आत्मसमर्पित नक्सिलयों को पुनर्वास हेतु उपलब्ध करायी गई ऋण राशि एवं संसाधनों को जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन राजसात करने के आदेश दे सकेंगा।
- 29. नक्सल पीड़ित परिवार यदि वह चाहे तो अपने स्वामित्व की भूमि को शासन को वेकर तथा उसके बदलें अन्यत्र प्रदेश में कहीं भी उसकी भूमि के बदले समतुल्य कीमत की भूमि उसे आवंदित किये जाने का आवेदन दे सकेगा। इस आवेदन का परीक्षण कर जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर भूमि की आवेदित स्थान पर उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए शासन समतुल्य मूल्य की भूमि आवंदित कर सकेगी।

्वार्षिक प्रतिवेदन २००८–००

यह आदेश वित्त विभाग की टीप क.आर-675/बी-1/चार/04 दिनांक 23.08.2004 द्वारा दी गई राहमति से जारी किया जा रहा है।

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार सही (केo सुब्रमणियम) विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग

=119=

: वार्षिक प्रतिवेदन २००८–०९

अध्याय-9

अनुसूचित क्षेत्र के पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान

संविधान के 73 वां संशोधन एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिये पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार) केन्द्रीय अधिनियम—1996 में किये गये प्रावधानों का अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों में जागरूकता लाने हेतु राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के लिये किये गये विशेष उपबंध/प्रावधान का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :--

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) केन्द्रीय अधिनियम—1996 के उपबंध 4 का छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा कियान्वयन/पालन—

क्र.	केन्द्रीय अधिनियम में प्रावधान	जाला पालन जाता किये कर्म जन्म
ж.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5 万. 4 (市)	पंचायतों पर कोई राज्य विधान जो बनायां जाये रूढ़िजन्य, विधि, सामाजिक और धार्मिक पद्धतियों और सामुदायिक संपदाओं की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा।	खल्य शासन द्वारा किये गये प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम के अध्याय 14 क में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशेष उपबंध के रूप में पंचायतराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 एवं पंचायतराज (संशोधन) अधिनयम—1999 में रूढ़िजन्य, विधि, सामाजिक और धार्मिक पद्धितयों और सामुदायिक संपदाओं की परंपरागत प्रबंध पद्धितयों के अनुरूप पंचायतों पर निम्नानुसार राज्य विधान बनाया गया है— कंडिका—129 क (क) "ग्राम सभा" से अभिप्रेत है ऐसा निकाय जो उन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिनके नाम ग्राम स्तर पर या उसके ऐसे भाग में जिसके लिये उसका गठन किया गया हो पंचायत क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामाविलयों में सम्मिलित है। (ख) "ग्राम" से अभिप्रेत है अनुसूचित क्षेत्रों में कोई ऐसा ग्राम जिसमें साधारणतया आवास या आवासों का समूह अथवा छोटागांव या छोटे गांवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो। कंडिका—129 ख 1. राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये किसी "ग्राम" को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे। 2. साधारणतया, ग्राम के लिये, जैसे कि उपधारा (1) में परिभाषित है, एक ग्राम सभा होगी, परन्तु ग्राम सभा का गठन ऐसा चाहें तो किसी ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा का गठन ऐसी चीति में किया जा सकेगा, जैसा कि विहित किया जाए और ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा के क्षेत्र में आवास या आवासों का समूह अथवा छोटा गांव या छोटे गांवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हों और जो परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकालों का प्रबंध करेगा।

3. "ग्राम सभा" के सम्मिलन के लिये "ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक—तिहाई से गणपूर्ति होगी जिसमें से कम से कम एक—तिहाई महिला सदस्य होगी।

4 "ग्राम समा" के सम्मिलन की अध्यक्षता ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो पंचायत का सरपंच या उप सरपंच या कोई सदस्य न हों और उस सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों की बहुमत द्वारा इस प्रयोजन के लिये निर्वाचित किया गया हो।

कंडिका 129-ग

ग्राम सभा की शक्तियों और कृत्यों का उल्लेख करते हुए निम्न प्रावधान रखे गये है:--

(एक) व्यक्तियों को परंपराओं तथा रुढ़ियों उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को तथा विवादों के निराकरण के रुढ़िगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करना।

(तीन) ग्राम के क्षेत्र के भीतर के, प्राकृतिक स्त्रोतों को, जिनके अंतर्गत भूमि, जल तथा वन आते है, उसकी परंपरा के अनुसार और संविधान के उपबंधों के अनुरूप और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों की भावना का सम्यक् ध्यान में रखते हुए प्रबंध करना।

(पांच) ग्राम के बाजारों तथा मेलों का जिनमें पशु मेला सिम्मिलित है, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाएं, ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रबंध करना।

(छह) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप योजनाएं सम्मिलित है, तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्त्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना, तथा

(सात) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना ऐसी राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करें या न्यस्त करें।

घारा. 129 घ

अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा के साधारण अधीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देश के अधीन शक्तियां प्रदत्त की गई है—

(दो) ग्राम के बाजारों तथा मेलों का जिनमें पशु मेला सम्मिलित है, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाएं, प्रबंध करना।

(सात) स्थानीय योजनाओं, जिनमें जनजातीय उप-योजनाएं सम्मिलित है, तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्त्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना।

(आठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करें, या न्यस्त करें। कंडिका १२९-ड.

 अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थान का आरक्षण उस पंचायत में उनकी अपनी—अपनी जनसंख्या के अनुपात में होगा।

परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा परंतु यह और भी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायतों के यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित रहेंगे।

कंडिका 129-ड.(२)एवं (३)

- 1. राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी जिनका अनुसूचित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, परंतु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दशमांश से अधिक नहीं होगा।
- 2. अनुसूचित क्षेत्रां में पंचायत में अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये ऐसी संख्या में स्थान आरक्षित किये जायेंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यदि कोई हो के लिये आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर उस पंचायत के समस्त स्थानों तीन चौथाई स्थानों से अधिक नहीं होंगे।

कंडिका १२९-च

अनुसूचित क्षेत्रों में यथारिथति जनपद पंचायत या जिला पंचायत को निम्नलिखित शक्तियां भी होगी—

- (एक) किसी विनिर्दिष्ट जल क्षेत्र तक के लघु जलाशयों की योजना बनाना, उन पर स्वामित्व रखना तथा उनका प्रबंध करना। (दो) समस्त सामाजिक सेक्टरों में उनको अंतरित संस्थाओं तथा कृत्यकारियों पर नियंत्रण रखना।
- (तीन) स्थानीय योजनाओं पर जिनमें जनजातीय उप योजनाएं सम्मिलित है, तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्त्रोतो और व्ययों पर नियंत्रण रखना।
- (चार) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृतें का पालन करना जिससे राज्य सरकार, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदान करें, या न्यस्त करें।

्वार्षिक प्रतिवेदन् २००८-०० ।

बनेगा। जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं तथा रुढ़ियों प्रबंध करता हो।"

"ग्राम साधारणतया आवास या छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के आवासों के समूह अथवा छोटा गांव अध्याय-14 "क" अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट या छोटे गांवों के समूह से मिलकर उपबंध की कंडिका 129-क (ख) में निम्न प्रावधान किया गया-"ग्राम" से अभिप्रेत है अनुसूचित क्षेत्रों में कोई ऐसा ग्राम जिसमें साधारणतया आवास या आवासों का समूह अथवा छोटा गांव या के अनुसार अपने कार्यकलापों का छोटे गांवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं और रुढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो।

है।"

"प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा छ.ग. पंचायतराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम — 1997 के होगी, जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर अध्याय-14 "क" अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट बनेगी जिनके नागों का समावेश उपबंध की कंडिका-129 (ख) 3 में प्रावधान अनुसार साधारणतया, ग्राम स्तर पर पंचायत के लिये ग्राम के लिये, एक ग्राम सभा होगी। परंतु ग्राम सभा के सदस्य यदि निर्वाचक नामावलियों में किया गया ऐसा चाहें तो किसी ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा का गठन ऐसी रीति में किया जा सकेगा, जैसा कि विहित किया जाए और ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा के क्षेत्र में आवास या आवासों का समूह अथवा छोटा गांव या छोटे गांवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हों और जो परंपराओं और रुढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करेगा।

> छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय-14 "क" अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की धारा 129-क (क) में निम्न प्रावधान अनुसार

> "ग्राम सभा" से अभिप्रेत है, ऐसा निकास जो उन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिनके नाम ग्राम स्तर पर या उसके ऐसे भाग में जिसके लिये उसका गठन किया गया हो पंचायत क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित है।

"प्रत्येक ग्राम सभा जनसाधारण (19) की परंपराओं और रुढ़ियों उनकी सांस्कृतिक संपदाओं और विवाद निपटाने के रूढ़िक ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने में सक्षम होगी।"

छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय-14 "क" अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की कंडिका 129-ग (एक) के अंतर्गत व्यक्तियों की परंपराओं तथा रुढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को तथा विवादों के निराकरण के रुढ़िगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करने की शक्तियां और कृत्य ग्राम सभा की है।

े वार्षिकः प्रतिवेदनः २००८–०९

4(ड) प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक और छि.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय-14 आर्थिक विकास के लिये योजनाओं "क" अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की धारा कार्यकर्मो और परियोजनाओं का |129-ग (दो) प्रावधान है कि-अनुमोदन इसके पूर्व की ग्राम स्तर समस्त सामाजिक सेक्टरों में ऐसी संस्थाओं तथा ऐसे कृत्यकारियों पर पर पंचायत द्वारा ऐसी योजना, जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत किये गये है, उस पंचायत के माध्यम से कार्यं क म और परियो जना नियंत्रण करने की शक्तियां और कृत्य ग्राम सभा की है। कार्यान्वयन के लिये ली जाती है, धारा 129-घ में प्रावधान है कि- अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायत को, करेगी। ग्राम सभा के साधारण अधीक्षण, नियंत्रण तथा निदेश के अधीन शिवित्तयां प्रदत्तं की गई है अर्थात् प्रत्येक ग्राम सभा रगमाजिक और आर्थिक विकास के लिये कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन करने के लिए सक्षम होगी। गरीबी उन्नमूलन और अन्य छ.ग. पंचायतराज अधिनियम की धारा ७ (च) में गरीबी उन्मूलन और कार्यकमों के अधीन हिताधिकारियों अन्य कार्यकमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की के रूप में व्यक्तियों की पहचान पहचान करना तथा चयन करने की शक्तियां एवं कृत्य ग्राम सभा को या चयन के लिये उत्तरदायी होगी। दी गई है। पंचायतराज अधिनियम की धारा ७ (छ) में हिताधिकारियों को निधियों या आस्तियों के समुचित उपयोग तथा वितरण को सुनिश्चित करने की शक्तियां और कृत्य ग्राम सभा को दी गई है। अधिनियम की धारा 49 क में ग्राम पंचायत के लिये अन्य कृत्य का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है-(तीन) ग्राम सभा के अनुमोदन से विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों को चुनना (दस) ग्राम सभा द्वारा की गई अनुशंसाओं और किये गये विनिश्चयों को ग्राम पंचायत कार्यान्वित करने का प्रावधान किया गया है। 4(च) ग्राम स्तर की प्रत्येक पंचायत से छि.ग. पंचायतराज अधिनियम की धारा ७ (ख) एवं (ड) में उल्लेखित यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिये ऐसी योजनाएं जिनमें समस्त ग्राम सभा से खंड (ड) में निर्दिष्ट वार्षिक योजनाएं सम्मिलित है, कार्यकर्मों तथा परियोजनाओं को ग्राम यो जनाओं कार्य क मों और पंचायत द्वारा ऐसी योजनाओं कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का कियान्वयन परियोजनाओं के लिए उक्त आरंभ करने से पूर्व अनुमोदित करने तथा निधियों के समुचित उपयोग पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग को अभिनिश्चित करने तथा प्रमाणित करने की शक्तियां और कृत्य का प्रमाणन प्राप्त करें, ग्राम सभा को दी गई है।

्वार्षिकः प्रतिवेदनः २००८–०५

4(छ) प्रत्येक पंचायत पर अनुसूचित क्षेत्रों
में स्थानों का आरक्षण उस पंचायत
में उस समुदायों की जनसंख्या के
अनुपात में होगा, जिनके लिये
संविधान के भाग–9 के अधीन
आरक्षण दिया जाना चाहा गया
है।
परंतु अनुसूचित जनजातियों के लिये
आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के
आधे से कम नहीं होगा, परन्तु
अनुसूचित जनजातियों के अध्यक्षों
के सभी स्थान सभी स्तरों पर

अनुसूचित जनजातियों के लिये

आरक्षित होंगे।

छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय—14 "क" अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की धारा 129-ंड में निम्न प्रावधान रखे गये है— अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थान का आरक्षण उस पंचायत में उनकी अपनी—अपनी जनसंख्या के अनुपात में होगा। परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायतों के यथारिथिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित रहेंगे।

राज्यः सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व नहीं है, नाम निर्देशन कर सकेगी, परंतु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दसवें भाग से अधिक नहीं होगा। छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय—14. "क" अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की कंडिका 129—ड (2) एवं (3) में निम्न प्रावधान रखे गये है—

- 3. राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नाम निर्देष्ट कर सकेगी जिनका अनुसूचित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, परंतु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दशमांश से अधिक नहीं होगा।
- 4. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत में अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये ऐसी संख्या में स्थान आरक्षित किये जायेंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यदि कोई हो के लिये आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर उस पंचायत के समस्त स्थानों तीन चौथाई स्थानों से अधिक नहीं होंगे।

ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों से विकास परियोजनाओं के लिये अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन करने से पूर्व और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभारित व्यक्तियों को पुनर्व्यस्थापित या पुनर्वास करने से पूर्व परामर्श किया जायेगा, अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक धारा 170—ख—आदिम जनजाति के सदस्य की ऐसी भूमि का जो कपट द्वारा अंतरित की गई थी प्रतिवर्तन—

(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ भू—राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1980 (जो इसमें इसके पश्चात संशोधन अधिनियम, 1980 के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रारंभ की तारीख को किसी ऐसी कृषि भूमि का कब्जा रखता है जो 2 अक्टूबर 1959 से प्रारंभ होने वाली और संशोधन अधिनियम, 1980 के प्रारंभ होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि के बीच, किसी ऐसी जनजाति के सदस्य की रही हो जिसे धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित

्वार्पिक प्रतिवेदन २००८–०९

- (4) ग्राम सभा की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर राज्य सरकार द्वारा हगैर ग्राम सभा की सहमति या अनुज्ञा के बिना मादक द्रव्य/विनिर्माण शाला स्थापित नहीं की जायेगी तथा विकय के लिये नया निकास नहीं खोला जायेगा।
- (5) यदि कोई ग्राम सभा अपने क्षेत्र में किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण कब्जे, विकंय और उपभोग को प्रतिसिद्ध करती है, तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे—
- (क) ग्राम सभा की अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों की कोई भी नई विनिर्माण शाला स्थापित नहीं की जायेगी।
- (ख) किसी मादक द्रव्य के विकय के लिये कोई नया निकास नहीं खोला जायेगा और विद्यमान निकारा, यदि कोई हो ::तिनेध के आदेश के जारी होने के ठीक पश्चात आने वाले आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से बंद कर दिये जायेंगे।
- (ग) कोई भी व्यक्ति, किसी ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण कब्जा, परिवहन विकय या उपभोग नहीं करेगा। (ब) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम सभा द्वारा किये गये विश्चियों तथा पारित किये गये आदेशों को ग्राम पंचायत द्वारा अपने—अपने क्षेत्र में प्रभावी किया जायेगा। जहां, राज्य सरकार के प्रवर्तन अभिकरण की सहायता आवश्यक समझी जाये, वहां ग्राम पंचायत, क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी ऐसे अधिकारी के पास जाने की कार्यवाही करेगी जो अपेक्षित सहायता देने के लिथे आवश्यक कार्यवाही करेगा।

1 ड | गौण वन उपज का स्वामित्व (ii) राज्य में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार) अधिनियम 1996 के अनुरूप आदिवासियों को लघु वनोपज के संग्रहण पर पूरी छूट (बिना रॉयल्टी दिये) उपलब्ध है। आदिवासी समुदाय राज्य के वनों से वनोपज का संग्रहण निःशुल्क कर उसका विकय करने के लिये स्वतंत्र है। राज्य में राष्ट्रीयदृत लघु वनोपज के संग्रहा दे लिए 897 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां कार्यरत है और इनका सामान्यतः कार्यक्षेत्र पंचायत स्तर पर ही है। अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के द्वारा संग्रहित राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य राज्य शासन द्वारा सहकरी अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तर पर गठित एक शीर्ष सहकारी संस्था, राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ मर्यादित के द्वारा किया जाता है। इससे संग्रहकों को उनके वनोपज का वाजिब मूल्य प्राप्त होता है। इसके अलावा प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां आदिवासी समुदाय के संग्राहकों से अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के कय संग्रहण एवं विपणन के लिए स्वतंत्र है। इस

्वार्षिक प्रतिवेदन २००८-०९

प्रकार पेशा कानून की गंशा अनुरूप राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत क्षेत्र से लघु वनोपज के संग्रहण, विकय आदि पर स्थानीय आदिवासी समुदाय के अधिकार पूर्व से ही सुरक्षित किये गये है। छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता, सालबीज, हर्रा, कुल्लू, धावड़ा, खैर के गोंद वनोपज है। इनकी संग्राहकों से कय दरों का निर्धारण शासन द्वारा किया जाता है।

प्रदेश में तेंदुपत्ता का व्यापार छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 से तथा अन्य वनोपजों का व्यापार छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) 1969 से नियमित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधान भी लागू है।

छत्तीसगढ़ राज्य की वर्ष 2001 की वन नीति के अंतर्गत राज्य लघु वनोपज संघ को लघु वनोपज के व्यापार तथा दीर्घकालीन संरक्षण का कार्य सौंपा गया है। इसके अंतर्गत गठित जिला वनोपज सहकारी यूनियन तथा प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां कार्यरत है। जिनके माध्यम से लघु वनोपज का संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विकय का कार्य किया जाता है।

ग्राम सभा/ग्राम पंचायत सीधे लघु वनोपज के व्यापार से सम्बद्ध नहीं है। परंतु जब भी राष्ट्रीयकृत वनोपज के संग्रहण मूल्य या प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) का भुगतान किया जाता है तो पंच/सरपंच को भी उपस्थित रहने की सूचना दी जाती है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2007 तथा उसके अधीन प्रस्तावित नियमों

गया है।

अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रमण के निवारण की ओर किसी अनुसूचित जनजाति की किसी विधि विरुद्धतया अन्य संक्रामित भूमि को प्रत्यावर्तित करने के लिये उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्ति (अ) उक्त प्रावधान के प्रकाश में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 05.01.98 को संहिता की धारा-170-ख में संशोधन किया गया है। संशोधन द्वारा उक्त धारा में एक नई उपधारा (2-क) जोड़ी गई है, जो निम्नानुसार है-

में भी लघु वनोपज पर ग्राम समाओं के अधिकार का उल्लेख किया

(2-क) यदि कोई ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में यह पाती है कि आदिम जाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जाति के भू—स्वामी की भूमि के कब्जें में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के है, तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी कि वह मूलतः थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिस को प्रत्यावर्तित करेगी:

(ब) परंतु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो वह मामला उपखंड अधिकारी की ओर निर्दिष्ट करेगी जो ऐसी भूमि का कब्जा निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा।

= 129=

प्रतिवेदनः २००	0 00

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4 ड (iv) 4 ड (v)		
4 ड (vi) 4 ड (vii)	और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण करने की शक्ति "स्थानीय योजनाओं और ऐसी	कृत्य कार्यो पर नियंत्रण रखने की शक्तियां जनपद तथा जिला पंचायतों को दी गई है। छ.ग. पंचायतराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के
	ऐसे राज्य विधानों में, जो पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करें जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कृत्य करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, यह सुनिश्चित करने के लिये यद्योपाय अन्तर्विष्ट होंगे कि उच्चतर स्तर पर पंचायतें, निम्न स्तर पर किसी पंचायत को या ग्राम सभा की शक्तियां और प्राधिकार हाथ में न ले।	छत्तीसगढ़ प्रदेश में पंचायतराज अधिनियम की धारा 3 के तहत राज्यपाल लोक अधिसूचना (Notification) द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को पंचायतराज अधिनियम के प्रयोदन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट (To specify) किया गया है। धारा 8 के अधीन पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किया गया है— (क) अधिसूचित प्रत्येक ग्राम के लिये एक ग्राम पंचायत होगी। (ख) खण्ड के लिये जनपद पंचायत। (ग) जिला के लिये जिला पंचायत का गठन किया जायेगा। अर्थात प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू है। पंचायतराज प्रणाली की महत्वपूर्ण आधारभूत इकाई (Foundation Unit) ग्राम पंचायत और उसके क्षेत्र के भीतर समाविष्ट ग्राम सभा की स्थापना से

्रवार्षिकः प्रतिवेदनः २००८–०९

पंचायतराज प्रणाली में विनिर्देष्ट ग्राम की प्रशासनिक एवं विकास कार्य में भागीदारी सुनिश्चित की गई है और ग्राम पंचायत को जनपद पंचायत से तथा जनपद पंचायत को जिला पंचायत से जोड़ा गया है। किंतु इनकी स्वतंत्र सत्ता है, अलग—अलग कानूनी निकाय है, अलग—अलग कृत्य है। धारा 11 के अनुसार पंचायतों को निगमित किया गया है। जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत एक निगमित निकाय (Body Corporate) होंगी, उनका शाश्वत उत्तराधिकार (Perpectual Succession) होगा और उनकी एक सामान्य मुद्रा (Seal) होगी तथा निगमित निकाय के नाम से या उसके विरुद्ध मामले/वाद चलाये जा सकेंगे। साथ ही उन्हें जंगम या स्थावर (चल या अचल) संपत्ति अर्जित करने, धारण करने या अंतरित करने, संविदा करने और अधिनियम के प्रयोजन के लिये आवश्यक अन्य समस्त बातें करने की शक्ति होगी।

प्रदेश में तीनों स्तर के पंचायतराज संस्थाओं को स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कृत्य करने के लिए समर्थ बनाने के लिए पंचायतराज अधिनियम की धारा 7 में ग्राम सभा धारा 49 "क" में ग्रामपंचायत, धारा 50 में जनपद पंचायत, धारा 52 में जिला पंचायत के कृत्य निर्धारित करते हुये प्रावधान किये गये है। धारा 53 में पंचायतों के कृत्य के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति का भी प्रावधान स्पष्ट रूप से किया गया है।

4(ण) राज्य विधान मण्डल अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तरों पर पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की परिकल्पना करने की छठी अनुसूची के पेटर्न का अनुरक्षण करने का प्रयास करेगा। प्रदेश में पंचायतीराज अधिनियम की धारा 46 में ग्राम पंचायत की पांच स्थायी समितियां तथा धारा 47 में जनपद और जिला पंचायत की न्यूनतम पांच अधिकतम दस स्थायी समितियां गठित करने का प्रावधान किया गया है।

जनपद पंचायतों के तथा ग्राम पंचायतों के कियाकलापों का समन्वय, मूल्यांकन, मॉनिटर करना और उनका मार्गदर्शन करना, जनपद पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समग्र पर्यवेक्षण, समन्वय तथा समेकन सुनिश्चित करने, जिला के आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिये वार्षिक योजना तैयार करना और पंचायतों को ऐसी योजना के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने, पंचायतों को अंतरित किये गये कृत्यों, संकर्मा, स्कीमों तथा परियोजनाओं के संबंध में केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों को जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को पुनिआबंटित करने हेतु जिला पंचायतों को पंचायतराज अधिनियम की धारा 52 (1) (एक) (दो) (तीन) (चार) एवं (सात) में प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) को जिला पंचायत में संविलियन किया गया है।

प्रदेश में पंचायतराज संस्थाओं (ग्रामीण एवं शहरी) के कार्य योजना अनुमोदन एवं समीक्षा हेतु जिला योजना समिति (District Planning Committee) का भी गठन किया गया है। ≈वार्षिक≈प्रतिवेदन≈2008–09

परिशिष्ट 1— (अ) प्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-दों, अनुभाग-तीन, उप अनुभाग (1) दिनांक 20 फरवरी, 2003 में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रकाशित अनुसूचित क्षेत्र संबंधी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्र :--

छत्तीसगढ

सरगुजा जिला (1) कोरिया जिला बस्तर जिला दन्तेवाड़ा जिला कांकेर जिला (5) बिलासपुर जिले में मरवाही, गोरिल्ला-1, गोरिल्ला-2 आदिवासी विकास खण्ड, और कोटा (6) निरीक्षक सर्किल राजस्व कोरबा जिला (7) जशपुर जिला (8) रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैंलूंगा और खरसिया जनजाति विकासखण्ड। (9) दुर्ग जिले में डौण्डी जनजाति विकासखण्ड (10) राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला जनजाति विकासखण्ड (11) रायपुर जिला में गरियाबंद, मैनपुर, और छुरा जनजाति विकासखण्ड (12) धमतरी जिले में नगरी, (सिहावा) जनजाति विकासखण्ड (13)

经验验证据

वार्षिक प्रतिवेदन २००८-०९ .

परिशिष्ट – 1 (ब) प्रदेश का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार है :--

क्र.	जिला .	परियोजना	माडा	लघु अंचल
· 1.	बस्तर	1— जगदलपुर		
		2— कोण्डागांव		
	. "	3— नारायणपुर		
2.	कांकेर	4— भानुप्रतापपुर		,
3.	दन्तेवाड़ा	5— दन्तेवाड़ा		
		6 कोन्टा		
		7— बीजापुर		
4.	रायपुर	8— गरियाबंद	1— बालोदाबाजार	1— धुरीबांधा
5.	धमतरी	9— नगरी	2- गंगरेल	
6.	गहारागुन्द		3 महासमुन्द1	
	1	,	4— महासमुन्द—2	
7.	दुर्ग	10-डोण्डीलोहारा		
8.	राजनांदगांव	11- राजनांदगांव	5- नचनियां	
9.	कवर्धा		6— कवर्धा	2— वछेराभाटा
10.	सरगुजा	१२— अंबिकापुर		
		13- सूरजपुर		
	The second secon	14—पाल (रामानुजगंज)		
11.	कोरिया	15— बैकुण्ठपुर		
12.	कोरबा	16— कोरबा	·	
13.	.बिलासपुर	17— गौरेला		
14	जांजगीर–चांपा		7— স্কুব্যা	
15.	रायगढ़	18— धरमजयगढ़	8- सारंगढ़	
16.	जशपुर	19— जशपुरनगर	9- गोपालपुर	

溶泡水溶液

परिशिष्ट – 2 (अ) छत्तीसगढ़ – उपयोजना क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र का परिदृश्य

(31) छत्तीसगढ

(अ)	छत्	त्तीसगढ़	
	1.	प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल	1,35,133 वर्ग किमी
	2.	प्रदेश की कुल जनसंख्या	208.33 लाख
	3.	प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	66.16 लाख
	4.	प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	31.76 प्रतिशत
(ন)	आ	दिवासी उपयोजना :	
	1.	आदिवासी उपयोजना का क्षेत्रफल	88.000 वर्ग किमी.
	2.	आदिवासी उपयोजना का प्रदेश के कुल	६५.१२ प्रतिशत
		भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत	
	3.	कुल उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र	93.02 प्रतिशत
	4.	उपयोजना क्षेत्रं की कुल जनसंख्या	91.45 लाख
	5.	उपयोजना क्षेत्र की जनसंख्या का राज्य की	43.90 प्रतिशत
		कुल जनसंख्या से प्रतिशत	74 E
	6.	अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या	80.03 लाख
	6.1	अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या से अनु. जनजाति	• .
		जनसंख्या का प्रतिशत	61.03 प्रतिशत
	6.2	प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	73.82 प्रतिशत
		अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	
	6.3	उपयोजना क्षेत्र की कुल अनुसूचित जनजाति	89.88 प्रतिशत
		जनसंख्या से अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति	

जनसंख्या का प्रतिशत

्रवार्षिकः प्रतियेदनः २००८ः, ०९ र

परिशिष्ट – 2 (ब) छत्तीसगढ़, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र की तुलनात्मक स्थिति

	· ·		•	
क्र.	विवरण	छत्तीसगढ	आदिवासी	उपयोजना
		अनुसूचित क्षेत्र		क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी. से)	135133	88000	81861
	कुल प्रतिशत	100.00	65.12	60,58
2.	कुल जनसंख्या (लाखों में)	208.33	91.45	80.03
	कुल से प्रतिशत	100.00	43.90	38.41
3.	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या लाखों में	66.16	54.34	48.84
	कुल से प्रतिशत	100.00	82.13	73.82
4.	उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनु, जनजाति	. –	59.42	
	जनसंख्या का प्रतिशत	NECESSA ACTUAL		
5.	अनु. क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनु. जनजाति	-	-	61.03
	जनसंख्या			
6.	अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनजाति जनसंख्या का	-	_	89.88
	उपयोजना क्षेत्र की अनु, जनजाति संख्या में प्रतिशत			

经按照额据

135 rames

- वार्षिक प्रतिवेदन २००४–०९'

परिशिष्ट -3 (अ)

अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं

। अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश

राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ सभी श्रेणी के कर्मचारियों को वर्ष में मिलने वाले सामान्य आकिस्मक अवकाश के अतिरिक्त 7 दिन का अतिरिक्त अवकाश निम्न शर्तों के अधीन प्राप्त होता है। यह अवकाश स्वीकृत करने के लिये वहीं अधिकारी सक्षम है जो सामान्य अवकाश मंजूर करने के लिये सक्षम है। इसकी गणना कैलेण्डर वर्ष के अनुसार की जायेगी।

अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश का लाभ शासकीय सेवकों को केवल अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ होने की दशा में ही प्राप्त होगा बशर्ते कि वह इस क्षेत्र में कम से कम 6 माह की सेवा पूरी कर चुका हो।

इसका लाम केवल उन्हें ही मिलेगा जो अपने निवास स्थान से कम से कम 20 किलोभीटर की दूरी पर नियुक्त हो।

ऐसे कर्मचारियों को जो उसी जिले के रहने वाले न हों, जहां कि वे पदस्थ है, एक साथ 10 दिन तक का आकस्मिक अवकाश मंजूर किया जा सकता है।

अनुसूचित क्षेत्र से आशय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये गये अनुसूचित क्षेत्र से है।

(सामान्य प्रशासन क.314/1103/1(3)/81, दिनांक 25.7.1981

तथा क. सी-3/41/83/3/1, दिनांक 11.1.1984

2 10 दिन का अतिरिक्त अर्जित अवकाश

म.प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ.बी. 11—3—83/नि—2/चार, दिनांक 11 जनवरी, 1984 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ सभी विभागों तथा सभी श्रेणी के कर्मचारियों को वर्ष में 10 दिन का अतिरिक्त अर्जित अवकाश देय है।

बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं

अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों के दो बच्चों तक को निकटतम आदिवासी आश्रम तथा छात्रावास में रहने की सुविधा होगी तथा शिष्यवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी।

वार्षिक प्रतिवेदन 2008-09

उपरोक्त के अलावा आदिवासी, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आदेश कमांक डी—113—242—25—3—83, दिनांक 4 फरवरी, 1983 के अंतर्गत जिन जिला मुख्यालयों में उच्चतर माध्यमिक स्तर के तथा महाविद्यालय स्तर के दो—दो छात्रावास खोलने की जो मंजूरी दी गई थी, उसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बच्चों को इन छात्रावासों में प्रवेश मिल सकेगा (अधिकतम दो बच्चों तक) तथा आदिवासी छात्रों के समान और उन्ही नियमों के अंतर्गत शिष्यवृत्ति मिल सकेगा।

(वित्त विभाग क.सी-3/41/83/3/1, दिनांक 11.1.1984)

गृह माड़ा मत्ता

सभी विभागों तथा सभी श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों को देय होगा-

(1) वर्ग 1 के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये मूल वेतन का '

10 प्रतिशत

(2) वर्ग 2 के विकासखण्डों के लिये मूल वेतन का

७ प्रतिशत

(3) वर्ग 3 के विकासखण्डों के लिये मूल वेतन का

5 प्रतिशत

(वित्त विभाग क. 11-3-83/नि-2/चार, दिनांक 25.1.1986)

गृह भाडा भत्ता तभी देय होगा जब संबंधित शासकीय कर्मचारी को शासन की ओर से आवास सुविधा उपलब्ध न कराई गई हो।

शासन द्वारा 1-4-2005 से पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में शासकीय सेवको को 4 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया गया है।

अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों के गागले में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को वर्तमान गृह भाड़ा भत्ता अथवा जनसंख्या के आधार पर ज्ञापन दिनांक 19.04.2005 के अनुसार देय गृह भाड़ा भत्ता, इनमें से जो भी अधिक हो, की दर से गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश दिनांक 1.4.2005 से लागू माना गया है।

(वित्त विभाग क.302/622/वि/नि/चार/2005, दिनांक 27.7.2005)

5. लायसेंस शुल्क

यदि संबंधित कर्मचारी को शासन की ओर से आवास गृह आवंटित किया जाता है तो उससे आवास गृह का लायसेंस शुल्क निम्नान्सार दर से वसूल होगा— वार्षिक प्रतिवेदन २००८–००

- (1) वर्ग 1 व 2 के क्षेत्रों के लिए कुछ नहीं
- (2) वर्ग 3 के क्षेत्रों के लिए निर्धारित दर से 2-1/2 प्रतिशत कम

टिप्पणी- आवास गृह भत्ता एवं विशेष भत्ता केवल उन्हीं शासकीय कर्मचारियों /अधिकारियों को देय होगा जो-

- (क) उस विकासखण्ड के मूल निवासी न हों, जहां वह पदस्य है, तथा
- (ख) अपने स्थाई निवास के ग्राम या नगर से कम से कम 20 किमी, दूर पदस्थ हों।

अनुसूचित क्षेत्र मत्ता (01.07.2006 से लागू)

क0	वेतन रेंज	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
1	2	3	4	5
1	रूपये २६०० / - प्रतिमाह तक	120/-	80/-	40/-
2	रूपये २६०१/-से ३०००/-प्रतिमाह तक	180/-	120/-	60/-
3	रूपये 3001/-से 4600/-प्रतिमाह तक	240/-	160/-	80/-
4	रूपये ४६०१/-से ५९००/-प्रतिमाह तक	300/-	200/-	100/-
5	रूपयें 5901/—से 7100/—प्रतिमाह तक	360/	240/-	120/-
6	रूपये ७१०१/-से १००००/-प्रतिमाह तक	450/	300/	150/-
7	रूपये 10000/-से अधिक	600/	400/	200/-

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग कमांक 218/ सी—235/ वित्त/ नियम/चार/ 2006, दिनांक 29 जून 2006 द्वारा दरें घोषित की गई। ये संशोधित दरें दिनांक 1.7:2006 से लागू। म. प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 11.3.96 की अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

अन्य शर्ते-

इन आदेशों के अंतर्गत देय निश्चित अनुसूचित क्षेत्र भत्ता परिशिष्ट 3"ब" अनुसार वर्गीकृत विकास खण्डों में देय होगा।

= 138=

्वार्षिकः प्रतिवेदनः २००८–०९ :

- उपरोक्त पुनरीक्षण के कारण फलस्वरूप यदि किसी कर्मचारी को पूर्व की तुलना में कम राशि प्राप्त होती है तो उसे पूर्व में प्राप्त हो रही राशि के बराबर राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- विकासखण्डों के परिशिष्ट 3"ब" अनुसार वर्गीकरण के फलस्वरूप जो विकास खण्ड इन आदेशों के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र विशेष भत्ता प्राप्त करने के लिये अपात्र हो गये है, उन विकासखण्डों को एक पृथक श्रेणी के रूप माना जाकर वहां पदस्थ कर्मचारियों को वर्तमान दर से देय भत्ते की सीमा पर सीमित करते हुए यह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- अनुसूचित क्षेत्रों मे उपलब्ध अन्य सुविधायें पूर्ववत रहेंगी।

(वित्त विभाग ज्ञापन कमांक एफ-आर-17-01/96/चार/ब-9, दिनांक 11.3.1996)

इन आदेशों के अंतर्गत देय विशेष भत्ता केवल उन्हीं शासकीय कर्मचारियों / अधिकारियों को देय होगा जो अपने गृह नगर / ग्राम से 8 (आठ) कि.मी. से अधिक दूरी पर पदस्थ हों। परन्तु आवास गृह भत्ता सभी कर्मचारियों को देय होगा भले ही वे अपने गृह नगर / ग्राम से 8 किमी. के अन्दर ही पदस्थ हों।

गृह नगर/ग्राम वही माना जावेगा जो कर्मचारी द्वारा दिनांक 11.01.84 से पूर्व घोषित किया गया है। साथ ही गृह नगर/ग्राम से आशय न केवल घोषित गृह नगर/ग्राम से है वरन् ऐसे स्थान से भी है जहां कर्मचारी ने अपने अथवा, अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम अचल सम्पति (भूमि अथवा भवन) अर्जित कर ली हो।

स्पष्टीकरण— वह स्थान जहां भूखण्ड स्थित है संबंधित कर्मचारी का गृह नगर/ग्राम तब तक नहीं माना जावेगा जब तक कि उस पर मकान नहीं बना लिया जाता है।

यह लाभ नियमित कर्मचारियों की भांति वर्कचार्ज तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी देय है।

(वित्त विभाग कमांक एफ.बी. 11/3/83/नि.-2/चार, दिनांक 25.1.86, 7.5.86,

29.3.86 एवं 19.9.86)

2000		 Cartain Commi	
	139		

ंवार्षिक प्रतिवेदन २००८–०७

परिशिष्ट –3 (ब) विकासखण्डों का वर्गीकरण

विकासखण्ड जिला जिला विकासखण्ड प्रथम श्रेणी के विकासंखण्ड मनोरा ३. बस्तर रायगढ़ राजपुर 1. कुसमी सरगुजा दरभा 2. ओडगी बस्तानार प्रतापपुर बकावड लोहांडीगुडा रामानुजगंज सोनहट सरोना कोंटा चन्द्रमेड़ा वाङ्रफनगर उसूर बस्तर 3. <u>कु</u>आकोंडा कटेकल्याण तृतीय श्रेणी विकासखण्ड माकड़ी दुर्गकोंड़ल मैनपुर 1. रायपुर कोइलीबेड़ा छुरा ओरछा 2. राजनांदगांन मानपुर बड़ेराजपुर 3. रायगढ़ कांसावेल द्वितीय श्रेणी विकासखण्ड तपकरा बगीचा कुनकुरी रायगढ़ 4. बिलासपुर पोंडीउपरोडा दुलदुला लैलूंगा करतला तमनार मरवाही मैनपाट सरगुजा गौरेला (1) गौरेला (2) उदयपुर == 140==



				्यार्षिकः प्रतिवेदनः 2008 -
Φ.	जिला	विकासखण्ड	जिला	विकासखण्ड
	AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND		and the second s	^
		धोरपुर		पाली
		रामचंद्रपुर	5. सरगुजा	बतौली
		बलरामपुर		सीतापुर
		शंकरगढ़	•	लखनपुर
		प्रेमनगर		बैकुंठपुर
		भरतपुर खेलगंघा		
	तृतीय श्रेणी ।	वेकासखण्ड		
				· छिन्दगढ़
١.	बस्तर	नारायणपुर		सुकमा
		अन्तागढ़		बीजापुर
		फरसगांव		भैरमगढ़
		बस्तर		भोपालपटट्नम
		दंतेवाड़ा		
		गीदम		•

格格格格格

man di dan						Ų	ŲĮ	તેવ	:4	2	Ų		9.4
1		_	1										
67 767	221.28	20100	0,000			277.5		,	1368.42		1368.42		4561.40
23.53	36.47	26.47	3		9	2811.38		į	120.42		120.42		401.40
13 63	8.87	8.87			1	424-70			200		۲. در هر		321.12
38 61	10.00	10.00			22 603 164 06 324 40	20,75		ě	\$1	č	25.7		239.93
53.51	10.00	10.00		'	226 00	75.00%		77.05	*C**01	3	101.34		265.02 241.29 228.97 338.46 239.93 331.12
78 03		10.00	-		26 071 08 801 55 281	200.40		9	60.00		60.00		228.97
26.56		22.00			168 90			77 70	ì	1,30			241.29
27.11	4.30	4.30				+-		70 50		70.50			
58.51	30.73	30.73		-	290.24		~	124.30		124 20			414.63
34.06	10.00	10.00			130.28			55.83		55.83			186.11
27.06	5.00	5.00			108.24			46.39		46.39			154.63
25.69	5.00	5.00			67.05			28.74		28.74			95.79
27.19		7.00			93.24			39.96		39.96			233.09 133.20
38.16	10.00	10.00			163.16			69.93		69.93			233.09
24.19	11.85	11.85			116.54			49.94		49.94			166.48
24.19	5.04	5.04			8 121.3			52.00	_	52.00			5 173.3
46.16 25.69	5.02	5.02			6 107.28			49.26 45.98		49.26 45.98			2 153.2(
_	15.00	15.00			245.86 114.95 209.46 107.28 121.35 116.54	_					_		351.23 204.72 258.72 153.26 173.35 166.48
53.51 20.27	5.00	5.00			5 114.95			7 89.77		7 89.77			3 204.7
53.51	10.00	10.00			\neg			105.37		105.37			- 1
या <u>न</u> :	स्वरोजगार हेतु स्वस्हायता तमूहों को वित्तीय सहायता	म् ।	राजस्य	मद का	योगः :-	अधोसरंधना	विकास	কাৰ্যক্ৰন	पूंजी मद	का योग	मधायोग	(राजस्य +	प्रजामद)
	-					-			_				

				7		, î			÷												A RESIDENCE OF THE PERSON OF T	9695					
KI.		-	en viji dagas	(ANN) BY TVAN	and the state of t		ADM/DIRECTOR/EDG	Bind population	Contract of the Contract of th	and and		YOU AND THE	Selfness (42)				***********	estrojinot jenis				वाधि	कं.।	प्रतिष	दिन	200	8-09
	C C	73.500	7.230	30.790		2.280	0.900	3.180		26.330	39.740	66.070		64.170		30.430	94.600		15.180	30.150	7.225	52,555		47.345	47.345	550.00	
	. 1		2.000	6.000		0.000	0.400	0.400		4.000	7.160	11.160		7.950		4.000	11.950		1.695	5.250	1.175	8.120		5.000	5:000	76.780	
			0.000	3.000		0.000	0.000	0.000		3.330	6.580	9.910		10.000		5.000	15.000		1.740	5.250	1.100	8.090	7.18	5.000	5.000	65.930	
	() 1	10.500	2.230	12.790		1.000	0.300	1.300		6.000	8.160	14.160		15.720		000.9	21.720		4.350	5.400	1.375	11.125		14.005	14.005	128.060	
		3.000	1.500	4.500		1.000	0.200	1.200		8.000	4.000	12.000		17.500		5.000	22.500		0.000	3.750	1.100	4.850		5.000	5.000	83.900	
	0	30.5	1.500	4.500		0.000	0.000	0.000		0.000	5.875	5.875		5.000		5.430	10.430		3.480	5.250	1.375	10.105		5.000	5.000	51.130	
	6	0.000	0.000	0.000		0.280	0.000	0.280		5.000	7.965	12.965		8.000		5.000	13.000		3.915	5.250	1.100	10.265		13.340	13.340	89.200	
		मरस्याद्याचा वर्षाद्य	मत्स्याद्यांग पर पूजांगत पारेव्यय	योग :	पशुपालन विकास	कुक्कुट प्रक्षेत्र का विस्तार	सुकर वितरण अनुदान	योग :-	ग्रामोद्योग विसाग	हस्त शिल्पियों का प्रशिक्षण एवं औजार अनुदान	रेशम कींट पालन/लाख उत्पादन कार्य	योग :-	वन विभाग	लघुवनोपज/औषधि रोपण	लघुवनोपज कार्य हेतु अनुदान (वनोपज संग्रहण)/	मधुमक्खी पालन/अन्य योजना	योग :-	कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यकम	राजमिस्त्री प्रशिक्षण	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यकम	मोटर ड्रायविंग प्रशिक्षण	योगः :	स्वरोजगार हेतु स्वसहायता समूहों को वित्तीय	सहायता	योग :	राजस्व मद का कुल योग :-	
		-	2			₩-	2			-	2			~	7				· ~	7	က		7				

=152==